लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

...vation Unit
8-5-92
...nigated
On 15/11/83
6
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१—८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौंतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९—४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६६
फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००
चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००
सभा का कार्य . . . ५००–०१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४–३५
देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२–५३
दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५६

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५
रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८–४९
तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९
नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९
रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०–५१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२
दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२६ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . . . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ . . . ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होश्मानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— . . . १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ . . . १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ . . . १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ . . . ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य . . . . ११४९—५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ११६८—६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९ / १ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनिवार्य समाज सेवा

+

†*४६८. श्री राम कृष्ण :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सरजू पांडे :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि विश्व-विद्यालय की डिग्री देने के लिये शिविरों में समाज सेवा तथा अनुशासनीय प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सुझावों पर क्या विचार किया है ;

(ग) अन्तिम रूप में अनुमोदित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इसकी कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

351(Ai) LSD—1.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार पहिले से ही अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की योजना बना रही है पर इसे अन्तिम रूप देने के पूर्व अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

(ग) तथा (घ). योजना के विभिन्न पहलुओं व संभावनाओं पर विचार हो रहा है तथा सरकार ने अभी तक उन में से किसी पर अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस मामले में राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के मत पूछे गये ; और यदि हां, तो कौन राज्य इस योजना से सहमत हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह स्थिति अभी नहीं आई है । उचित समय पर समस्त संबन्धित निकायों से परामर्श किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समस्या के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक पहलू क्या हैं जिन का सरकार अध्ययन कर रही है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समस्या के सारे पहलू, अर्थात् समाज सेवा कैसी हो, दिया जाने वाला प्रशिक्षण कैसा हो तथा यह सब कैसे किया जाये, आदि विचाराधीन हैं ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ने शिवर में कितने समय के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक सूचना से बता रहा हूं जिस में कहा गया है कि सम्मेलन ने कहा है कि प्रशिक्षण-काल छः मास हो ।

†**श्री दाभानी** : दिये गये सुझाव के अनुसार क्या प्रशिक्षण नगरीय-क्षेत्र में होगा अथवा ग्रामीण-क्षेत्र में, और क्या प्रशिक्षण-काल निरन्तर होगा अथवा अंशों में ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि यह सेवा ३० वर्ष की अवस्था तक पुरुषों व स्त्रियों दोनों पर लागू होनी चाहिये एवं यह दोनों नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री बतला सकेंगे कि कब तक इस सम्बन्ध में फैसला हो जाने की आशा की जाती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कोशिश की जा रही है कि एक पूरी फाइनल स्कीम बन जाय और उसके बाद उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जायेगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इस योजनानुसार क्या विद्यार्थियों को गांवों में जाने तथा कुछ लाभदायक कार्य करने एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेने को प्रोत्साहित किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विचार यही है कि इस काल में विद्यार्थी किसी सामाजिक कार्य में लगे रहें, एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस सेवा की अधिक आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तत्वीय गन्धक[1]

†*४६६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तत्वीय गन्धक के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारतीय खान विभाग ने सोनामक्खी के निक्षेपों की मात्रा का निश्चित पता लगाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा नार्वे भेजे गये पाइराइट्स के नमूने पर किये गये आरम्भिक परीक्षण सन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं। विद्यमान प्रक्रिया के सारे पहलुओं की दृष्टि से निक्षेपों की जांच करने एवं पूर्ण परियोजना-प्रतिवेदन देने के पूर्व निदेशक संयंत्र आधार पर प्रयोगों की व्यवस्था करने के लिये एक विशेषज्ञ-दल का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) भारतीय खान विभाग ने अद्यतन ५० लाख टन से अधिक मात्रा का परीक्षण किया है जो अपेक्षित न्यूनतम मात्रा से अधिक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि नार्वे का विशेषज्ञ भारत आने तथा भारत में पाइराइट्स के निक्षेपों के बारे में अपना प्रतिवेदन देने को था ; यदि हां, तो इसे क्या हुआ ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** हां, श्रीमान् । नार्वे से एक भूतत्ववेत्ताओं के दल के यहां आने का प्रस्ताव है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** आजकल औसत रूप में कितनी तत्वीय गन्धक का आयात होता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** आयात किये गये गन्धक की मात्रा बताना अभी सम्भव नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या ये पाइराइट्स निक्षेप केवल बिहार में हैं या वे किसी अन्य राज्य म भी हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** अब तक अमझोर में पाइराइट्स के निक्षेपों की जांच पड़ताल तथा विस्तृत खोज की गई है । देश के अन्य भागों में भी पाइराइट्स के निक्षेपों के समाचार मिले हैं ।

श्री पद्म देव : मालूम हुआ है कि शिमला में पाइराइट्स की एक खान दौराने जंग खोदी जा रही थी और फायदा भी उठाया जा रहा था, तो क्या उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई अन्वेषण किया गया है और इससे फायदा उठाने का कोई बंदोबस्त किया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : मैंने अभी कहा कि हिन्दुस्तान में कई जगहों से पाइराइट्स होने का पता तो चला है लेकिन इसी जगह पर अन्वेषण किया गया है और जसे जसे हमें ज़रूरत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Elemental Sulphur

होती है हम पता लगाते चलते हैं। इसमें पैसा अधिक लगता है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके काम करना होता है।

†**श्री वें० पे० नायर** : क्या भारतीय खान विभाग ने वाइनाद, मलाबार में, जिसका क्षेत्रफल ५०० वर्ग मील है, पाइराइट्स के निक्षेपों की विस्तृत तथा विधिपूर्वक खोज की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं, श्रीमान्। भारतीय खान विभाग ने अभी तक अमझोर के पाइराइट्स के निक्षेपों के अतिरिक्त जिसके बारे में मैं बता चुका हूं अन्य किसी पाइराइट्स निक्षेप की विस्तृत जांच नहीं की है।

†**श्री बोस** : क्या भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध पाइराइट्स का उचित विश्लेषण किया गया है एवं उनमें उपलब्ध गन्धक का पता लगाया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध पाइराइट्स का विश्लेषण सहित कुछ प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि गटसिला में भारतीय तांबा निगम से बेकार गैस के रूप में प्रति दिन लगभग पांच टन गन्धक बेकार जाता है; यदि हां, तो प्रति दिन गन्धक की इस मात्रा को बेकार होने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सम्भव है कि बिहार के तांबा विस्फोट क्षेत्र में कुछ गन्धक बेकार जाती हो। परन्तु अन्तिम रूप से यह निश्चय करने के पूर्व कि तांबा निकालते समय गैस-रूप में निकलने वाली गन्धक से आर्थिक लाभ उठाया जाये, बहुत से अन्य प्रश्नों पर विचार करना पड़ता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि पांच टन गन्धक बेकार जाती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी मुझे पांच टन के आंकड़े विदित नहीं हैं।

ोलैण्ड के विशेषज्ञों द्वारा खनन परियोजनाओं का अध्ययन

+

†*४७०. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड के विशेषज्ञों का एक दल उन विभिन्न खनन् परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए भारत आया था जिन्हें सरकार आरम्भ करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो वे कब आये तथा कितने समय तक भारत में रहे;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन में मुख्य विचार व सिफ़ारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या हमारी खनन परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए पोलिश विशेषज्ञों को बुलाने का कोई प्रस्ताव था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : स्थिति कुछ इस प्रकार है । खेत्री के तांबा क्षेत्रों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के निर्धारण में हमारी सहायता करने का पोलिश सरकार ने प्रस्ताव किया था । हमने उनके प्रारम्भिक परीक्षण के लिए कुछ नमूने भेजे हैं । इस मामले में हमें परामर्श देने के लिए कुछ पोलिश विशेषज्ञ बुलाने का अभी कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : आजकल देश में यह काम कौन कर रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारतीय खान विभाग ने इस क्षेत्र में ताँबा-सोना मक्खी की एक बहुत ही विधिपूर्वक तथा विस्तृत जांच पड़ताल की है एवं हम भी एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं ।

पंजाब में तेल सर्वेक्षण

†*४७१. { +**श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री हेम राज : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जानौरी व बथुला में तेल तथा गैस की खोज में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तेल निकालना वाणिज्यिक दृष्टि से संभव है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) होशियारपुर के पास बथुला में एक गहरा कुआं खोदा जा रहा है । इस कुएं की विद्यमान गहराई ३४३९ मीटर है । वर्णों से विदित है कि जानौरी पहाड़ी क्षेत्र में 'एन्टी क्लिनल स्ट्रक्चर' है । आजकल वहां एक 'भूकम्पीय दल' कार्य कर रहा है । यदि संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए तो इस 'स्ट्रक्चर' पर एक परीक्षा के लिए कुआं खोदा जा सकता है ।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न संख्या १८१ (जिसका उत्तर १२-२-५९ को दिया गया) के उत्तर में आने वाली संख्या ३९३९ मीटर टाइप की गलती है तथा उसे ३४३९ मीटर पढ़ा जाये ।

(ख) यह अभी बताना असम्भव है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या कुएं खोदना इसी क्षेत्र तक सीमित है या अन्य स्थानों में भी खोदे जायेंगे ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : यह सब होशियारपुर के कुएं की उत्पादन-परीक्षाओं के परिणामों एवं आस पास के क्षेत्र में और अधिक जांच पड़ताल पर निर्भर है ।

†श्री बोस : क्या जम्मू क्षेत्र में भी तेल व गैस के कुछ चिह्न मिले हैं और क्या वह क्षेत्र भूतत्व की दृष्टि से ज्वालामुखी से संबद्ध है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जम्मू के कुछ क्षेत्रों में तेल और गैस के कुछ चिह्नों की सूचना मिली है परन्तु इसका ज्वालामुखी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बंगलौर हवाई अड्डा

†*४७२. श्री केशव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे के विकास की कोई योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वहां जेट विमानों का चालन हो सकेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

†श्री केशव : क्या यह सच नहीं है कि अनेकों विमान समवायों, सेना और हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लि० द्वारा इस हवाई अड्डे का प्रयोग किये जाने पर भी हवाई अड्डे की उचित इमारत बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? क्या उचित इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): यह हवाई अड्डा हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट का है और अधिकतर वह ही इसका प्रयोग करता है । यदि असनिक उड्डयन की सुविधाओं की आवश्यकता है तो यह मामला असैनिक उड्डयन विभाग का है । मेरा विचार है कि धवनमार्ग का विस्तार होने पर वह इमारत बनायेंगे ।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

†*४७३. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य क्षेत्रीय परिषद् ने अपनी तीसरी बैठक में क्षेत्र के लिए एक आम पुलिस रक्षित बल बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की थी, क्या उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश की गई; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मध्य क्षेत्र के लिए ग्राम पुलिस रक्षित बल बनाना क्यों ग्रावश्यक है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ग्राम पुलिस रक्षित बल का परिणाम ग्रधिक कार्यकुलशता होगा तथा यदि दो या ग्रधिक राज्य ऐसा ग्राम बल रखते हैं जिससे वे ग्राकस्मिकता की परिस्थिति में सहायता ले सकें, तो व्यय भी कम होगा क्योंकि फिर उन्हें ग्रपने ग्रपने राज्य में उतना बल न रखना होगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि मध्य क्षेत्र में ग्राम रक्षित बल बनाने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं ? क्या इसी कारण समिति ग्रपने प्रतिवेदन को ग्रन्तिम रूप नहीं दे सकी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : स्पष्ट है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका ग्रागे विचार करना ग्रावश्यक होता है । यही कारण है कि ग्रन्तिम रूप ग्रभी नहीं दिया गया है ।

†**श्री ग्रजित सिंह सरहदी** : विधि तथा व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण तीन या चार राज्यों का ग्राम बल बनाना विधि की दृष्टि से उचित होगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हां, यदि तीन या चार राज्य सहमत हों तो यह वांछनीय होगा ।

श्री गो० ब० पन्त : जहां तक मेरा खयाल है, ईस्टर्न ज़ोन की स्टेट्स ने तै कर लिया है कि कामन रिजर्व फोर्स होनी चाहिये । इस में सारी चार या पांच स्टेट्स हैं । सदर्न स्टेट्स, तमिल नाड, ग्रान्ध्र ग्रौर मैसूर ने तै कर लिया है कि उनकी कामन रिजर्व फोर्स होनी चाहिए । ग्रौर जहां तक मेरा खयाल है इस प्रिंसिपल को नरदर्न जोन ने भी मान लिया है कि कामन रिजर्व फोर्स होनी चाहिए । सेंट्रल के बारे में गौर हो रहा है । ग्रौर बम्बई का जो ज़ोन है वैस्टर्न ज़ोन, उसमें गुंजाइश नहीं रही क्योंकि दो स्टेट्स का वह ज़ोन है, बम्बई ग्रौर कर्नाटक का, ग्रौर कर्नाटक मद्रास ग्रौर ग्रान्ध्र के साथ कामन रिजर्व रखना चाहता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : सुना है कि केरल स्टेट ने ज्वाइन करने से इन्कार कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसका कोई विशेष कारण दिया है कि क्यों ज्वाइन नहीं होना चाहते ?

श्री गो० ब० पन्त : कारण तो उनके लिए होगा ही तभी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ।

†**श्री मं० र० कृष्ण** : क्या ग्राम पुलिस बल रखने का व्यय ग्राकस्मिकता के समय सेना बुलाने के व्यय से कम होगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं जानता कि इसका सेना से ग्रधिक सम्बन्ध है, परन्तु व्यय होगा क्योंकि ग्राम रक्षित बल में सम्मिलित राज्य ग्रपने यहां ग्रशान्ति होने पर ग्राकस्मिता के समय ग्राम रक्षित बल को बुला सकेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या ग्राम पुलिस बल का गठन ऐसे विभिन्न राज्यों के सम्मिलन की एक कार्यवाही है जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इसके पीछे ऐसा कोई विचार नहीं है । यदि राज्य ग्रन्य बातों में मिलना चाहें तो उन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है ।

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

+

†*४७४. श्री राम कृष्ण :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :
श्री श्रीनारायण दास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिदय्या :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश की गई निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने सम्बन्धी प्रारूप विधान पर टिप्पण तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या मत हैं; और

(ग) योजना की तफसील तथा वैत्तिक सम्भावनायें तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् । कुछ उत्तर आये हैं ।

(ख) उन उत्तरों में व्यक्त मत साधारणतया प्रारूप विधान के मुख्य उपबन्धों के पक्ष में हैं ।

(ग) कुछ राज्यों से प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं पर अखिल भारतीय आवश्यकता का पता सारे राज्यों तथा प्रशासनों के प्राक्कलन प्राप्त होने पर ही लगेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : उत्तर से विदित होता है कि कुछ उत्तर आये हैं । किन राज्यों ने उत्तर दिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी तक आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार तथा उत्तर प्रदेश तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के टिप्पण प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या किसी राज्य ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ सीमित क्षेत्रों में बहुत से राज्यों ने विधान लागू कर दिया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह विषय हमारे लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा आवश्यक है, तो इस सम्बन्ध में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : देरी नहीं हो रही है । देरी खास पैसे की है । इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कम्पल्सरी फ्री एजूकेशन ६ से ११ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए हो जाये । अनुमान यह लगाया जाता है कि उसके लिए लगभग ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि उपलब्ध हो गयी तो मैं आशा करता हूं कि इस स्कीम को अधिकतर राज्यों में लागू कर दिया जायेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या अनिवार्य शिक्षा के मामले में सरकार का विचार आर्थिक सहायता देने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हां, श्रीमान् ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इसकी कार्यान्विति के लिए अपेक्षित धन के प्रतिशत के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये सारे मामले तृतीय पंचवर्षीय योजना में निश्चित होंगे ।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की २६वीं बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वैत्तिक कठिनाइयों के कारण सरकार ने अपना लक्ष्य ६—१४ आयु-वर्ग से काट कर ६—११ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने एक लक्ष्य में निहित वैत्तिक सम्भावनाओं पर विचार कर लिया है तथा इनकी अन्य लक्ष्य में निहित वैत्तिक संभावनाओं से तुलना कर ली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका कुछ उल्लेख है तथा पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त यह पता लगा कि यद्यपि ६—१४ आयु-वर्ग हमारा अन्तिम लक्ष्य है परन्तु निकट भविष्य में इसकी पूर्ति सम्भव नहीं है । अतः योजना आयोग ने लक्ष्य घटा दिया तथा सुझाव दिया कि हमें समस्या का समाधान अधिक वास्तविकता से करना चाहिए । अब लक्ष्य घटा कर ६—११ आयु-वर्ग कर दिया गया है । इसके लिए भी पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी तथा इसकी पूर्ति केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ही सम्भव है ।

†**श्री पाणिग्रही :** देश में कुल कितने विद्यार्थी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा भारत सरकार ने अब तक इस पर कुल कितना धन व्यय किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि दिल्ली के अन्दर दिल्ली प्रशासन ने या दिल्ली कारपोरेशन ने कोई इस प्रकार का आग्रह किया है कि अगर उन को अनुदान दे दिया जाय तो वे १४ वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दे सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अब तक तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है । पर हमारी यह कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस को किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : राज्य सरकारों के उत्तर आने में काफी देर हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अवस्था में जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं उन के लिये क्यों तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा की जा रही है और वहां कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं कर दिया जाता ?

डा० का० ला० श्रीमाली : प्लान तो केन्द्र और राज्यों दोनों को मिला कर ही बनते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्वाचन व्यय

†*४७५. { श्री उस्मान अली खां :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भावी निर्वाचनों पर व्यय में कमी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) तथा (ख). निर्वाचन करने में लोक राजस्व से होने वाले व्यय में कमी करने की अनेक विधियां निर्वाचन आयोग के विचाराधीन हैं । इन म कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों जैसे निकायों के अधिक प्रयोग की सम्भावना, निर्वाचकों की नामावलियों का कम व्यय पर छपाना, मतदान केन्द्र बनाने में व्यय में कमी करना, निर्वाचन-कार्य के लिये रखे गये व्यक्तियों की संख्या में कमी करना तथा व्यक्तियों व सामान के परिवहन-व्यय में कमी करना है ।

†**श्री उस्मान अली खां** : पिछले निर्वाचन पर सरकार ने कितना व्यय किया तथा प्रस्तावित कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप व्यय में कितनी बचत होने की आशा है ?

†**श्री हजारनवीस** : पहिले निर्वाचन पर १०,४५,४७,०९९ रु० व्यय हुआ जो ४.८८ आना प्रति मतदाता आता है । दूसरे आम चुनाव में कुल व्यय ५,९०,२१,७८६ रु० हुआ जो प्रति मतदाता के हिसाब से २.४ आना होता है । अगले आम चुनाव में कुछ और बचत होने की आशा है । यह बचत कितनी होगी, यह बताना कठिन है ।

†**श्री उस्मान अली खां** : क्या चिन्ह लगाने के नये तरीके से चुनाव करने से व्यय में कोई वृद्धि होगी ?

†**श्री हजारनवीस** : जी नहीं । आशा है कि इस से व्यय नहीं बढ़ेगा ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : सारे देश में आम चुनाव करने में जो समय लगता है क्या उसे कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हजारनवीस** : इस का इस प्रश्न से तनिक भी सम्बध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न चुनाव के खर्चों से सम्बन्धित है ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह ग्राम पंचायतों की सेवाओं का उपयोग करेंगे । चुनाव में ग्राम पंचायतों का कैसे उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री हजारनवीस** : ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और शायद ग्राम-पंचायत-घरों और इमारतों का उपयोग किया जायेगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : कर्मचारियों का क्या अर्थ है क्योंकि उन के कोई वैतनिक कर्मचारी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नहीं होते और ग्राम पंचायतें चुनी हुई संस्थायें हैं तथा वे सारे देश में नहीं हैं। इस बारे में सभा में घोषणा करने के पहिले क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया ?

†**श्री हजारनवीस** : यह एक ऐसी समस्या है जिस पर निर्वाचन आयोग विचार करेगा। इन प्रस्तावों पर निर्वाचन आयोग विचार करेगा।

अध्यापक-शिष्य अनुपात

†*४७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक, माध्यमिक और हायर सैकन्डरी शिक्षा के लिये अध्यापक-शिष्य अनुपात के बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मंत्रालय की यह राय है कि प्रारम्भिक, माध्यमिक और हायर सैकन्डरी स्कूलों में एक अध्यापक के पास ४० से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहियें।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : देश के स्कूलों में इस समय प्रायः क्या अनुपात है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५६-५७ के आंकड़ों के अनुसार देश में एक अध्यापक के पास शिष्यों की संख्या यह है :

प्रारम्भिक स्कूल . . .	३४
मिडल स्कूल	२१
हाई स्कूल	२५

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में अध्यापकों की कमी के कारण प्रारम्भिक स्कूलों की पहली चार कक्षाओं की शिफ्टें मुकर्रर हैं और उन के अनुपात का भी हिसाब लगाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे मालूम नहीं था कि प्रारम्भिक स्कूलों में शिफ्टें लगती हैं परन्तु यह सही है कि हम ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि कुछ समय तक वे शिफ्ट सिस्टम से काम करें क्योंकि इस से इमारतों का और कई बार अध्यापकों का भी उपयोग हो सकेगा।

†**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मंत्री ने जो यह वक्तव्य दिया था कि हमें अधिक अध्यापकों की नहीं बल्कि अच्छे अध्यापकों की ज़रूरत है क्या माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो प्रधान मंत्री के सुझाव का देश में अध्यापक-शिष्य अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे उस वक्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ख्याल है कि यदि हमें शिक्षा का विस्तार करना है और इस में सुधार करना है तो हमें अधिक संख्या में और अच्छे अध्यापकों की ज़रूरत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों बातें एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि इस समय कई राज्यों के माध्यमिक स्कूलों में एक अध्यापक के पास ५० या ६० विद्यार्थी होते हैं और क्या इन्हें कम करने के लिये कोई हिदायतें जारी की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम ने राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं। हम तो केवल मंत्रणा दे सकते हैं। निर्णय तो स्वयं उन्हें ही करना पड़ेगा।

कोर्बा कोयला क्षेत्र

†*४७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कोर्बा कोयला क्षेत्र से कुल कितना कोयला निकाला गया ;

(ख) १९५८ की समाप्ति तक इन कोयला क्षेत्रों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या इस कोयला क्षेत्र के लिये जो ४० लाख टन प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ६४,३३३ टन।

(ख) १८३ लाख।

(ग) इस समय यह प्रबन्ध किया गया है कि इस योजना की समाप्ति तक लक्ष्य १६ लाख टन वार्षिक हो जाये और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५० करोड़ रूबल ऋण करार के अधीन रूसी सहायता से वह लक्ष्य २५ लाख टन तक हो जाये। द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक कोर्बा कोयला क्षेत्र से १६ लाख टन का लक्ष्य पूरा होने की बड़ी सम्भावना है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : द्वितीय योजना में हमें कोर्बा से ४० लाख टन कोयला निकालना है। २४ लाख टन की कमी की सम्भावना है। सरकारी क्षेत्र में इसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अन्य कोयला क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा कर।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय करणपुर से है। बिसरामपुर और झिलमिली का लक्ष्य भी पूरा करना पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् द्वितीय योजना की समाप्ति तक करणपुर कोयला क्षेत्रों में लगभग ८० लाख टन कोयला निकालना चाहती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सरकारी क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिये शायद हमें इतना कोयला निकालने की ज़रूरत नहीं होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कोर्बा कोयला क्षेत्र के लक्ष्य का पुनरीक्षण करन का क्या कारण है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : लक्ष्य का पुनरीक्षण नहीं बल्कि इसे निलम्बित किया जा रहा है ताकि रूस से प्राप्त होने वाले ऋण का प्रयोग किया जा सके क्योंकि वह थोड़ी देर बाद में वसूल होना था। इसलिये इस का पुनरीक्षण इस प्रकार किया गया कि विकास कार्य के लिये रूसी ऋण का प्रयोग किया जा सके।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कोर्बा में एक कोयला धोने का कारखाना लगाने का विचार था क्या लक्ष्य का पुनरीक्षण करने के कारण कोयला धोने का कारखाना लगाने का काम स्थगित कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोर्बा में कोयला धोने का कारखाना लगाने का विचार है। हम चाहते हैं कि इस काम के लिये रूसी ऋण का प्रयोग किया जाये।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या इस की स्थापना द्वितीय योजना काल में की जायेगी या कि तृतीय योजना में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद द्वितीय योजना काल में इस की स्थापना पूरी नहीं होगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या द्वितीय योजना की समाप्ति तक हम सरकारी क्षेत्र में १५० लाख टन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : द्वितीय योजना के लिये सरकारी क्षेत्र का लक्ष्य १५० नहीं बल्कि १२० लाख टन था ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : लक्ष्य का पुनरीक्षण किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोर्बा का लक्ष्य ४० लाख टन है : उन्हों ने यह पूछा था । वह सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं । ऐसे प्रश्न तो प्रश्नकाल में नहीं बल्कि सामान्य चर्चा में पूछे जाने चाहियें ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या कोर्बा कोयला खान में श्रमिक कोयला निकालते हैं या कि कोयला काटने वाली मशीनें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पहले तो काम श्रमिकों द्वारा शुरू किया गया था परतु अब भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

भिलाई के लिये शंटिंग इंजन

+

†*४७६. **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दे० वें० राव :
श्री सुबिमल घोष :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने की रेलवे साइडिंग में शंटिंग के लिये रेलव इंजन रूस से मंगवाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस वर्ग के, उन की संख्या, लागत और पहुंचने की तिथि क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये रूस से ३७ डीज़ल इंजन प्राप्त किये जा रहे हैं :

ब्योरा	संख्या
१. इस्पात कारखाना :	
(क) डीज़ल रेलवे इंजन, गेज १६७६ एम एम, वज़न ७५ टन, ८०० अश्व शक्ति इंजन	११
(ख) डीज़ल रेलव इंजन, गेज १६७६ एम एम, वज़न ५० टन, ४०० अश्व-शक्ति इंजन	१३
२. खानें :	
(क) डीज़ल रेलवे इंजन, गेज १६७६ एम एम टाइप ०—२—२—०, ट्रेलिंग वज़न ७२ टन, ७५० अश्व शक्ति	८
(ख) डीज़ल रेलवे इंजन, गेज १६७६ एम एम टाइप ०—२—२—० ट्रेलिंग वज़न ७२ टन, ७५० अश्व शक्ति, आकार १२२६०×३१४०×४२९० एम एम	५
कुल . . .	३७

रेलवे इजनों का मूल्य अलग नहीं है। इस्पात कारखानों के लिये २४ रेलवे इंजनों तथा उपकरण जो रूस से मंगवाया जा रहा है, इस्पात कारखाने का ही अंग है।

खानों के १३ इंजन उस उपकरण का ही भाग हैं जो अमरीका से लौह अयस्क खानों और चूने के पत्थर की खानों के लिये मंगवाया गया है। प्रमाण रखने के लिये यह स्वीकार किया गया है कि सारे उपकरण को उसके वजन से भाग करके प्रति टन मूल्य का अन्दाज लगा लेना चाहिये। इस आधार पर इस्पात के कारखाने और उपकरण का मूल्य ५,५३० रुपये प्रति टन और खानों का ४,२५० रुपये प्रति टन होगा।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या अन्य इस्पात कारखानों के लिये आवश्यक रेलवे इंजनों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह जानकारी देने के लिये मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या ३७ रेलवे इंजन प्राप्त हो गये हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद अभी नहीं क्योंकि अभी खान विभाग का काम चालू नहीं आ है।

†मूल अंग्रेज़ी में

कुलटी में भट्टियों का बन्द हो जाना

+
†*४८०. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कुलटी में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की भट्टी नं० ४ और ५ के बन्द हो जाने के कारण बेकार हो गये प्रवीण श्रमिकों से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में काम लिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख). कुलटी में जो श्रमिक बेकार हो गये थे उनमें से हिन्दुस्तान स्टील ने ४७१ को चुना था। दुर्गापुर इस्पात परियोजना को ९८ श्रमिक आवंटित किये गये हैं जिनमें से अब तक ५५ दुर्गापुर पहुंचे हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने जिन व्यक्तियों को लिया है उनको अभी तक वेतन नहीं दिये गये हैं। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें क्या कठिनाई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: मुझे विश्वास नहीं है कि उन्हें वेतन नहीं मिला और यदि किसी कारण न मिले होंगे तो अवश्य मिल जायेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्रबन्धकों ने छंटनी के नोटिसों में कहा है कि ४७ श्रमिकों को रोजगार दिया गया था परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया परन्तु श्रमिकों ने इसे गलत बताया है ? क्या प्रबन्धकों ने हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के साथ पुनः इन ४७ श्रमिकों के बारे में बातचीत शुरू की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इन ४७ व्यक्तियों को चुन लिया गया है और क्या हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने इन्हें ले लिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह उनके उपयुक्त होने पर निर्भर करता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रबन्धकों ने कहा था कि वे हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से हमें यही आखिरी पत्र मिला था। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह बातचीत हुई थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह पर्याप्त नहीं है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स श्रमिकों से कह दे कि हिन्दुस्तान स्टील ने उन्हें चुन लिया जब तक कि हिन्दुस्तान स्टील स्वयं उन्हें

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वीकार करके नौकरी न दे। इंडियन आयरन द्वारा श्रमिकों को दिये गये किसी आश्वासन को स्वीकार करना हिन्दुस्तान स्टील के लिये आवश्यक नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** टिस्को द्वारा छंटनी किये गये कितने कर्मचारियों को हिन्दुस्तान स्टील ने नियुक्त किया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह मुख्य उत्तर में बताया गया है।

†**श्री नागी रेड्डी :** कुलटी में कितने व्यक्ति फालतू घोषित किये गये थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** ७७५

आई० ए० एफ० सिग्नल्स सेन्टर, गुड़गांव में अग्निकांड

+

†*४८१. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव का आई० ए० एफ० सिग्नल्स सेन्टर स्टेशन जल जाने से सरकार को कितनी क्षति हुई ;

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). एयर फोर्स के नियमों के अनुसार इस घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी नियुक्त की गई है। उसकी कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई। इस लिए आग के कारण सरकार को हुई हानि और कोर्ट आफ इन्क्वायरी का निर्णय फिलहाल नही बताया जा सकता।

†**श्री जोकीम आल्वा :** यहां जो हानि हुई और पालम हवाई अड्डे पर आग लगने से जो हानि हुई थी उसे देखते हुए क्या सरकार ने इंडियन एयर फोर्स स्टेशन के आग बुझाने के सामान के बारे में पुनः विचार किया है और क्या वह सामान इतना अच्छा है जितना कि किसी सर्वोत्तम वायुसेना का होना चाहिये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** आग बुझाने के उपकरण के प्रयोग से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं था। इस इमारत का निर्माण युद्ध काल में ऐसी सामग्री से किया गया था जो जल्दी आग पकड़ती है और उसे बचाना सम्भव नहीं था।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे मालूम है इस स्टेशन पर आग ३० अक्तूबर, १९५८ को लगी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी आखिर इस इन्क्वायरी के परिणाम निकलने में क्यों हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** इसकी पूछताछ की जानी है जानबूझ कर आग लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आग क्यों लगी क्या वह तारों की खराबी अथवा शार्ट सर्किट हुआ था यह सब पता लगाने में समय लगता है।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे मालूम है यह सिग्नल सैंटर इंडियन एयर फोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत जरूरी काम इस से किया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि आग लग जाने के बाद वह काम किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है?

†**सरदार मजीठिया :** इस दुर्घटना के ठीक बाद मैंने सभा-पटल पर जो विवरण रखा था उसमें मैंने बताया था कि उसके ठीक बाद काम शुरू हो गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका काम किस संस्था ने संभाला है? प्रश्न यह था।

†**सरदार मजीठिया :** हमारे पास दूसरा उपकरण अलग पड़ा था और इस केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला सारा काम नहीं रुका था।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस बारे में फैसला होने की उम्मीद की जाती है?

†**सरदार मजीठिया :** बहुत जल्दी।

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि इस आग के लगने से आर्थिक दृष्टि से कितना नुक्सान हुआ है?

†**सरदार मजीठिया :** जब तक जांच न्यायालय की उपपत्तियां मंत्रालय में प्राप्त नहीं होतीं तब तक यह तय नहीं किया जायेगा।

†**श्री मं० र० कृष्ण :** क्या जांच समिति के सब सदस्य वायुसेना के ही हैं या कि उन में राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि भी हैं?

†**सरदार मजीठिया :** मुझे ठीक मालूम नहीं परन्तु वे वायुसेना पदाधिकारी ही होंगे।

श्री भक्त दर्शन : इंडियन एयर फोर्स का स्टेशन तो यह था ही लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इसमें डाक और तार विभाग यानी पी० एंड टी० और नेवी के भी यंत्र थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस इन्क्वायरी में उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं जानते हैं?

†**सरदार मजीठिया :** मेरे ख्याल से डाक व तार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्यों कि यह वायुसेना केन्द्र ही है।

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस में कोई असैनिक विभाग रखना सम्भव नहीं है क्यों कि इसका संचालन वायुसेना नियमों के अनुसार किया जाता है और यदि कोई लापरवाही साबित हो जाये तो जुर्माने किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दी टाइप-राइटरों के तालिका-पट्ट

*४८२. **श्री वाजपेयी :** क्या शिक्षा मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी टाइप-राइटर के नये तालिका-पट्ट के आधार पर कुछ मशीनों का निर्माण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो एक टाइप-राइटर का मूल्य कितना है और उसकी गति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लिपि का प्रश्न अन्तिम रूप से तय होते ही, वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय से प्रार्थना की जायेगी कि वह हिन्दी टाइपराइटरों के बनाने का काम शुरू करे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि मुझ को अफसोस है कि इस टाइपराइटर के बनाने में देरी हुई है। इसका कारण यह है कि १९५५ में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि जो लखनऊ की कान्फ्रेंस की सिफारिशें थीं उनको मंजूर कर लिया जाय और वे मंजूर हो गईं थीं। एक कमेटी भी नियुक्त हुई थी टाइपराइटर बनाने के लिए और उसने अपनी रिपोर्ट १९५६ में पेश की थी और टाइपराइटरों को बनाने की तैयारी हो रही थी। इस बीच में यू० पी० गवर्नमेंट ने एक दूसरी कान्फ्रेंस बुलाई जिस के बारे में न तो हमसे पूछा गया और न ही हम से मश्विरा किया गया और उसने जो पहले की कान्फ्रेंस की सिफारिशें थीं १९५३ की, उनको बदल दिया। इसकी वजह से एक उलझन पैदा हो गई। अब मैं सारे मामले को शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेंस में जल्दी से जल्दी रखूंगा और इस बात की कोशिश की जाएगी कि अन्तिम निर्णय हो जाए और अन्तिम निर्णय होते ही हमारी यह कोशिश होगी कि टाइपराइटर तैयार हो जायें।

श्री वाजपेयी : अभी मंत्री जी ने कहा कि लिपि सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दूसरा सम्मेलन बुलाया है उस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी टाइपराइटर के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार लिपि सुधार के सम्बन्ध में होने वाले सम्मेलनों पर क्यों निर्भर रहती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो स्पष्ट है कि कोशिश इस बात की है कि सारे देश में हिन्दी की स्क्रिप्ट एक ही हो। यह नहीं हो सकता है कि एक राज्य में एक प्रकार की लिपि हो और दूसरे राज्य में दूसरे प्रकार की। इस दृष्टि से लखनऊ कांफ्रेंस जो १९५३ में हुई थी उस के निर्णयों को भारत सरकार ने मान लिया था। इस बीच में मुझे अफसोस है कि सन् १९५७ में पहले जो निर्णय किया गया था वह बदल दिया गया। अब हमारी कोशिश यह है कि इस मामले को दुबारा शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेंस में रक्खा जाय और अन्तिम निर्णय किया जाय। लेकिन जब तक लिपि के मामले में सब राज्यों में एक ही निर्णय नहीं होता है औस सब उस को नहीं मान लेते हैं तब तक काम नहीं चल सकता है। और यह बड़ी भारी रुकावट होगी। इस लिये यदि कुछ देरी भी हो तो इस मामले में सब का एक मत होना बहुत आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० मा० श्री० अणे** : दोनों सम्मेलनों में किये गये निर्णयों का समन्वय करने के लिये सरकार ने पहले कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, १९५७ के बाद पूरे १२ मास बीत चुके हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने सारी बात बता दी है। १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सम्मेलन बुलाया था जिस में अधिकतर राज्यों के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में लगभग सर्वसम्मति से ही सिफारिशें की गई थीं। भारत सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५७ में एक और सम्मेलन बुलाया और सिफारिशों को बदल डाला। मुझे मालूम नहीं कि वहां कितने प्रतिनिधि थे। भारत सरकार के लिये इस से काफी कठिनाई पैदा हो गई है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जहां तक लिपि का सम्बन्ध है सब की राय एक होनी चाहिये इस लिये मैं इसका निर्णय करने के लिये शीघ्र ही एक शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन करने वाला हूँ।

आशा है कि सभा भी यह अनुभव करती होगी कि लिपि के बारे में सब की राय एक होनी चाहिये।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि लिपि सुधार में सारा विवाद "इ" की मात्रा को लेकर है? और इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय किया जाय उस निर्णय के होने तक हिन्दी टाइपराइटरों का निर्माण क्यों रोका जाय, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह बात तो स्पष्ट है कि जब तक लिपि के बारे में फैसला नहीं हो जाता, टाइपराइटर नहीं बन सकते। लिपि के आधार पर तो टाइपराइटर बनेंगे।

१९५३ के सम्मेलन ने निम्नलिखित रूपभेद और सिफारिशें की थीं :

(१) छोटी 'इ' की मात्रा को उस व्यंजन के बाएं हाथ रखा जाय जिसके साथ वह जोड़ी जानी है;

(२) 'ऋ' अक्षर को जब अन्य अक्षरों के साथ मिलाया जाये तो इसके तीनों पुराने रूपों का प्रयोग किया जाये; और

(३) जहां सम्भव हो संयुक्त अक्षर खड़ी लाइन लगा कर बनाये जायें।

ये रूपभेद किये गये हैं। इसका सारे टाइपराइटर पर प्रभाव पड़ेगा अतः सारा मामला फिर से देखना पड़ेगा। मैं इसका जल्दी फैसला करना चाहता हूं और मैं उसे शीघ्र ही शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने छोटी 'इ' के बारे में कहा है परन्तु 'ए' और 'ओ' के बारे में कुछ नहीं कहा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह 'इ' और 'ऋ' के बारे में और संयुक्त अक्षरों के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं 'ए' और 'ओ' की लघु मात्राओं के बारे में पूछ रहा हूं क्या उन्हें तेलगु और तामिल के अनुरूप बनाने के लिये कोई सिफारिश की गई है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। इसे देखना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : तब दक्षिण भारत के लोग यह शिकायत करेंगे कि उनकी उपेक्षा की गई है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने तीन महीने पहले आश्वासन दिया था कि वे शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुला कर शीघ्र अन्तिम निर्णय कर देंगे। आज भी वे केवल आश्वासन देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में देरी क्यों की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों रुपये की किताबें इसमें विलम्ब होने के कारण बरबाद हो रही हैं और बम्बई सरकार ने भी संशोधित लिपि का विरोध किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकीजि म्मेदारी तो यू० पी० गवर्नमेंट की ही है क्योंकि उन्होंने ही फैसला कर के उस निर्णय को बदल दिया। इस कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का होना आवश्यक था और पिछली बार जिस तारीख को रखने का प्रस्ताव था वह उनके लिये सुविधाजनक नहीं था। अब हम जल्दी ही किसी तारीख को निश्चित करने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि दो तीन महीनों में यह कांफ्रेंस बुलाई जा सकेगी।

श्री ब्रज राज सिंह : यह जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है उसमें शिक्षा मंत्रियों के अतिरिक्त जो देश के हिन्दी लिपि विशेषज्ञ हैं, चाहे वे दक्षिण के हों चाहे उत्तर के, उनको भी बुलाने का प्रयत्न किया जायेगा, और सरकारों के अतिरिक्त जो दूसरे व्यक्ति इससे सम्बन्धित हो सकते हैं उनकी राय भी इस सम्बन्ध में मांगी जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस पर भी विचार किया जायेगा।

लद्दाख के अभिलेखागार में दुर्लभ पाण्डुलिपियां

*४८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख (काश्मीर) के अभिलेखागार के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों के संरक्षण व प्रकाशन के प्रश्न के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जम्मू और काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, लेह में पाये गये अभिलेख डोगरा शासन-काल के हैं। ये अभिलेख कितने बड़े हैं, किस हालत में हैं और इनका ऐतिहासिक मूल्य क्या है इसका निर्धारण तभी हो सकता है जब उन्हें ठीक प्रकार से जांच कर व्यवस्थित रूप दे दिया जाये। जम्मू और काश्मीर सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जम्मू और काश्मीर की सरकार के प्राइम मिनिस्टर को लिखा है इसके सम्बन्ध में और उनके उत्तर की अपेक्षा है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जम्मू और काश्मीर सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है। तो क्या भारत सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डा० का० ला० श्रीमाली : यही कार्रवाई हमने की है । जम्मू और काश्मीर की सरकार को लिखा है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं वजीर तालीम से यह जानना चाहता हूं कि जितनी पुरानी किताबें हैं, साबिक वजीर तालीम मौलाना आजाद साहब ने उनके सिलसिले में क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कुछ फैसले किये थे ? और क्या उसमें यह भी फैसला हुआ था कि मिनिस्ट्री का कोई आला अफसर उन किताबों को देखने के लिये कश्मीर जायेगा ? इस सिलसिले में वजीरे तालीम ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न वस्तुतः इससे उत्पन्न नहीं होता । यदि माननीय सदस्य नोटिस दें तो मैं उत्तर दे सकूंगा ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : इस प्रश्न का सम्बन्ध उन अभिलेखों से है जो लद्दाख में मिले हैं ।

श्री अ० म० तारिक (जारी) जो किताबें लद्दाख में पाई गई हैं उन के सिलसिले में क्या साबिक वजीर तालीम ने कोई फैसला किया था और क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यह वादा किया था कि कोई आला अफसर लद्दाख जायगा उन को देखने के लिये मैं जानना चाहता हूं कि स सिलसिले में क्या अकदाम उठाये गये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं क्या उन पुस्तकों को भारत में लाकर कोई छान बीन की जायगी या भारत से ही कोई विद्वान भेज कर उनकी जांच पड़ताल की जायेगी ।

श्री का० ला० श्रीमाली : में ने जम्मू काश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है और उन का उत्तर आने पर फिर इस इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

+

†*४८४. { **श्री सरजू पांडे** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के साथ एक और इमारत के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस इमारत पर कितना धन खर्च होगा ; और

(ग) पुस्तकों के लिये कितना धन दिया जायेगा ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) प्रारम्भिक खाके बना लिये गये हैं और उनकी परीक्षा की जा रही है ।

(ख) अभी तक खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया । १९५९–६१ वर्षों के लिये लगभग ७ लाख रुपयों की रकम रखी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) बजट पास होने के बाद पता चलेगा ।

श्री सरजू पांडे : प्लैन्स की जो परीक्षा हो रही है वह कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री हुमायून् कबिर : बहुत जल्दी समाप्त होगी ।

मैं यह भी बता दूं कि कुछ ही दिन पहले मैंने योजनाओं की स्वीकृति दी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वहां कितने व्यक्ति बैठ कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वहां बहुत भीड़ होने लगी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पाठकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है इसलिये हम विस्तार करने की योजना बना रहे हैं परन्तु जब तक पूरी योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं ठीक-ठीक आंकड़े नहीं बता सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्राधिकारी यह विचार कर रहे हैं कि पुस्तकें (पुस्तकालय से बाहर ले जाने के लिये) देने वाला विभाग बन्द कर दिया जाये और यदि हां, तो इमारत का विस्तार हो जाने से इस विभाग को बनाये रखना संभव होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : राष्ट्रीय पुस्तकालय होने के कारण हमें इसकी गतिविधियां बढ़ाने, न कि घटाने के बारे में विचार करना है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या माइक्रोफिल्मिंग के लिये पर्याप्त निधि आवंटित की जाती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक-सभा में प्रश्न

+

†*४८५. { **श्री वें० प० नायर** : **श्री ईश्वर अय्यर** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् में प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय करना पड़ता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जैसा कि २० मार्च, १९५० को श्री कुन्हीरमन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर में बताया जा चुका है, संसद् में प्रश्नों के उत्तर पर किये गये आर्थिक व्यय के ठीक-ठीक आंकड़े बताना बड़ा कठिन है क्योंकि ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित काम के लिये ही कोई कर्मचारी नहीं लगाये जाते हैं । कथित उत्तर में मोटे तौर से पहले का अनुमान ६० रुपये प्रति प्रश्न बताया गया था । हो सकता है कि व्यय कुछ अधिक बढ़ गया हो क्योंकि अब प्रश्न अधिकांशतः हिन्दी में पूछे जाते हैं, इस कारण हिन्दी में उत्तर तैयार करने और उनका अनुवाद अंग्रेजी में कराने में कुछ अतिरिक्त व्यय होता है । उत्तरों की काफी संख्या में प्रतियों की आवश्यकता संसद्-सचिवालय को पड़ती है । ६० प्रति गृहीत प्रश्न और १५ रुपये प्रति व्यपगत अथवा अगृहीत प्रश्न के हिसाब से १९५६, १९५७ और १९५८ में औसत वार्षिक व्यय लगभग १० लाख रुपये हुआ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सारे वर्षों का योग है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह तो वार्षिक आंकड़े हैं ।

†**श्री नरसिंहन्**: इस प्रश्न पर कितना व्यय होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ६० से ७० रुपये ।

†**श्री वें० प० नायर** : डा० जान मथाई ने प्रश्न का जो उत्तर दिया था, जिसका उपमंत्री महोदय ने निर्देश किया है, उससे पता लगता है कि १९४९ में भी प्रति प्रश्न अनुमानित व्यय ६० रुपये ही था । क्या हम इससे यह समझें कि इन वर्षों में प्रति प्रश्न व्यय में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने यह कहा था कि हो सकता है कि व्यय कुछ बढ़ गया हो किन्तु ठीक-ठीक वृद्धि का हिसाब लगा सकना कठिन है । यह तो मोटा हिसाब है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकर्ता का उद्देश्य क्या है ? यदि माननीय सदस्य यह कह दें कि व्यय बढ़ रहा है तो क्या वह अनुपूरक प्रश्न पूछने में कमी कर देंगे ?

†**श्री वें० प० नायर** : मैं समझता हूं कि मेरे अनुपूरक प्रश्न सरकार के लिये उपयोगी होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । इस प्रश्न के पीछे पड़ने से क्या लाभ है कि प्रति प्रश्न ६० से ७० रुपये और औसतन प्रति वर्ष व्यय १० लाख रुपये होता है ? माननीय सदस्यों को इतनी कड़ाई से प्रश्न नहीं पूछने चाहियें क्योंकि मैं इससे आगे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री वारियर** : जनता इसमें रुचि रखती है ।

†**श्री वें० प० नायर** : उस समय हमारा आयव्ययक कितना था और आज वह कितना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

विकलांग बच्चे

†
*४८६. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री झूलन सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग बच्चों के कल्याण के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) अशक्तों की शिक्षा और कल्याण की योजनाओं के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३४]** जहां तक इस वर्ग का सम्बन्ध है, कल्याण को शिक्षा से अलग करना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी म

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो योजनायें इस विवरण के अन्दर दी गई हैं उनके अतिरिक्त कितने ऐसे स्कूल हैं जिनको कि सरकार अनुदान देती है और कितना देती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य ने उन अनुदानों के बारे में पूछा है जो हम ऐच्छिक संगठनों को देते हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि १९५७–५८ में विकलांग बच्चों की दस संस्थाओं को १,१४,४२५ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि विवरण में दिया गया है कि ६० प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है, तो ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिनको कि यह ६० प्रतिशत रकम दी गई ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि विकलांग बच्चों की १० संस्थाओं के लिये अनुदान मंजूर किया जा चुका है ।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या विकलांग बालकों की समस्या की गम्भीरता की बात बताई जा चुकी है और क्या इन योजनाओं से उन सभी का लाभ हो सकेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** एक नमूने का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री नवल प्रभाकर : जैसे कि विवरण में दिया गया है कि देहरादून में ४ जनवरी, १९५९ से एक स्कूल आरम्भ हो गया है और उसमें यह कहा गया है कि ५० बच्चे इस तरह के लिये जायेंगे, तो क्या वह आरम्भ हो गया है और उसमें क्या ५० बच्चे प्रविष्ट हो गये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, माडेल स्कूल प्रारम्भ हो गया है। अभी तो मैं आपको यह नहीं बता सकता कि उसमें कितने बच्चे हैं लेकिन अगर आप बाद में चाहेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि कलकत्ता में गूंगे बहरों का एक प्रमुख स्कूल धन की कमी के कारण बन्द हो रहा है ? यदि उन्हें पता लगा है तो क्या उस संस्था को कुछ निधि दी गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं देखूंगा कि कोई भी संस्था निधि की कमी के कारण बन्द नहीं हो सकती। यदि माननीया सदस्या यह चीज मेरी जानकारी में लायें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि गूंगे और बहरे बच्चे सम्पत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते ? यह एक कानूनी रोक है। अपंग बच्चों के हित की जिन योजनाओं के बारे में हम विचार कर रहे हैं, क्या उनमें इस अनुचित कानूनी रोक को दूर किया जा सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विश्वास है कि उत्तराधिकार अधिनियम में इस चीज़ को दूर कर दिया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और यह चीज अभी तक दूर भी नहीं की गई है। यह अभी तक विद्यमान है। वास्तव में इन्हीं लोगों की अधिक परवरिश की आवश्यकता होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीया सदस्या जानती हैं कि विधेयक किस प्रकार रखा जाये ? मैं उसको स्वीकृत कर लूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करूंगी तो वह कभी भी स्वीकृत नहीं होगा ।

†**श्री जाधव :** क्या गूंगे बहरे बच्चों की संख्या की कोई गणना की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि "नमूना का एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम

+

†*४८७. { **श्री दामानी :**
श्री वोडयार : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जीवन बीमा निगम को नगरों में मकान बनवाने के लिये ऋण देने की सुविधा पुनः चालू कर देने का निर्देश दिया गया है ; **और**

(ख) यदि हां, तो मामले की स्थिति क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दामानी :** पुरानी कम्पनियों द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था फिर इसे जारी न रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** निगम ने यह निश्चय किया है कि सम्पत्ति को बन्धक रख कर मकान बनाने के लिये अग्रिम राशि न दी जाये क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हो चुके हैं जिनमें धन की वसूली नहीं हो सकी । इसके अलावा निगम के पास राज्य सरकारों द्वारा तथा स्वयं उसके कर्मचारियों के लिये चलाई गई गृह-निर्माण समितियों को अग्रिम राशि देने की विभिन्न योजनायें हैं ।

†**श्री दामानी :** क्या मध्य वर्ग की गृह-निर्माण योजनाओं के लिये अग्रिम राशि देने के बारे में कुछ प्रगति की गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी हां, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मध्यम आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण योजनायें हैं और जीवन बीमा निगम ने इस योजना के अधीन ३ से ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष अग्रिम राशि के रूप में देने का निश्चय किया है ।

†**श्री दामानी :** योजना के अधीन ३ से ४ करोड़ रुपये की राशि में से, प्रथम दो वर्षों में कितनी अग्रिम राशि दी गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बिमल घोष** : माननीय मंत्री को स्मरण होगा कि सभा में जब जीवन बीमा निगम पर चर्चा हो रही थी, एक यह आश्वासन दिया गया था कि सम्पत्ति को बन्धक रख कर जीवन बीमा निगम निधि का विनियोग करने पर कोई रोक नहीं है। क्या तब से स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जिस समय मैंने यह बात कही थी उस समय यह रोक नहीं थी, क्या मेरे कहने का तात्पर्य यह था ? इसका तात्पर्य यह नहीं कि चूंकि इस पर रोक नहीं है इसलिये उन्हें इसे छोड़ देना चाहिये ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि मकान बनवाने के लिये ऋण व्यक्तियों को नहीं दिया जायेगा। क्या यह नीति बन गई है कि मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण सहकारी संस्थाओं को भी नहीं मिल सकता ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सहकारी संस्थाओं को ऋण दिया जा रहा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

+

†*४८८. { **श्री वारियर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वाजपेयी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मूल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में जिन अनियमितताओं का उल्लेख था उन्हें दूर करने के पश्चात् १९५६–५७ और १९५७–५८ का अन्तिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कई मंजिल की इमारतों के बारे में चुनी हुई इमारतों सम्बन्धी परियोजना दल

†*४७८. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कई मंजिल की इमारतों के बारे में चुनी हुई इमारतों सम्बन्धी परियोजना दल के सुझावों की जांच कर ली है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: अनेक चीफ इंजीनियरों से परामर्श करने के पश्चात् एक उच्च स्तरीय तालिका द्वारा दल की सिफारिशें तैयार की गई हैं। भविष्य में इस प्रकार की इमारतों की योजना और डिजाइन तैयार करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों से निवेदन किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है कि वे इसके लिये सुझाव दिये गये आधारों को अपनायें। दल ने इन आधारों को कार्यान्वित करने में सुविधा देने के लिये एक प्रतिरूप तैयार किया है।

मिर्जा गालिब का दिल्ली का मकान

†*४८९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जा गालिब के दिल्ली के मकान को स्मारक के रूप में बदलने के लिये उसे प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** यह मकान निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था किन्तु निष्क्रमणार्थी और गैर-निष्क्रमणार्थी हितों को अलग-अलग रखने के लिये मकान का निष्क्रमणार्थी हिस्सा निश्चित कर दिया गया है और वह सम्पत्ति सक्षम पदाधिकारी के पास दर्ज कर ली गई है। स्मारक बनाने से पहले सारे दावों को निबटाने के लिये और आगे पत्र व्यवहार करना होगा। इस मामले को प्राथमिकता दी जा रही है।

छात्रों की जीवन निर्वाह स्थिति का सर्वेक्षण

†*४९०. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों की जीवन निर्वाह स्थिति का अगुआकारी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) यह अगुआकारी सर्वेक्षण कहां-कहां किया गया है ; और

(ग) क्या देश के छात्रों की जीवन निर्वाह स्थिति का पता लगाने में यह अगुआकारी सर्वेक्षण कहां तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) सर्वेक्षण लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों में चल रहा है।

(ग) परियोजना समाप्त हो जाने के पश्चात् ही सर्वेक्षण की उपादेयता का पता चलेगा।

मोटर गाड़ियों के नीचे का ढांचा[1]

†*४९१. { **श्री सुब्बया अम्बलम :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५८ में मोटर गाड़ी के नीचे के ऐसे ढांचों की संख्या क्या थी जिनके ऊपर के हिस्से को बना कर इस्तेमाल में नहीं लाया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chassis

(ख) वे कितने समय तक इस प्रकार रखे गये ;

(ग) क्या स्टोर में पड़े रहने से उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और कितनी हानि हुई ; और

(ङ) उनकी खरीद से लेकर बेकार संयंत्रों के स्टोर और देख-रेख पर वार्षिक आवर्तक व्यय कितना होता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९५८ को जिन नीचे के ढांचों में ऊपर के हिस्से नहीं बने उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

नीचे के ढांचों की किस्म	ऊपर के ढांचे बनाने वाले का नाम	३१-१२-१९५८ को ऊपर का ढांचा बनाने के लिये कितनी मोटर गाड़ियां थीं	काल जिस बीच खरीदी गईं	ऊपर के ढांचे को बनाने के आर्डर की सभावित तारीख
१	२	३	४	५
३ टन ४×४ स्टुडबेकर	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	७८२	फरवरी ५८ जून ५८	३१–३–१९५९
३ टन ४×४ डाज	मेसर्स हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड	१९	मार्च ५८ अक्टूबर ५८	१५–२–१९५९
३ टन ४×४ डाज	मेसर्स हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड	७	मई ५४ मार्च ५५	३१–३–१९५९
१ टन ४×४ डाज	मेसर्स आनन्द आटोमोबाइल्स लिमिटेड	६२	सितम्बर ५७ जनवरी ५८	३१–३–१९५९
१ टन ४×४ डाज	मेसर्स आनन्द आटोमोबाइल्स लिमिटेड	११८	सितम्बर ५७ जनवरी ५८	२६–४–१९५९
३ टन ४×४ स्टुडबेकर	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, इशापुर	९६	फरवरी ५५ दिसम्बर ५६	३१–३–१९५९
	योग	१,१९४		

†मूल अंग्रेजी में

इसके साथ ही डिपो में लगभग ६५० नीचे के ढांचे रुके पड़े हैं जो पिछले युद्ध में हमें मिले थे और जिनके लिये ऊपर के ढांचे बनाने हैं। इन नीचे के ढांचों के साथ ही १९४८ से पहले की अतिरिक्त मोटरगाड़ियों के निबटारे के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) और (घ). स्टोर में नीचे के ढांचों की देख-रेख के लिये प्रत्येक संभव सावधानी बरती जा रही है इस कारण स्टोर में उन्हें बहुत कम हानि पहुंची है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है जो उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दुहरा करारोपण

†*४९२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन सरकार से दोनों देशों के बीच दुहरे करारोपण से बचने के बारे में एक करार करने के लिये पत्र-व्यवहार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार किस प्रकार का है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). १३ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया था उसमें ब्रिटेन से पत्र-व्यवहार सम्बन्धी वर्तमान स्थिति बताई गई है। इस मामले में और आगे कुछ भी प्रगति नहीं हुई है।

बीड़ी उद्योग

†*४९३. { **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री वारियर** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी अथवा सहकारी बीड़ी निर्माताओं के पास से निम्न कोटि की सिगरेट के साथ हानिकारक प्रतिद्वंदिता के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग को संरक्षण देने के लिये और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार के विचार से याचिका देने वालों की धारणा यह है कि उत्पादन शुल्क के कारण बीड़ी और निम्नकोटि की सिगरेटों में हानिकर प्रतिद्वंदिता चल रही है। गलत है क्योंकि सस्ती सिगरेटों पर हाथ से बनी बीड़ियों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन शुल्क लगता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†*४९४. { **श्री मं० रं० कृष्ण** : **श्री सिदय्या** : **श्री प्र० गं० देब** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निःशुल्क कानूनी सहायता की योजना से सभी राज्य सरकारों ने लाभ उठाया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार द्वारा अब तक इस प्रकार की कानूनी सहायता की व्यवस्था करने के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी राशि वितरित की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी योजनाओं से लाभ उठाये गये राज्यों के नाम तथा १६५६–५७ और १६५७–५८ में स्वीकृत राशि तथा १६५८–५६ में प्रस्तावित राशि स्वीकृत बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३५**]

छात्रवृत्तियां

†*४६५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १६५६–६० में मानवशास्त्र, विज्ञान और टेक्नालाजी में समुद्रपार देशों की छात्रवृत्तियों के अनुपात में कमी कर देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितने अनुपात की कमी की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नगरीय माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा

†*४६६. **श्री वोडयार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २०० नगरीय माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा देने की सुविधाओं की योजना में कटौती कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि इस योजना से बहुत कम राज्यों ने लाभ उठाया है इस कारण निश्चय यह किया गया है कि विद्यमान स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदलने की सामान्य योजना में मिला दिया जाये ।

समाज कल्याण परियोजनाएं

†*४६७. **श्री महन्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित लक्ष्यों में से महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष रूप से संगठित कल्याण सेवाओं के लिये समाज कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं की स्थापना में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६-५७ में ३३० कल्याण विस्तार परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस काल में केवल १०६ परियोजनायें आरम्भ की जा सकीं। कमी का प्रमुख कारण यह है कि व्यय का ५० प्रतिशत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और ५० प्रतिशत जनता के चन्दे और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता किन्तु जनता का चन्दा तत्काल प्राप्त नहीं हुआ।

अप्रैल, १९५७ से योजना का पुनरीक्षण किया गया और यह निश्चय किया गया कि सामुदायिक विकास खंडों में कल्याण विस्तार परियोजनाएं चलाई जायें क्योंकि विकास खंडों के विकास का काम सामुदायिक विकास मंत्रालय अपने हाथ में लेने वाला था। कल्याण विस्तार परियोजनाओं को सामुदायिक विकास में स्थित कर देने से तथा प्रथम प्रक्रम खंडों के बराबर चलने से, इस समय यह बता सकना संभव नहीं कि इसमें कुछ कमी हो जायेगी। सामुदायिक विकास तथा प्रथम प्रक्रम खंडों में इन परियोजनाओं को स्थापित करने से कुछ विलम्ब हो गया था। इसके कारण निम्न हैं :—

(१) बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों पर सामुदायिक विकास मंत्रालय ने अपनी मूलभूत योजना का पुनरीक्षण किया जिसके परिणामस्वरूप खंडों का अन्तिम आवंटन केवल अगस्त, १९५७ में किया गया।

(२) समायोजित किस्म की कल्याण विस्तार परियोजनाओं की योजना का व्योरा तैयार करने और सामुदायिक विकास मंत्रालय अन्तिम रूप से परामश करने में कुछ समय लग गया था।

(३) विस्तार में समझने के लिये राज्य बोर्डों को कुछ समय लगा था।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

हावड़ा में सीमा कर

†*४९८. **श्री हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा से भेजे गये सभी प्रकार के सामान पर सीमा कर लगाने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) इस कर से प्रति वर्ष कितनी आय होने का अनुमान लगाया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं।

(ख) लगभग ५० लाख रुपये।

कोयना परियोजना का पूरा होना

†*४९९. { **श्री गोरे** :
श्री आसर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कोयना परियोजना के पूरे होने के लिये वित्तीय सहायता देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितनी होगी ; और

(ग) सहायता किन शर्तों पर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने कोयना परियोजना के पूरी होने के लिये भारत को ऋण देने के प्रश्न पर विचार करना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) और (ग). ऋण के लिये अभी पत्र व्यवहार होना बाकी है ; इस कारण कितना ऋण मिलेगा या उसकी शर्तें क्या होंगी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन पर अभी पत्र-व्यवहार किया जायेगा ।

मैसूर में अनुसूचित जातियां

†*५००. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री १५ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में से उन समुदायों को निकाल देने के बारे में, जो अछूत नहीं हैं, अपनी सिफारिशें अथवा अन्तरिम उत्तर भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली में पुरातत्वीय संस्था

†*५०१. **श्री राम कृष्ण** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक पुरातत्वीय संस्था खोलने की योजना तैयार कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क). और (ख). पुरातत्वीय संस्था के लिये नहीं अपितु एक प्रशिक्षण स्कूल के लिये पाठ्यक्रम एवं अन्य ब्योरा तैयार कर लिया गया है किन्तु अभी तक वित्तीय उपबन्ध नहीं किया गया है ।

पटना में स्पोर्टस् स्टेडियम

†*५०२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित करने के लिये बिहार सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिये किये गये निवेदन पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह मामला अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के सामने विचार करने के लिये रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटी कोयला खानें

†*५०३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कोयला खानों को ऐच्छिक ढंग से मिला देने को बढ़ावा देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने कोई प्रस्ताव किया है अथवा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ग सिंह) :** (क) और (ख). समिति की शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३६] सरकार द्वारा विचार करने से पूर्व इसके कार्य के बारे में समिति को कोई प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक समिति को एच्छिक विलयन और सीमाओं के समायोजन संबंधी १६ आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं। कोयला खानों के पास से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख ३१ मार्च, १६५६ है।

कच्चे लोहे का निर्यात

†*५०४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्चे लोहे के आयात के लिये विदेशी बाजार का पता लगाने के लिये हाल में की गई कार्यवाही का व्योरा क्या है और इस बारे में कितनी सफलता मिली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** हमारे विदेश स्थित व्यापार मिशन के परामर्श से विदेशी बाजारों का अध्ययन कर लिया गया है। व्यापार के द्वारा कच्चा लोहा निर्यात करने के बारे में वार्ता की जा रही है। कच्चा लोहा निर्यात करने के बारे में २६-१२-५८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

बिक्री कर

*५०५. { **श्री बाजपेयी :**
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या वित्त मंत्री २८ नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये उन के बिक्री-कर में छूट देने की प्रस्थापना के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उत्तरों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां;

(ख) कुछ सम्बद्ध राज्य सरकारों ने यह इच्छा प्रकट की कि राजस्व की हानि के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाय, इसलिये यह विचार ही छोड़ दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

बंगलोर में वैमानिक अनुसन्धान संस्था

*५०६. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक गवेषणा परिषद् ने बंगलौर में एक वैमानिक अनुसन्धान संस्था खोलने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) एक ट्रांससोनिक सुपरसोनिक हवा-सुरंग स्थापित करने की मंजूरी कौंसिल आफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की गवर्निंग बाडी ने देदी है। इस में अन्दाज़न १ करोड़ रुपया खर्च होगा और यह प्रस्तावित राष्ट्रीय ऐरोनोटिकल रिसर्च लेबोरेटरी का बीज रूप होगी। इसके नक्शे का प्रारंभिक काम इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस बंगलौर में शुरू हो गया है। हवा-सुरंग बन जाने के बाद मुख्य प्रयोगशाला को स्थापित करने की योजना पर विचार होगा।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*५०७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ग्राम्य क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों को कुल कितने प्रतिशत अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ग्राम्य क्षेत्रों में काम करने वाले समाज कल्याण संगठनों को कोई अधिमान दिया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). प्रतिशत निकालना संभव नहीं है क्योंकि ग्राम्य क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों में स्पष्टतया अन्तर करना बड़ा कठिन है। फिर भी ग्राम्य क्षेत्रों के लिये बोर्ड ने एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसे कल्याण विस्तार परियोजनायें कहते हैं। इन पर लगभग ५.८ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। जब कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कुल ६.२ करोड़ रुपयों की राशि दी गयी है।

प्रशिक्षण नौकायें

†*५०८. { **श्री महन्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जनवरी, १६५७ में संभरण तथा निपटान के महानिदेशक के पास प्रशिक्षण नौकाओं के लिये आर्डर भेजे थे, परन्तु वे नौकायें वास्तविक उद्देश्यों को पूरा न कर सकीं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना निष्फल व्यय आया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) सरकार द्वारा १९५३ में निर्धारित किये गये स्केल के अनुसार, अर्थात् राष्ट्रीय सेना छात्र दल के नाविक विंग के एक सीनियर डिवीज़न के लिये तक २५ फुट की मोटर वोट और एक ३० फुट का सेलिंग कटर क्षेत्र चाहिये–सितम्बर, १९५६ में बिहार, आन्ध्र और नागपुर के राष्ट्रीय सेना छात्र दल के नाविक विंग के सीनियर डिवीज़न यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संभरण और निपटान के महानिदेशक को तीन मोटर वोटों और तीन सेलिंग कटरों के लिये आर्डर दिये गये थे ।

नवम्बर, १९५६ में सभी नाविक राष्ट्रीय सेना छात्र दल सर्किल कमाण्डरों की एक बैठक हुई जिस में प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपरोक्त प्रकार की निर्धारित मोटरवोटें और सेलिंग कटर राष्ट्रीय सेना छात्र दल के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त नहीं हैं ;

उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप फरवरी, १९५७ में पूर्ववर्ती संविदाओं को रद्द करने का प्रयत्न किया । परन्तु सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक ने कहा कि इस समय ऐसा करने का अर्थ निष्फल व्यय करना होगा । उस समय यह विचार करते हुए, कि जिस प्रकार की मोटर वोटों और सेलिंग कटरों के आर्डर दिये गये हैं वे इस समय नौ सेना द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे हैं, और वे उन्हें दिये जा सकते हैं; उन्हें उन संविदाओं को रद्द नहीं किया ।

(ख) कोई निष्फल व्यय नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस आर्डर के अनुसार तैयार होने वाली नौकायें नौ सेना के काम आ जायेंगी, और उससे सरकार को कुछ भी हानि नहीं हुई है ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ भुगतान शेष की स्थिति

†*५०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की पश्चिमी जर्मनी के साथ भुगतान शेष की स्थिति कैसी है; और

(ख) यदि स्थिति प्रतिकूल है तो अन्तर को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) उस समय तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, १९५८ में भारत की पश्चिमी जर्मनी के साथ भुगतान शेष की स्थिति यह थी कि हमारे चालू खाते में ५०·७ करोड़ रुपयों की कमी थी जब कि अप्रैल-सितम्बर, १९५७ में ७२·५ करोड़ रुपयों की कमी थी ।

(ख) किसी भी देश से अथवा किन्हीं देशों के समूह से भुगतान शेष में होने वाली कमी का तब तक कोई विशेष महत्व नहीं होता जब तक कि उस कमी को पूरा करने के लिये संसाधन उपलब्ध हों । उस कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) आयात पर कठोर नियंत्रण ;

(२) निर्यात संवर्धन और ;

(३) अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त करना ।

अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी

†*५१०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी लगी है ; और

(ख) इस समय अमरीकी पूंजी विनियोजन की क्या प्रगति है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) निम्नलिखित तिथियों को भारत में विनियोजित अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी की कुल राशि इस प्रकार थी :

३० जून, १६४८	. ११·१७ करोड़ रुपये
३१ दिसम्बर, १६५३	. ३०·०६ करोड़ रूपये
३१ दिसम्बर, १६५५	. ३६·७६ करोड़ रूपये
३१ दिसम्बर, १६५६	. ४६·८४ करोड रुपये

३० जून, १६४८ से पहले और १६५६ के बाद की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) भारत में अमरीकी पूंजी के विनियोजन की प्रवृति अच्छी है ।

केरल शिक्षा विधेयक

†*५११. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की विधान सभा ने उच्चतम-न्यायालय की राय के अनुसार केरल शिक्षा विधेयक का जैसा संशोधन किया था, उसे संशोधित रूप में उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है ;

(ख) वह यहां कब तक प्राप्त हुआ था ; और

(ग) क्या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां ।

(ख) १२ जनवरी, १६५६ को ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोयला खानें

†*५१२. श्री राम कृष्ण :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री दे० वे० राव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खानों के विकास के केन्द्रीय सरकार द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है; और

(ग) जनवरी, १९५९ के अन्त तक सिंगरेनी कोयला खानों को कुल कितनी राशि दी गयी है और कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है ?

†**इस्पात, खान** और ईंधन **मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश की सरकार से एक करार कर लिया गया है। करार का प्रारूप तैयार कर दिया गया है और उसे राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

(ख) उस करार के लागू हो जाने के बाद उस की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जनवरी, १९५९ के अन्त तक कोयला खान को ऋण के रूप में १० लाख रूपये दिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ६० लाख रूपयों की एक और राशि भी दे दी जायेगी। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक कोयला खान को ५४,३३,५४२ रुपयों की विदेशी मुद्रा दी गयी थी।

दुगदा का कोयला धोने का कारखाना

†*५१३. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगदा कोयला धोने के कारखाने के संविदा के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह संविदा किस फर्म से किया गया है, और

(ग) उसके लिये मशीनरी कब मंगवायी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स मेक्नाली पिट्सबर्ग इन्टर्नेशनल, यू० एस० ए०।

(ग) आशा है कि संयंत्र १९६० के अन्त तक काम करना शुरू कर देगा।

यूरोपीय मुद्राओं की निर्बाध परिवर्त्यता[1]

†*५१४. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस द्वारा किये गये 'फ्रैंक' के अवमूल्यन तथा अन्य यूरोपीय सरकारों द्वारा, जिन में ब्रिटेन भी सम्मिलित है, अपनी मुद्राओं की निर्बाध परिवर्त्यता के सम्बन्ध में घोषित अन्य उपबन्धों का भारत की अर्थ व्यवस्था अथवा भारत के विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की रोक थाम करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाजपत नगर (दिल्ली) में उपद्रव

†*५१५. **श्री बाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जनवरी, १९५९ को दिल्ली के लाजपत नगर में भीड़ भाड़ के हटाने के लिये पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था और अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का व्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) ११ जनवरी, १९५९ को लाजपत नगर की केन्द्रीय मार्केट में एक दुर्घटना हो गयी थी ; जब कि कुछ एक शरारती लोगों ने नारे और विरोधी नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये और एक दूसरे पर ईंटें फैंकनी शुरू कर दीं। स्थिति को काबू में लाने के लिये पुलिस को अश्रु गैस छोड़नी पड़ी। वहां पर लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा १४८ / १४९ / ४५२ / ३०७ के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया था, और उस के बारे में पुलिस अब जांच कर रही है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Free Convertibility of European Currencies

डीजल आयल

†*५१६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आन्तरिक प्रयोग के लिये कुल कितने 'डीजल आयल' की जरूरत है ; और

(ख) क्या वर्तमान तीन तेल शोधन कारखानों से ही यह मांग पूरी करना संभव नहीं है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) लगभग १५ लाख टन।

(ख) यद्यपि तीनों तेल कारखानों ने १९५८ में करारों में निर्धारित मात्राओं से लगभग दुगने तेल का उत्पादन किया था, तो भी उन से देश की सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकती।

विमान

†*५१७. **श्री महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५६–५७ में विमान के पुर्जों के संभरण के लिये विदेशी गैर-सरकारी निर्माताओं से कोई संविदा किये थे ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी कीमत के पुर्जों के लिये आर्डर दिये गये थे और उन में से कितनों के सम्बन्ध में संभरण हो चुका है ;

(ग) क्या उन में से कुछ पुर्जे बाद में फालतू घोषित कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो फालतू पुर्जों का निपटारा कैसे किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विश्व बैंक की टीम

†*५१८. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का निश्चय करने के लिये देश की आर्थिक स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिये विश्व बैंक के पदाधिकारियों का एक दल भारत आया था ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : गत मास विश्व बैंक के दो पदाधिकारियों का एक दल भारत आया था। यह तो विश्व बैंक की एक रीति है कि वह इस प्रकार के समय समय पर अध्ययन दल भेजता है ताकि ऋण प्राप्त करने वाले देशों की आर्थिक स्थिति की जांच की जा सकें। यह दल भारत इसलिये आया था ताकि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति की जांच की जा सके और इस बात की भी जांच की जा सके कि १९५८ में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई थी। इसके लिये दल ने भारत की

† मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया था और इस बात की भी जांच की थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में भारत को इसकी कितनी आवश्यकता है।

भिलाई इस्पात परियोजना में सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी

†५५८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात परियोजना में कितने सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ३१ जनवरी, १९५९ तक भिलाई इस्पात परियोजना में ७१ सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया था।

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†५५९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कौन-कौन से शिष्टमण्डल भारत आये थे ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सांस्कृतिक शिष्टमंडल पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३७**]

पंजाब उच्चन्यायालय में लेख याचिकायें

†५६०. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में पंजाब उच्चन्यायालय द्वारा कितनी लेख याचिकायें और बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन पत्र स्वीकार किये गये थे ;

(ख) उन में से कितने निपटा दिये गये थे और कितने अभी अनिर्णीत अवस्था में हैं ; और

(ग) कितने मामलों में निर्णय सरकार के विरूद्ध हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्त्री शिक्षा

†५६१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में संघ राज्य-क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने के लिये अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ; और

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये द्वितीय योजना काल की शेष अवधि में क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चार संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 'लड़कियों की शिक्षा और स्त्री शिक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तार' नामक एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

१. नये स्कूल खोलना।

२. सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अधीन साक्षरता आन्दोलन।

३. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभागों के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।

४. महिला कालेजों के लिये होस्टल बनवाने के लिये ऋण देना।

५. विभिन्न हाई स्कूलों में गृह-विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना।

६. महिला शिक्षकों की नियुक्ति।

७. लड़कियों के स्कूलों में अतिरिक्त सामान, विज्ञान का सामान और पुस्तकालय की पुस्तकों का संभरण।

८. लड़कियों की कुछ संस्थाओं के उद्योग धंधे को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना।

९. ग्राम्य क्षेत्रों में स्त्रियों के लिये चलते फिरते जनता कालेज स्थापित करना।

१०. स्त्रियों के लिये समाज शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

११. प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में, जूनियर बेसिक स्कूलों को सीनियर बेकिस स्कूलों में, मिडल स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में और कुछ हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बदलना।

१२. कुछ एक कोर्सों के लिये स्त्रियों को गैर-कालेज विद्यार्थियों के रूप में दाखिल करना।

(ख) वर्तमान उपाय जारी रहेंगे और अतिरिक्त उपाय हाल ही में स्थापित की गयी राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिशों पर निर्भर करेंगे।

पंजाब में स्थानीय निकायों के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन क्रम

†५६२. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्थानीय निकायों के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन क्रमों को बढ़ाने की योजना को सम्मिलित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार को केन्द्र की ओर से कितनी राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष (१९५८-५९ में) केन्द्रीय सहायता देने के सम्बन्ध में जारी की गयी नयी प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक योजना के लिये राज्य सरकारों को अलग-अलग केन्द्रीय सहायता नहीं दी

---

† मूल अंग्रेजी में

जाती । उसके स्थान पर अब एक मुश्त 'अर्थोपाय पेशगियां', जो कि विकास के सभी सेक्टरों के लिये केन्द्र की ओर से दी जाने वाली सहायता की ३/४ होती है, प्रतिमास बकाया की किस्तों में दी जायेंगी और वह देनगी मई, १९५८ से प्रारम्भ कर दी गयी है । किसी भी राज्य सरकार को दिये जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों की राशि का हिसाब वर्ष के चौथे तिमाही में फैलाया जायेगा । यह हिसाब पहली तीन तिमाहियों में हुई वास्तविक प्रगति व चौथी तिमाही के प्राक्कलन के आधार पर फैलाया जायेगा, अतः 'भुगतान मंजूरी' इस जानकारी के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी ।

मंत्रालयों की स्वविवेक निधियां

†५६३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की स्वविवेक निधियों में से पंजाब राज्य की संस्थाओं / व्यक्तियों को कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३८]**

ब्रिटेन से सामान की खरीद

†५६४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में ब्रिटेन से कुल कितनी कीमत का सामान खरीदा गया था ; और

(ख) १९५९-६० में कितनी कीमत का सामान खरीदने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९५७-५८ में ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग द्वारा ८०४०·६० लाख रुपयों का सामान खरीदा गया था । इसमें इंगलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों से खरीदा गया सामान सम्मिलित है । इंगलैंड से खरीदे जाने वाले सामान के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) १९५९–६० में खरीदे जाने वाले सामान के आंकड़े इस समय बताना कठिन है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगामी वर्ष के लिये कितनी राशि उपलब्ध होगी ।

बम्बई उच्चन्यायालय में आयकर के मामले

†५६५. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में बम्बई उच्चन्यायालय और न्यायाधिकरण में आयकर के कितने मामले दायर किये गये थे ; और

(ख) अभी तक उन में से कितने मामले निपटा दिये गये हैं ;

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

	(१)	बम्बई उच्च न्यायालय में .	१४०
	(२)	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में	२५१०
(ख)	(१)	उच्च न्यायालय द्वारा	११८
	(२)	न्यायाधिकरण द्वारा	२००६

† मूल अंग्रेजी में

बम्बई में आयकर दाता

†५६६. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में इस समय प्रत्येक ज़िले में कितने-कितने आयकर दाता हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३९]**

गैर-सरकारी ब्रिटिश फर्मों द्वारा भारत में धन विनियोजन

†५६७. { **श्री पांगरकर :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ म गैर-सरकारी ब्रिटिश फर्मों द्वारा भारत के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितना धन विनियोग किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उपलब्ध जानकारी निम्न विवरण में दे दी गई है । विवरण में यह भी बताया गया है कि उन वर्षों में इंगलैंड के निवासियों को कितने अश आवंटित किये गये हैं। परन्तु ये आंकड़े—विशेष रूप से १९५८–५९ के आंकड़े—अपूर्ण हैं । वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, जिससे यह पता चल सकेगा कि इन दो वर्षों में ब्रिटेन से कितनी पूंजी प्राप्त हुई, अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

	१९५७–५८	१९५८–५९ (अप्रैल–अक्तूबर, १९५८)
इंगलैंड के निवासियों को आवंटित अंश . .	३,४२ लाख रूपये	१,१७, लाख रूपये*

टिप्पण : उक्त आंकड़े अस्थायी हैं । इन में निम्न लिखित आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं :—

(क) ब्रिटिश कम्पनियों की ब्रान्चों में धन विनियोग ।

(ख) प्रतिधृत लाभों के रूप में धन विनियोग ।

(ग) वस्तुओं के रूप में धन विनियोग ।

रूरकेला संयंत्र

†५६८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में धमन भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) के विदेशी ठेकेदार को विदेशी कर्मकार रूरकेला भेजने के लिये ५.७५ लाख रूपये अदा किये गये हैं ; और

† मूल अंग्रेजी में

*आंकड़े अपूर्ण हैं क्योंकि इस अवधि में किये गये धन विनियोग के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). धमन भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) बनाने वाले ठेकेदार को ५·७५ लाख रूपये दिये गये थे जिस से विदेशी ठेकेदार द्वारा भेजे गये जमर्न दक्ष कर्मचारियों की मजूरी, बीमा और चिकित्सा आदि पर होने वाला खर्च किया जा सके। ठेकेदार को दी गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग इसी प्रयोजन के लिये किया गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन समितियां तथा आयोग

†५६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त से दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन किस-किस समिति और आयोग ने काम किया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

(१) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ (५) के अनुसरण में स्थापित की गयी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति।

(२) अखिल भारतीय जेल नियमिक समिति।

(३) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड।

(४) केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड।

(५) पूर्वत --अभिपत्र समिति।

(६) नियम पुनरीक्षण समिति।

(७) स्थायी 'फायर एडवाइजरी कमेटी'।

(८) दिल्ली मंत्रणा समिति।

(९) हिमाचल प्रदेश मंत्रणा समिति।

(१०) मनीपुर मंत्रणा समिति।

(११) त्रिपुरा मंत्रणा समिति।

(१२) १७ अगस्त, १९५८ तथा उसके बाद के कुछ दिनों में दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में जल संभरण के भंग हो जाने के कारणों के सम्बन्ध में जांच करने वाली समिति।

(१३) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के श्रमिक बस्तियों की विद्यमानता और विकास की समस्या पर विचार करने और इस बारे में सुझाव देने वाली समिति।

भारतीय मिशनों में सांस्कृतिक सहचारी[1]

†५७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेशी मिशनों में कुल कितने सांस्कृतिक सहचारी हैं ;

(ख) उन में से ऐसे कितने सहचारी हैं जो कि उन-उन देशों की भाषायें जानते हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है जिस से कि सांस्कृतिक सहचारी उस-उस देश की भाषा को सीख सकें जिन देशों में वे नियुक्त हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) इस समय हमारे विदेशी मिशनों में सांस्कृतिक सहचारियों के कोई अलग पद नहीं हैं। हमारे शिक्षा तथा प्रचार पदाधिकारी ही सामान्यतया सांस्कृतिक कार्यों को पूरा करते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Cultural Attaches

मध्य प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†५७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश के पुरातत्वीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां । सर्वेक्षण का काम हो रहा है ।

(ख) १९५७–५८ में १२५२ ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर, १९५८ तक १२८० ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया है ।

दिल्ली की बाढ़ें

†५७२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की बाढ़ों की रोक थाम करने के लिये स्थापित की गयी सहायता समिति के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : दिल्ली सहायता समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :

(१) हाल ही की भारी बाढ़ों में जिस स्थान के मकान नष्ट भ्रष्ट हो गये थे या जिन्हें गिराना पड़ा था, उनकी एक पूरी सूची तैयार कर ली गयी है और उन स्थानों के अधिग्रहण के लिये वह सूची दिल्ली विकास प्राधिकार के पास भेज दी गयी है ।

(२) बाढ़ों के दौरान जिन लोगों के घर नष्ट हो गये थे, उनके आवेदन पत्रों की जांच की गयी और वे आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकार को भेज दिये गये ताकि उन्हें झिलमिला और ताहिरपुर में बसाया जाये। प्राधिकार में २३६ परिवारों को स्थान आवंटित कर दिया है और वे लोग अब वहाँ के क्वाटरों में रह रहे हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

†५७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय, उसके अधीनस्थ दफ्तरों तथा सेना मुख्यकार्यालय में हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रतिरक्षा कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). जिस पहले के प्रश्न की ओर निर्देश किया गया है उसके उत्तर में जिन-जिन प्रयत्नों, प्रक्रियाओं और रीतियों का उल्लेख किया गया था, वे सभी जारी हैं। सशस्त्र बल के पदाधिकारियों के लिये हिन्दी सीखना अनिवार्य है आदेश के शब्द भी अब हिन्दी में बना लिये गये हैं। प्रतिवर्ष इस बात की जांच की जाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि विशेष क्षेत्रों जैसे हिन्दी की शिक्षा, प्रशिक्षण नियम पुस्तकों आदि के हिन्दी में अनुवाद करने की दृष्टि से कितनी प्रगति हुई है और उसका हिसाब प्रतिरक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया जाता है जो कि आयव्ययक सत्र में संसद् सदस्यों के पास भेजा जाता है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†५७४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन राज्यवार कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था;

(ख) इस योजना के अधीन अभी तक कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(ग) इस योजना के अधीन राज्यवार कितने स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १-१२-५८ को योजना के अधीन जो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनकी संख्या इस प्रकार से है:—

दिल्ली	१८,२०८
पंजाब	३५,७१५
मध्य प्रदेश	२,८४३
उत्तर प्रदेश	४,८०२
बम्बई	६६,७१४
जम्मू और काश्मीर	१२,८७८
पश्चिमी बंगाल	२२,६३२
कुल	१,६३,७९२

(ख) ३,४६,००० ।

(ग)

दिल्ली	१९
पंजाब	५७
मध्य प्रदेश	४
उत्तर प्रदेश	१३
बम्बई	१३९
जम्मू और काश्मीर	२०
पश्चिमी बंगाल	४०
कुल	२९२

†मूल अंग्रेजी में

टिप्पणी: उक्त आंकड़ों में उन विद्यार्थियों की संख्यायें बतायी गयी जो कि केन्द्रीय सरकार के शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई और पंजाब सरकारों ने अपना प्रबन्ध भी किया हुआ है जिसमें वे शिक्षा मंत्रालय की सामान्य देखरेख में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिये दोनों राज्यों को क्रमशः ५ लाख और २ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

पंजाब में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†५७५. **श्री दी० ०शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में पुरातत्वीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों तथा पुराने मन्दिरों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में और कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में राष्ट्रीय महत्व के भवनों की सूची तैयार कर ली है; और

(ग) यदि हाँ, तो वह सभा-पटल पर कब रखी जायेगी?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अगस्त, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक की अवधि में २२१ और ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया।

(ख) अभी नहीं।

(ग) यह प्रश्न अभी तो उत्पन्न नहीं होता।

उच्चतम न्यायालय में मामले

†५७६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले दायर किये गये थे। जिनमें महान्यायवादी और महाअभ्यर्थी को स्वयं न्यायालय में ;

(१) राज्य सरकारों के विरुद्ध;

(२) श्रमिकों और मालिकों के मामलों में श्रमिकों के विरुद्ध पेश होना पड़ा था; और

(ख) कितने मामलों में रोधनादेश जारी किये गये थे?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) और (ख). सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन मामलों में भारत के महान्यायवादी और महाअभ्यर्थी प्राइवेट पार्टियों के वकीलों के रूप में पेश हुए थे।

औद्योगिक विवाद

†५७७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६, १९५७, और १९५८ में औद्योगिक विवादों से उत्पन्न होने वाले कितने मामले उच्चतम न्यायालय में दर्ज किये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने मामलों को निपटा दिया गया था;

(ग) इस समय कितने मामले अनिर्णीत अवस्था में हैं; और

(घ) कितने मामलों में (१) श्रमिकों के विरुद्ध और (२) प्रबन्धकों के विरुद्ध दिये गये कितने रोधनादेश अभी तक लागू हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) १९५६, १९५७ और १९५८ में उच्चतम न्यायालय में क्रमशः २४, ११५ और १०९ मामले दर्ज किये गये थे।

(ख) उनमें से १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ४, ३२ और ४० मामले निपटाये गये थे।

(ग) उपरोक्त भाग (२) में बताये गये कुल मामलों में से १ फरवरी, १९५९ को कुल १७२ मामले अनिर्णीत अवस्था में थे, उनमें से ५ मामले १९५६ के, ७५ मामले १९५७ और ९२ मामले १९५८ के हैं।

(घ) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

वाणिज्यिक बैंक

†५७८. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक द्वारा १९५८ में राज्यवार कितने और किन–किन वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण किया गया था;

(ख) राज्यवार कितने और किन-किन बैंकों के मामलों में अव्यवस्था पायी गयी हैं;

(ग) राज्यवार कितने और किन-किन बैंकों को चेतावनी दी गयी है; और

(घ) राज्यवार कितने और किन-किन बैंकों के लाइसेन्स कैंसल कर दिये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). सभा–पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें यह बताया गया है कि राज्यवार कितने बैंकों का निरीक्षण किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप क्या-क्या कार्यवाही की गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबध संख्या १४०]** जिन-जिन बैंकों का निरीक्षण किया गया अथवा जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, उनके नाम बताना उचित नहीं हैं।

सहकारी बैंक

†५७९. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में रिजर्व बैंक द्वारा राज्यवार कितने और किन-किन सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया था;

(ख) राज्यवार कितने और किन–किन सहकारी बैंकों का काम असन्तोषजनक पाया गया; और

(ख) उनके सुधार के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिसमें यह बताया गया है कि १९५८ में कितने सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया था। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४१]** जिन बैंकों का निरीक्षण किया गया है उनके नाम बताना उचित है ।

(ख) सहकारी समितियों का लेखापरीक्षा वर्गीकरण इस दृष्टि से नहीं किया जाता कि किन का काम सन्तोषजनक रहा है और किन का नहीं। क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण एक ऐसे प्रबन्ध पर निर्भर करता है जिसे कि समितियों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है और उसका उददेश्य व्यापक स्वरूप का है, अर्थात् सहकारी ऋण के ढांचे में कैसे सुधार किया जाये, इसलिए प्रस्थापित ढंग से वर्गीकरण करना कठिन है।

(ग) नियमानुसार किसी भी सहकारी समिति में देखी गयी कमियों के सम्बन्ध में उसे सूचित कर दिया जाता है और वह समिति कुछ-कुछ समय के उपरान्त इस सम्बन्ध में निरन्तर रिपोर्ट भेजती रहती है कि कमियों को दूर करने में कितनी प्रगति हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा बाद में किये जाने वाले निरीक्षणों में भी इस बात की जांच की जाती है कि वे कमियां कहां तक दूर कर दी गयी हैं।

हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति बोर्ड

†५८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने यह सुझाव दिया है कि एक नियुक्ति बोर्ड की स्थापना की जाये जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हों; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में कृषि आयकर न्यायाधिकरण

†५८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कोई कृषि आयकर न्यायाधिकरण है; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में इसकी कितनी बैठकें हुईं थीं और उनमें कितने मामलों के निर्णय किये गये थे?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में कृषि आयकर नहीं लिया जाता। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षक-प्रशिक्षण

†५८२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार शिक्षक-प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्नातकों को वृत्तियां देने के लिये राज्य सरकारों को कोई राजकीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में किस-किस राज्य को कितनी-कितनी सहायता दी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पठानकोट की दुर्घटना

†५८३. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि २६ जनवरी, १९५९ को पठानकोट से लगभग २५ मील की दूरी पर धर्मशाला रोड पर जो दुर्घटना हुई थी और जिसमें ६ सैनिक मारे गये थे और ९ जख्मी हुए थे, का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : २६ जनवरी, १९५९ को लगभग ११-१५ बजे एक सैनिक मोटर गाड़ी (३ टन की लारी) जिसे एक सैनिक चला रहा था, और जो उस 'कनवाय' के साथ जा रही थी। जिसमें सैनिक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर होशियारपुर जा रहे थे, के साथ पठानकोट धर्मसाला रोड पर दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गयी। मोटर गाड़ी एक खाई में गिर गयी जिसके परिणामस्वरूप ६ व्यक्ति तत्काल मर गये तथा अन्य ९ लोगों के चोटें आयीं। घायल व्यक्तियों को तत्काल सैनिक अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उनमें से एक की चोटों के कारण २७ जनवरी, १९५९ को मृत्यु हो गयी। दुर्घटना के कारण की जांच एक जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है।

छात्रावास

†५८४. **श्री सिदय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री २५ सिदम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रावास बनवाने के लिये किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं;

(ख) अनुदान देने से पहले किन-किन शर्तों को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या वे छात्रावास कालिजों के विद्यार्थियों के लिये हैं अथवा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये;

(घ) क्या १९५८-५९ में मैसूर की किसी संस्था ने उसके लिये आवेदन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या-क्या नाम हैं और उन्हें अनुदान न देने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४२]**

मैसूर को लोहे और इस्पात का संभरण

†५८५. **श्री सिदय्या** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के लिये अप्रैल-अक्तूबर, १९५८ में आवंटित सारा लोहा और इस्पात भेज दिया गया है,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). मैसूर राज्य को सितम्बर में भेजे गये लोहे और इस्पात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आवंटन और संभरण के बीच कुछ समय लग जाता है इस कारण किसी काल में किया गया आवंटन उसी काल में नहीं भेज दिया जाता और कभी-कभी जो माल भेजा जाता है वह पिछले आवंटन का होता है।

(ग) इस्पात को भेजने में विलम्ब का कारण उसकी बढ़ती हुई मांग है। इसका एक कारण यह भी है कि देश में इसका अभी इतना उत्पादन नहीं होता कि मांग पूरी हो सके तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात भी कम ही होता है।

मैसूर उच्चन्यायालय

†**५८६. श्री सिदय्या**: क्या गृह-का मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर उच्चन्यायालय में लेख याचिकाओं और बन्दी प्रत्यक्षीकरण संबंधी कितने आवेदन स्वीकृत किये गये, इस बारे में अब जानकारी उपलब्ध है; और

(ख) क्या वह सभा-पटल रखी जायेगी?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

	१-४-४७ से ३१-३-५८ तक स्वीकृत	१-४-५८ से ३१-१०-५८ तक स्वीकृत	१०-१२-५८ तक निबटाये गये	१०-१२-५८ तक अनिर्णीत	जिनमें निर्णय सरकार के विरुद्ध दिया गया
लेख याचिकायें	१४६	१५४	१२०	१८०	६१
बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदनपत्र	३४	—	३४	—	२४

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†**५८७. श्री सिदय्या**: क्या गृह-कार्य मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चुनाव वाले पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मांगी गई जानकारी न तो उपलब्ध है और न ही उसके संकलन से उतना लाभ होगा जितना कि समय और श्रम उसमें लगेगा।

†मूल अंग्रेज़ी में

मैसूर में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम क अधीन चलाये गये मुकदमे

†५८८. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया और कितने छोड़ दिये गये?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जानकारी मैसूर सरकार से प्राप्त की जा रही है जो प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में अनुसूचित जातियां

†५८९. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में मैसूर सरकार का प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया गया है:—

विवरण

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	व्यय की गई राशि	वास्तव में प्राप्त लक्ष्य	टिप्पण
१. गृह–निर्माण (बस्ती बसाने को शामिल कर)	३ · १२	७११ मकान	कृषि बस्तियों में सड़कों और सफाई संबंधी कुछ निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।
२. पीने के पानी के कुयें	० · २८६	१७ कुएं बन चुके हैं और ५ बनाये जा रहे हैं ।	
३. सामुदायिक केन्द्र एवं स्कूल की इमारतें	० · १४३	५ केन्द्र खोले गये हैं और ४ इमारतें बनवाई जा रही हैं ।	

†मूल अंग्रेजी में

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	व्यय की गई राशि	वास्तव में प्राप्त लक्ष्य	टिप्पण
४. कुटीर उद्योग	०.१४	३ सहकारी समितियों की स्थापना की जा चुकी है और २६ परिवारों को व्यवसाय मिल चुका है।	
५. कृषि	१.६७८	४०५ बैलों की जोड़ियां खरीदी गईं। जानवरों के रहने के लिये एक शेड बनवाया गया और १२६ परिवारों को कृषि सहायता दी गई है।	

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आदर्श गांव

†५६०. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८–५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आदर्श गांव की स्थापना करने के कार्यक्रम को चलाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : एक विवरण नीचे दिया है :—

विवरण

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	पिछड़े वर्गों की श्रेणी का नाम	१९५८–५९ में आदर्श गांवों के लिये आवंटित राशि
			(रुपये लाखों में)
१.	आसाम	अनुसूचित आदिम जातियां	१.६०
२.	मध्य प्रदेश	अनुसूचित आदिम जातियां	०.६०
३.	केरल	अनुसूचित आदिम जातियां	५.००

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियां

†५९१. { **श्री सिदय्या :**
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे जातियां कौन-कौन सी हैं जो अस्पृश्य नहीं हैं किन्तु जो प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जहां तक भारत सरकार को पता है मैसूर राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में, निम्न जातियां, जो अस्पृश्य नहीं हैं, शामिल कर ली गई हैं:—

१. बंजारा अथवा लम्बानी

२. भोवी

३. गांटी चोरे

४. हंडी जोगी

५. केम्पारीस

६. कोरछा

७. कोरमा

८. शिल्लेक्याथा

९. सुदुगादासिद्धा

(ख) ये जातियां तब तक अनुसूचित जातियों की सूची में से नहीं निकाली जा सकतीं जब तक कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूची रूपभेद आदेश, १९५६ पर पुर्नविचार के लिये संसदीय विधान न हो। इस प्रकार का पुनरीक्षण करने का विचार है और राज्य सरकारों / संघ प्रशासनों से इन सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में अपने अपने प्रस्ताव भेजने का निवेदन किया गया है। मैसूर सरकार से विशेष रूप से यह निवेदन किया गया है कि सूचियों के पुनरीक्षण के अपने प्रस्ताव भेजते समय वह इन जातियों को उसमें न शामिल करें। सभी राज्य सरकारों / संघ प्रशासनों से यह भी निवेदन किया गया है कि किसी ऐसी जाति को वे शामिल न करें जो अस्पृश्य न हो और अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की जाने योग्य न हो। इसके साथ ही जो जाति सूची में पहले से ही शामिल की जा चुकी है उसे उसमें से निकाल देने की सिफारिश करे।

मैसूर में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†५९२. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें मैसूर सरकार ने कार्यान्वित कर दी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग). राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश संख्या २, ३(२), ३(३), ३(४) और ५ पर मैसूर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी सभा-पटल पर प्रश्न संख्या १२७२ के उत्तर में रख दी गई थी, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। जहां तक राज्य सरकार से संबंधित अन्य सिफारिशों का संबंध है, मैसूर सरकार से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

झंडा दिवस

†५९३. { श्री प्र० क० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ५ दिसम्बर, १९५८ को झंडा दिवस पर कुल कितनी राशि जमा की गई; और

(ख) प्राप्त की गई राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। ५ दिसम्बर, १९५८ को राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को झंडा दिवस के लिये चन्दा जमा करने की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था उनसे आशा की जाती है कि वे ३१ मार्च, १९५९ तक कुल प्राप्त राशि बता देंगी।

(ख) झंडा दिवस पर जिस प्रकार राशि जमा की जाती है, उसका आवंटन होता है और उपयोग किया जाता है । उसके बारे में लोक-सभा में २० दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर के भाग (ख) में बताई जा चुकी है और उसका उल्लेख ९ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ के अनुपूरक प्रश्नों से उत्पन्न आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये लोक-सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में भी किया जा रहा है। ५ दिसम्बर, १९५८ को झंडा दिवस पर जितना चन्दा जमा किया गया है उसका आवंटन और उपयोग भी उसी प्रकार किया जायेगा जब तक कि झंडा दिवस निधि प्रबन्धक संस्था उसमें कुछ परिवर्तन करने का निश्चय न करे।

लौह अयस्क का जापान को निर्यात

†५९४. { श्री प्र० क० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान की सरकार और भारत सरकार के बीच प्रतिवर्ष २० लाख टन लौह अयस्क जापान को निर्यात करने के बारे में जो करार हुआ है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अयस्क किस दर पर दिया जायेगा; और

(ग) खान संबंधी सामान के लिये जापान के ८० लाख डालर के दीर्घकालिक ऋण के आस्थगित भुगतान की शर्तें क्या हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). १९ मार्च, १९५८ का करार ज्ञापन लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४३]**.

(ग) येन ऋण की शर्तों के बारे में वास्तव में ऋण लेना आरम्भ करने के समय पत्र-व्यवहार किया जायेगा।

राज्यों को ऋण

†५९५. **श्री प्र० क० देव :**
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितना ऋण दिया गया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४४]**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि

†५९६. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों को भूमि की आवंटन संबंधी जानकारी अन्य राज्यों से जिनमें मैसूर भी शामिल हैं, प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा-पटल पर रखी जायेगी?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४५]** अनुसूचित जातियों के लिये भूमि आवंटन संबंधी जानकारी के बारे में उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पांडिचेरी, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पांडिचेरी और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को डाक्टरी सहायता

†५९७. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई योजना १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये डाक्टरी सहायता देने की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये किस प्रकार की सहायता दी जायेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसी कोई योजना मंजूर की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार की योजनाओं पर हुये व्यय का ५० प्रतिशत और केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार उठाती है।

(ग) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय,[1] बड़ौदा

†५६८. **श्री क० उ० परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय, बड़ौदा, में इस समय प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से श्रेणीवार, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये जितना प्रतिशत निश्चित है, उतने लोग लिये जा चुके हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सम्पत्ति का ब्यौरा

†५६६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम, १९५५ के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को दहेज स्वीकार करने, चल सम्पत्ति खरीदने जैसे आभूषण आदि और भमि, इमारत तथा अन्य पदार्थ खरीदने के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में सरकार को ऐसी कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई है ;

(ग) उनमें से उपर्युक्त नियमों का पालन न करने के कितने मामलों की जानकारी की गई है और किन लोगों के द्वारा; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

[1]Central Excise Collectorate.

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भूतत्वीय विभाग में प्रशिक्षित कर्मचारी

†६००. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारत में भूतत्ववेत्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्थायी प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने का कोई विचार है?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को इस विभाग में काम देने के लिए बाहर के प्रशिक्षित लोगों की हाल में कमी महसूस हो रही है। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने विश्वविद्यालयों के कनिष्ट प्राध्यापकों के लिये एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय कार्य के बारे में जो शिक्षा दी जाती है उसमें सुधार करना है। इसके साथ ही लगभग १०० स्नातकोत्तरों को भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के पदाधिकारियों से ५-६ महीने प्रशिक्षण दिलाने की भी योजना है।

२. चूंकि विश्वविद्यालय काफी संख्या में भूतत्वीय स्नातक तैयार कर रहे ह, इस कारण अलग प्रशिक्षण कालेज खोलने का कोई विचार नहीं है। विश्वविद्यालय के स्नातकों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण में वृद्धि करने की योजनाएं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा चलाई जा चुकी हैं जिसका उल्लेख उपर्युक्त पैरा १ में किया जा चुका है।

छुट्टियों में यात्रा करने की रियायत

†६०१. श्री अ० मु० तारिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को श्रीनगर तक छुट्टियों में यात्रा करने की रियायत देने से इन्कार किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय से प्रार्थना की गई है कि छुट्टियों में यात्रा करने की रियायत की योजना को और उदार बनाया जाये; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कितने ऐसे कर्मचारियों ने जिनका घर श्रीनगर में है दिसम्बर, १९५८ की समाप्ति तक इस रियायत से लाभ उठाया है?

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अवकाश यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत रेल में यात्रा करने पर ही रियायत दी जाती है। इसलिये श्रीनगर जाने वाले व्यक्तियों को केवल पठानकोट तक रियायत दी जायेगी।

(ख) जी हां। इस रियायत को अधिक उदार बनाने का मामला वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

(ग) जानकारी एकत्र करके यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग

†६०२. श्री केशव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में प्रादेशिक–प्रशासन में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ; और

(ख) अन्तर्राज्यिक तथा अखिल भारतीय आधार पर हिन्दी का प्रयोग करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १४६]

जीवन बीमा निगम

†६०३. { श्री केशव :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब से जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई है तब से वर्षवार, प्रदेश और क्षेत्रवार कितना नया व्यापार किया गया है, और

(ख) उसी अवधि में कितना कारोबार व्यपगत हुआ था?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	१-८-५६ से ३१-१२-५६	१९५७	१९५८ (२६-१-५९ तक समायोजित)
उत्तरी	८.११	३३.८९	३९.२१
मध्य	९.४२	३५.७१	४१.३०
पूर्वी	८.७४	६८.०५	६८.४१
दक्षिणी	१३.३४	७४.१४	८४.३४
पश्चिमी	११.९७	६४.७१	७५.७९
विदेशी	३.१९	५.४०	४.८०
कुल	५४.७७	२८१.९०	३१३.८५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (आश्वासित राशियां और अधिलाभांश)

उत्तरी	४·०६	१०·६२	अभी निगम का १९५८ का
मध्य	०·२२	३·०५	लेखा तैयार नहीं हुआ
पूर्वी	१२·३८	३५·१३	है इसलिये जानकारी
दक्षिणी	३·२४	१४·०७	उपलब्ध नहीं है।
पश्चिमी	२४·६९	५२·७५	
विदेशी	कुछ नहीं*	०·२६*	
कुल	४४·५९	११५·८८	

*इन आंकड़ों का सम्बन्ध विदेशी राजक्षेत्रों में निगम के नये कारोबार से है। क्षेत्रों के अधीन विदेशी कारोबार के वर्तमान यूनिटों में जो कारोबार व्ययगत हुआ है उसके आंकड़े क्षेत्रों में शामिल हैं।

इस्पात कारखानों के श्रमिकों के लिये क्वार्टर

†६०४. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** ३० अगस्त, १९५८ के पश्चात् भिलाई और दुर्गापुर में ये क्वार्टर बने हैं:—

भिलाई—३,३७१ अस्थायी
—१,१७४ स्थायी
दुर्गापुर—१,११३ स्थायी

सशस्त्र बल के लिए खरीदे गये विमान

†६०५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में सशस्त्र बल के लिये कितने विमान खरीदे गये; और

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) और (ख). यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

पंजाब की प्रादेशिक भाषायें

†६०६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य को

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये सहायक अनुदान देने का मामला किस अवस्था में है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: हिन्दी विश्वकोष क प्रथम खंड को पंजाबी में तैयार करके प्रकाशित करने पर होने वाले खर्च का ५० प्रतिशत इस वर्ष अनुदान के रूप में देने का निर्णय किया गया है।

पश्चिमी जर्मनी की छात्रवृत्तियां

†६०७. **श्री राम कृष्ण**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी जर्मन सरकार (हैम्बर्ग चैम्बर आफ कामर्स) ने भारतीय राष्ट्र-जनों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये जो छात्रवृत्तियां दी थीं उन सब का प्रयोग किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) नहीं श्रीमान।

(ख) अभी तक उपयुक्त उम्मीदवार काफी संख्या में नहीं मिले हैं।

आंध्र प्रदेश में कोयला

†६०८. **श्री नागी रेड्डी**:
श्री दे० वें० राव:

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कोयले वाला कितना क्षेत्र है और वहां से कितना कोयला निकाला जा सकता है;

(ख) इसके उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के प्रस्ताव का व्योरा क्या है;

(ग) इसके लिये कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितना खर्च किया जायेगा?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) गोदावरी घाटी में जो कोयला क्षेत्र पाये गये हैं उनका क्षेत्रफल ७०० वर्गमील है। अनुमान लगाया गया है कि चिट्टानों के नीचे लगभग ४,५०० वर्ग मील क्षेत्र में कोयले की परत है।

केवल निम्नलिखित निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है:—

तंदूर—जंगाओं	३८० लाख टन
कर्लापल्ली अथवा कमार्म	२२ लाख टन
सिंगारेनी अथवा थेलर्दू	१५६० लाख टन

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, जिसके पास कई पट्टे हैं वे चालू योजना काल की समाप्ति तक, ३० लाख टन वार्षिक उत्पादन करने का कार्यक्रम बनाया है। १९५८ में २१ लाख टन से अधिक उत्पादन किया गया था।

(ग) सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने लगभग ७·५७ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।

(घ) सारा खर्च चालू योजना काल और तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रयोगशाला

†६०९. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की कार्यपालिका परिषद की कितनी बैठकें हुई ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : चौबीस।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†६१०. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जो अनुदान बन्द कर दिया था वह बहाल कर दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस विश्वविद्यालय को अनुदान देना कभी बन्द नहीं किया था परन्तु कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के हालात को देखते हुए आयोग ने उपकुलपति से यह आश्वासन मांगा था कि निधि सुरक्षित रहेगी और विश्वविद्यालय उसका वितरण कर सकेगा। अब क्योंकि विश्वविद्यालय के विभाग ठीक प्रकार कार्य करने लगे हैं इसलिये उन्हें निधि उपलब्ध करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया)

†६११. **श्री स० म० बनर्जी:** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना पदाधिकारियों को भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया) में रखने के लिये कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिशतता निर्धारित करने से विभाग के द्वितीय श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनायें कम हो गई है; और

(घ) असैनिक कर्मचारियों के हितों के बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां, केवल प्रथम श्रेणी की सेवा में।

(ख) ५० प्रतिशत।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सर्वेक्षण विभाग में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट सवयर के पद से ऊपर के पदों में खाली होने वाली २५ प्रतिशत नौकरियां द्वितीय श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में इस्पात पुनर्बेलन मिलें

†६१२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में इस्पात की कितनी पुनर्बेलन मिलें हैं ;

(ख) उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसी कितनी मिलें स्थापित होने की सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत २३ और ७ अनधिकृत।

(ख) एक शिफ्ट चलने पर लगभग ८,६००० टन वार्षिक जिसमें से लगभग ३५,६०० कच्चे माल के आवंटन के लिये स्वीकृत है।

(ग) कोई नई पुनर्बेलन मिल नहीं खोली जायेगी परन्तु सात अनधिकृत मिलों के मामले विचाराधीन हैं।

भारत में राकेट के प्रयोग

†६१३. **श्री वाजपेयी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २६ दिसम्बर, १९५८ को एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी मैसूर ने एक स्टेज वाला राकेट छोड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि पर गिरने से पूर्व वह राकेट ३००० से ४००० फुट तक की ऊंचाई तक गया था।

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या था; और

(घ) क्या सरकार इस कार्य के लिये उस सोसाइटी को आर्थिक सहायता देगी?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

६१४. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०० पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो ;

(क) १९४७ से लेकर १९५८ तक (वर्ष वार) विदेशी मुद्रा विनियमन के प्रवर्तन निदेशक को किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं तथा वे शिकायतें क्या हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच की गई; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). प्रवर्तन-निर्देशक (एनफोर्समेंण्ट डायरेक्टर) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ के तोड़े जाने के मामलों के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में १ मई १९५६ से कार्य कर रहा है । यह कार्य पहले भारतीय रिजर्व बैंक किया करता था। अधिनियम में सोने, चांदी, मुद्रा, प्रति-भूतियों (सिक्योरिटी) आदि के चोरी-छिपे लाये-ले जाने के मामलों में सीमा-शुल्क-अधि-कारियों द्वारा कार्रवाई की जाने की भी व्यवस्था है। पर इन बातों का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा विनियमन के दूसरे पहलुओं से है जबकि प्रश्न का सम्बन्ध प्रवर्तन–निदेशक को प्राप्त हुई शिकायतों से है। साधारणतः निदेशक शिकायतें प्राप्त नहीं करता; वह तो निदेशालय की जांच पड़ताल सम्बन्धी अपनी प्रणालियों के अनुसार अपना जांच; पड़ताल का काम करता है जिसमें गुमनाम चिट्ठियों सहित तरह-तरह के सूरागों के आधार पर आगे कार्रवाई करना तथा निदेशालय को किसी कारण से हुए किसी सन्देह के आधार पर आगे कार्रवाई करना शामिल है। इन सूरागों के आधार पर जांच पड़ताल समाप्त होने के बाद जिन मामलों में काफी सबूत मिल जाता है वे या तो निदेशक द्वारा निबटा दिये जाते हैं या प्रारम्भिक कार्रवाइयों के बाद न्यायालयों में भेजे दिये जाते हैं। केवल निदेशक द्वारा निबटाये गये या न्यायालयों में निर्णीत हुए मामलों की सूचना देना ही सम्भव है। सभा की मेज पर दो विवरण (अनुबन्ध 'क' और अनुबन्ध 'ख') रख दिये गये हैं जिन में यह सूचना दी गयी है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४७**]

भाषाई अल्पसंख्यक

†६१५. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें देने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) योजना के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) से (ग). भाषाई अल्पसंख्यकों के परि-त्राणों सम्बन्धी ज्ञापन, जो ४ सितम्बर, १९५६ को सभा-पटल पर रक्खा गया था और बाद में राज्य सरकारों को भेजा गया था, में भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा सुविधायें देने का उपबन्ध किया गया है। ऐसी सुविधायें देने की और कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

रावघाट में इस्पात का कारखाना

६१६. { **श्री साधन गुप्त :**
सरदार अ० सिं० सहगल :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि रावघाट में एक इस्पात का कारखाना लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निर्णय की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिहीन लोग

†६१७. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह मंत्रणा दी है कि भूमिहीन अनुसूचित जातियों और भूतपूर्व अपराधी जातियों को जमीन दी जाये तब से कितने परिवारों को लाभ हुआ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भारतीयकरण

६१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम करने वाले विदेशी खनिकों के स्थान पर कब तक भारतीय खनिक काम करने लग जायेंगे ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम करने वाले विदेशी अधिकतर व्यधन काम के लिये आवश्यक कर्मचारी हैं और कुछ परामर्शदाता या सलाहकार हैं। जब अध्ययनाधीन भारतीय पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित कर लिये जायेंगे और इन विशेष पदों पर कार्य करने के योग्य हो जायेंगे तो वे धीरे-धीरे विदेशी कर्मचारियों का स्थान ले लेंगे। कुल २२ विशेषज्ञों में से १२ रुमानी विशेषज्ञों का स्थान तो पहले ही अध्ययनाधीन भारतीयों ने ले लिया है और कुल ४३ विशेषज्ञों में से २० रूसी व्यधन विशेषज्ञों का स्थान निकट भविष्य में अध्ययनाधीन भारतीयों द्वारा ले लेने की आशा है ।

आन्ध्र प्रदेश में कोयला

६१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी के भद्राचलम् तालुका में तोतापल्ली नामक स्थान के निकट त्रिपुरापत्तावाडु में लगभग ३०० फुट की गहराई पर कोयले की तह मिली है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किये गये व्यधन कार्य से कुछ कार्बोनेसियस शैल्स की मौजूदगी प्रगट की जा चुकी है। कार्य अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिये कोई खास परिणाम नहीं निकाला जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वरकल्ली की सामुद्रिक जीवाश्म[1]

†६२०. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या **१५०४** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वरकल्ली में अनुसन्धान करते समय एकत्र की गई सामुद्रिक जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन क्यों नहीं किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वरकल्ली में लिग्नाइट का अनुसंधान करते समय एकत्र की गई सामुद्रिक जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन करके उनके नामों का पता लगाया गया है । अब तक जिन जीवाश्मियों का पता है उनका ब्योरा यह है :

पेलेसिपोड्ज़ : ग्लाइसियेरिस (पेटुनुलस स्पैशल) अर्का स्पैशल, क्रेसैटालाइट्स सुलकाटस, सिरेना स्पैशल, कार्डियम स्पैशल, कर्विलिया स्पैशल, पैटरीना स्पैशल ।

गेस्ट्रोपोड्ज़—नेरिटा स्पैशल, नेटिका स्पैशल, त्यूरिस क्लेवेटुला एसपेरुलेटा, वर्मिस स्पैशल, पिर्गुलीफेरा स्पैशल, सेरिथियम स्पैशल, किमेला कमोज़ा, सिपरिया स्पैशल, पुरपुरा ट्रियाकेरिनेटस, ल्यूज़टोमा पापरस, फेज़ियलेरिया टुर्बेलीना, लेटिनस, क्रेटिकुलेटस, हार्पा क्यूटिका, ओलिका क्लावुला, कोनस पोंडेरोज़स, स्केफेंडरिया कोमिकस, लिमनाई स्पैशल, हेलिक्स स्पैशल ।

इस संग्रह में इचिनिपस स्पाइन्स और ओपरकुलम आफ टुर्बी है ।

'सूर्योदय' की मरम्मत

†६२१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमान के लिये बनाये गये 'सूर्योदय' नामक भवन की मरम्मत का काम पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो मरम्मत पर कुल कितनी राशि व्यय हुई; और

(ग) नई बनी इमारत के इतनी जल्दी खराब हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिये क्या किसी जांच की आज्ञा दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सूर्योदय नामक भवन में कोई मरम्मत नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड

†६२२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Marine fossils.

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, १९५८ में चार बैठकें हुईं ।

(ख) ये निश्चय मुख्यतः कुछ प्रतिरक्षा उपकरणों के देसी उत्पादन के सम्बन्ध में थे जिनको बताना लोक हित में नहीं होगा ।

केन्द्रीय और राज्य समाज कल्याण बोर्ड

†६२३. **श्री वे० ईयाचरण** : क्या शिक्षा मंत्री निम्न बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य समाज कल्याण बोर्डों में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य है;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं; और

(ग) उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) :

(एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में एक भी नहीं ।

(दो) राज्य समाज कल्याण बोर्डों में पांच हैं, जिन के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्रीमती जे० एम० राजमणि देवी (आन्ध्र प्रदेश)

(२) श्रीमती रूक्मिणी अम्मा (मैसूर)

(३) श्रीमती ज्योती वेंकटाचलम (मद्रास)

(४) श्रीमती अनुसूया बाई बोरकर (बम्बई)

(५) श्री भगत मंगत राम (जम्मू और काश्मीर)

केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड

६२४. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री बै० चं० मलिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड की सिफारिशों को, जिन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया था, अब तक कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य-क्षेत्रों से कोई रिपोर्ट मिली है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). बोर्ड द्वारा १९५६ और १९५७ में की गई अधिकांश सिफारिशों को राज्य सरकारों और प्रशासनों ने असूलन मंजूर कर लिया है और जहां भी मुमकिन हो वे उनके मुताबिक कार्यवाही कर रहे हैं । १९५८ में की गई सिफारिशों के बारे में किसी भी राज्य सरकार या संधीय क्षेत्र से अभी तक पूरी सूचना नहीं मिली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

†५२५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी जातियां हैं, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है पर उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसी जातियों के नाम क्या हैं और राज्यवार उनकी जन संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, १६५६ पर राज्य सभा और लोक सभा में चर्चा के दौरान संसद के बहुत से सदस्यों ने अनुसूचित जातियों की सूचियों में से अनेक जातियों के निकाले जाने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे । उस समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जिन जातियों को निकाला गया है, उनमें से उन जातियों को पुनः सूचियों में सम्मिलित कर लिया जायेगा, जिनके बारे में पता लगेगा कि अभी भी लोग उन्हें अस्पृश्य मानते हैं और इस बीच की अवधि में, राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से कहा गया है कि वे ऐसी जातियों को वे सभी सुविधायें प्रदान करें जो अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं—केवल राज्य विधान मंडलों तथा संसद में विशेष प्रतिनिधित्व देने के मामले को छोड़ कर । भारत सरकार को ऐसी किसी भी जाति के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों ने अभी तक ऐसी जातियों की कोई सूची हमारे पास नहीं भेजी है । ऐसी सभी जातियों को जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है अनुसूचित जातियों की पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में सावधानी बरती जायेगी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से उनकी प्रस्थापनायें मांगी गयी हैं । राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से प्रस्थापनायें प्राप्त होते ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां रूपभेद आदेश १६५६ में संशोधन करने के लिये एक विस्तृत विधान संसद में पुरस्थापित किया जायेगा ।

केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के असिस्टेंट

†६२६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक-सेवा आयोग केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड ४ (असिस्टेंट्स) में भर्त्ती के लिये अप्रैल, १६५६ में एक परीक्षा लेगा;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय कितने प्रतिशत असिस्टेंट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं; और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों के लोग अभी विहित प्रतिशत संख्या में न हों तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्त्ती के लिये सरकार ने क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंटों की ग्रेड में अनुसूचित जातियों के लिये १२-१/२ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत स्थान केवल उसी हालत में सुरक्षित

---

†मूल अंग्रेजी में

रखे जाते हैं जब नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायें। इस ग्रेड के लिये सीधे जो नियुक्तियां अब तक की गयीं हैं वह इस प्रकार हैं :—

परीक्षा	कुल भर्त्ती	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा जुलाई १९५५ (केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये)	९८	९५	३
असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा, नवम्बर, १९५५	८००	१९	१
असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा, जुलाई, १९५७	४००	४९	१
जोड़	१२९८	१६३	४

यह प्रगट है कि अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित कोटा पूरा हो गया है। इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ भी विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

पुर्नवित्त निगम

†६२७. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पुर्नवित्त निगम के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** इंडस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड के पुर्नवित्त निगम ने १ नवम्बर, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ की अवधि में २१३ लाख रुपयों के सात ऋण मंजूर किये हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

उद्योग का नाम	उन आवेदनों की संख्या जिनके लिये पुर्नवित्त मांगा गया	स्वीकृत राशि
		रुपये
फैरो-मैंगनीज़ . .	१	४० लाख
वस्त्र-सूती	२	४७ लाख
सीमेंट	१	५० लाख
फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल कैमिकल्स	१	११ लाख
इलैक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरिंग . .	१	१५ लाख
इंजीनियरिंग	१	५० लाख
जोड़ . . .	७	२१३ लाख

लेकिन इन ऋणों में से कुछ भी राशि इस अवधि में दी नहीं गयी थी।

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†६२८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब की और किन-किन गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार से अनावर्त्तक अनुदानों के लिये आवेदन किये;

(ख) प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि मंजूर की गयी;

(ग) क्या ऐसे कुछ मामले अब भी निबटारे के लिये विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो विचाराधीन मामले कब तक निबटा दिये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४८]**

(ग) जी हां ।

(घ) ये मामले मार्च १९५९ के अन्त तक निबट जाने की संभावना है ।

दिल्ली में अपराध

६२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में, दिल्ली में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन प्रत्येक मास में पृथक-पृथक अपराधों के कितने मामलों की सूचनायें मिलीं :

१. हत्या;
२. महिलाओं पर आक्रमण;
३. अप्राकृतिक अपराध;
४. डकैती;
५. लूटमार;
६. चोरी;
७. धोकेबाजी, और
८. अन्य अपराध

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में कितने मामले ऐसे रहे जिनका पता नहीं लग सका और उसके क्या कारण थे;

(ग) कितने मामले न्यायालय के सुपुर्द किये गये और कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी; और

(घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिन में न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध अपने निर्णय दिये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४९]**

(घ) एक भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गुरदासपुर जिले में समाज सेवा शिविर

†६३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरदासपुर जिले में केन्द्रीय सहायता से १९५८ में छात्रों और युवकों के लिये कुल कितने और कौन-कौन से श्रम तथा समाज सेवा शिविर हुए;

(ख) १९५९ में वहां ऐसे कितने और कौन-कौन से शिविर होने वाले हैं;

(ग) प्रत्येक शिविर पर कुल कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है;

(घ) उन में किस प्रकार का काम किया गया है; और

(ङ) स्थानों के चुनाव के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गयी और जन-सहयोग प्राप्त करने का तरीका क्या था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५०**]

(ङ) आम तौर पर स्थान और कार्य का चुनाव खण्ड विकास अधिकारियों या उस क्षेत्र के अन्य राज्य-सरकार के अधिकारियों के परामर्श से किया जाता है। शिविर के संयोजक उनका और ग्राम पंचायतों की मार्फत जनता का सहयोग प्राप्त कर लेते हैं।

रायल एयर फोर्स के मार्शल का दौरा

†६३१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल एयर फोर्स के मार्शल ने, जो समुद्र पार के रायल एयर फोर्स के २०,००० मील के एककों के दौरे पर हैं, जनवरी, १९५९ में दिल्ली का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके यहां के दौरे का क्या प्रयोजन था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). रायल एयर फोर्स के मार्शल जो समुद्रपार के एककों का निरीक्षण करने के सिलसिले में दौरा कर रहे थे, एक दिन दिल्ली में ठहरे थे।

तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम

†६३२. {
श्री वाजपेयी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वोडयार :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० डी० देशमुख के सभापतित्व में उत्तर प्रदेश, बम्बई और पश्चिमी बंगाल के विश्वविद्यालयों द्वारा तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के बारे में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या उनकी जांच कर ली गई है;

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने में कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश और बम्बई विश्वविद्यालयों द्वारा तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम कार्यान्वित करने में अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में दूसरी देशमुख समिति ने दो मुख्य सिफारिशें की हैं:—

(१) इण्टरमीडियेट के पश्चात् तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम रखने का उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव शैक्षिक कारणों पर स्वीकार किया जा सकता है किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रश्न के अन्य पहलुओं—जैसे एक वर्ष और बढ़ जाने से माता-पिता द्वारा किये जाने वाले व्यय में वृद्धि, अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष इण्टरमिडियेट परीक्षा रखना तथा प्रस्ताव की वित्तीय समस्याओं की जांच करनी होगी।

(२) इस दृष्टि से कि बम्बई राज्य के आठ विश्वविद्यालयों में से सात को उस नमूने पर शिक्षा को पुनः व्यवस्था करने में वे कठिनाइयां नहीं हुई हैं जो बम्बई विश्वविद्यालय को हुईं, तथा इस दृष्टि से कि अन्य राज्य और अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा कथित कठिनाइयां दूर कर रहे हैं, बम्बई विश्वविद्यालय से स्थिति पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की जा सकती है।

२. तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने में पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय की कठिनाइयों के सम्बन्ध में समिति ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की क्योंकि कलकत्ता के कुछ कालिजों में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या होने से स्थिति जटिल है। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति पर अलग विचार कर रहा है।)

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मनीपुर में गांजे के पौधे

†६३३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन ने मनीपुर में गांजे के पौधों का लगाया जाना कतई बन्द कर दिया है;

(ख) क्या पिछले ३ या ४ महीनों में गांजा मनीपुर से चोरी छिपे ले जाया जाता पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मनीपुर में गांजे के पौधे लगाना १ अप्रैल, १९५८ से बन्द कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५८ में १२ मामले पकड़े गये थे जिनमें ११ सेर १ तोला गांजा पकड़ा गया ।

दिल्ली निगम को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

†६३४. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली निगम ने शिक्षा के लिये अतिरिक्त अनुदान मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी साहित्य का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

†६३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी न जानने वालों के लाभ के लिये हिन्दी साहित्य के उत्कृष्ट ग्रन्थों को सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनूपित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : साहित्य अकादमी की योजना है कि शास्त्रीय महत्व के ३७ हिन्दी ग्रन्थों का अनुवाद कराया जाये ।

कलकत्ते के सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमे

†६३६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते के सिटी सिविल कोर्ट में १९५८ में जितने मुकदमे विचाराधीन थे या निबटाये गये उनमें से कितनों में सरकार वादी के रूप में थी और वह कितनी-कितनी राशियों के सम्बन्ध में थे और अब तक सरकार के पक्ष में कुल कितनी राशियों की डिग्रियां हुई हैं ;

(ख) इसी अवधि में उक्त न्यायालय में कितने मामलों या मुकदमों में भारत सरकार प्रतिवादी थी और अब तक सरकार के खिलाफ कुल कितनी राशि का दावा किया गया है ; और

(ग) निबटाये गये कितने मामलों या मुकदमों में समझौता हो गया है और ये कितनी-कितनी राशियों के सम्बन्ध में थे ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हज़ारनवीस)** : (क) कलकत्ते के सिटी सिविल कोर्ट के उन मामलों या मुकदमों की संख्या जिनमें भारत सरकार वादी थी :

(१) १९५८ के आरम्भ में विचाराधीन	२
(२) १९५८ में आरम्भ किये गये	१
जोड़	३

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय द्वारा १९५८ में निबटाये गये मामलों या मुकदमों की संख्या	२
ये इन राशियों के सम्बन्ध में थे :	
(१) निबटाये गये मामले	५,६०८ रुपये
(२) विचाराधीन मामला	२५८ रुपये
जोड़	५,८६६ रुपये
निबटाये गये मुकदमे में जिस राशि की डिग्री हुई	६,६६१.८५ (मय खर्च)

(ख) कलकत्ते के सिटी सिविल कोर्ट के उन मामलों या मुकदमों की संख्या जिन में भारत सरकार प्रतिवादी थी :—

(१) १९५८ के आरम्भ में विचाराधीन	३६
(२) १९५८ में आरम्भ किये गये	५४
जोड़	९०

उपर्युक्त मुकदमे ३३५१३९.१५ रुपये की राशि के सम्बन्ध में थे।

(ग) उन मामलों या मुकदमों की संख्या जिन में १९५८ में समझौता हो गया . ८

यह ३२,११७.११ रुपयों के सम्बन्ध में थे।

नयी दिल्ली का कम्यूनिटी हॉल

†६३७. **श्री राजेन्द्र सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली के कम्यूनिटी हॉल का प्रबन्ध गांधी स्मारक हरिजन शिक्षा समिति को हस्तांतरित कर देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि यह हाल हरिजनों के लाभ के लिये बनाया गया है और इसका अधिक से अधिक उपयोग हरिजनों के कल्याण के लिये ही किया जाय। गांधी स्मारक हरिजन शिक्षा समिति हरिजन सेवक संघ से संबद्ध है और वह इस हाल का उपयोग दिल्ली भर की हरिजन बस्तियों में अपनी परिवार कल्याण योजनायें लागू करने के उद्देश्य से उसके प्रधान कार्यालय के रूप में करेगी।

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम

६३८. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में अपराधियों की परिवीक्षा

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम, १९५८ को लागू करने और उसके अधीन नियम बनाने में और कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : यह अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है क्योंकि राज्य-सरकारों और संघ-राज्य-क्षेत्र अभी उसके अधीन नियम तैयार कर रहे हैं ।

उड़ीसा में प्रविधिक संस्था

†६३९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मयूरभंज जिले में तखतपुर में प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था बनाने के लिये सरकार ने कोई सहाय्य-अनुदान मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ के वर्षों के लिये मूलतः क्या सहाय्या-अनुदान किये गये थे; और

(ग) क्या इस सहाय्य-अनुदानों में बाद में कमी कर दी गयी थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वर्ष १९५६–५७ के लिये मूलतः ३ लाख रुपये मंजूर किये गये थे और संस्था के लिये सहाय्य-अनुदान के रूप में सब दे दिये गये । १९५७-५८ में इस कार्य के लिये मूलतः ५.७२ लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गयी थी जब कि वास्तव में राज्य सरकार को संस्था के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर केवल ३.१९३ लाख रुपये दिये गये । १९५८-५९ के लिये ४.४८ लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया है । पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत, वित्त मंत्रालय द्वारा सहाय्य-अनुदान मार्गोपाय पेशगियों के रूप में प्रति मास दिये जाते हैं जो कि अन्तिम रूप से वास्तविक खर्चे के आधार पर समायोजित किये जायेंगे ।

आयुध कारखानों में स्टाक की जांच

†६४०. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन केन्द्रीय आयुध डिपुओं में १९५८ में स्टाक की कोई जांच की गयी;

(ख) यदि हां, तो कौन सी चीजें बढ़ी हैं या कम हुई हैं और उनका क्या मूल्य है;

(ग) बढ़ी हुई चीज़ों को निबटाने और कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस बर्बादी को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) यह समझा गया है कि निर्देशित तीन केन्द्रीय आयुध डिपो प्रतिरक्षा सेवाओं की १९५८ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताये गये अर्थात् देहू, आगरा और दिल्ली छावनी में केन्द्रीय आयुध डिपो हैं । आयुध डिपुओं में स्टाक की जांच वित्तीय वर्ष में एक बार की जाती है । इन तीन डिपुओं में १९५७-५८ में जांच की गयी थी और १९५८-५९ की

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच हो रही है जो ३१ मार्च, १९५९ तक पूरी हो जायेगी । १९५७-५८ की स्टाक की जांच के परिणामस्वरूप फालतू और कम सामान का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

केन्द्रीय आयुध डिपो

	देहू	आगरा	दिल्ली छावनी
फालतू पायी गयी चीजों की संख्या . . .	२६७३	३८९२	२७७१
फालतू चीजों की कीमत .	४.६५ लाख रुपये	२.२५ लाख रुपये	६.०५ लाख रुपये
कम पायी गयी चीजों की संख्या	१६९५	३३३०	२१३६
कम पायी गयी चीजों का मूल्य .	१.३५ लाख रुपये	१.६६ लाख रुपये	०.६८ लाख रुपये

(ग) स्टाक की जांच के समय जो फालतू या कम सामान का पता लगता है वह सामान्यतः रजिस्टर इत्यादि में दर्ज करने की गलतियां होती हैं जो मुख्यतः लिखने में गलती, पैकेटों पर गलत निशान लगाने आदि के कारण थीं । अतः वैशी और कमी के वास्तविक मामले बहुत थोड़े हैं और सामान्यतः उनके निबटारे आदि की कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती ।

(घ) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जांच के समय पायी गयी वेशी और कमी मुख्यतः दर्ज करने की गल्ती के कारण थी, अतः उनसे कोई बरबादी नहीं हुई । स्टाक की जांच के समय पता लगे वास्तविक फालतू सामान को इस्तेमाल कर लिया जाता है । कम पायी गयी वस्तुओं के बारे में विस्तार से जांच की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है ।

आसाम तेल परिष्करणी

†६४१. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम परिष्करणी से तैयार किये हुए तेल के वितरण के लिये यदि किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है तो वह क्या है और उसका क्या ब्योरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : आसाम परिष्करणी में १९६१ के आरम्भ में उत्पादन शुरू होगा । उस परिष्करणी के उत्पादों के वितरण के लिये व्यवस्था करने पर विचार हो रहा है और उसको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†६४२. **श्री कुम्भार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५८-५९ में दिल्ली के गांवों में अनुसूचित जाति आवास योजना के लिये अभी तक कुछ धन आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या इस कालावधि में अनुसूचित जाति के सब आवासहीन परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत मकान दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस कार्य के लिये कोई और कार्यक्रम बनाया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे हरिजन जिनका अपना कोई पक्का मकान नहीं है और जिनके पास कम से कम ६० वर्ग गज भूमि है, मकान बनाने के लिये ७५० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से आवास सहायता अनुदान ले सकते हैं । उक्त लाभ पाने वालों से यह आशा की जाती है कि वे भूमि श्रम अथवा सामान के रूप में ५०० रुपये खुद लगायेंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आवास की यह योजना उपलब्ध निधि में से वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में चालू रखी जायेगी ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में सायंकालीन शिक्षण संस्थायें

†६४३. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मंत्री इस समय संघ-राज्य-क्षेत्रों और राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय रूप से सहायता दिये जाने वाली सायंकालीन शिक्षण संस्थाओं के बारे में १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन संस्थाओं में (क्षेत्र-वार) कितने विद्यार्थी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थी हैं और कितनी महिला विद्यार्थी हैं; और

(ग) उनको क्या विशेष सुविधायें दी गयी हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५१]

संघ लोक सेवा आयोग से किये गये अधियाचन[1] का रद्द किया जाना

†६४४. श्री झूलन सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर जाने वाले नौ पदों के लिये १९५७–५८ में विज्ञापन किया गया था परन्तु अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू होने के बाद अभियाचन रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उन पदों के लिये कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दिये, कितने अभ्यर्थी पात्र पाये गये और कितने अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया और कितने अभ्यर्थी इन्टरव्यू में शामिल हुए; और

(ग) क्या इस पर किये गये खर्चे और उनको उन परिस्थितियों के कारण जिनके लिये वे उत्तरदायी नहीं थे, हुई प्रारम्भिक हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने १९५७–५८ में १२ पदों के लिये विज्ञापन दिया जो बाद में अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू के बाद, सम्बन्धित मंत्रालयों की प्रार्थना पर रद्द कर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Requisitions

(ख) इन १२ पदों के लिये ३७४ अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दिये। इन अभ्यर्थियों में से १४४ को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया और ११३ अभ्यर्थी इन्टरव्यू के लिय आये।

(ग) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को आने जाने का द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया दिया।

जीवन बीमा निगम

†६४५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम की १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक जारी की गयी कितने प्रतिशत व्यपगत पालिसियां फिर से चालू की गईं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्योंकि वर्ष १९५८ के लिये जीवन बीमा निगम के लेखे पूरे नहीं हुए हैं, अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा अनुदान

६४६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण :
श्री वाजपेयी :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से १९५९–६० में अनुदानों में वृद्धि किये जाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बध में क्या निर्णय किया है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) उड़ीसा राज्य ने प्रार्थना की थी कि उसके शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय अनुदानों का प्रतिशत बढ़ा दिया जाये।

(ख) विषय विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम

†६४७. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी आवास सहकारी समिति ने जीवन बीमा निगम को धन के लिये आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनों ने और किन-किन राज्यों ने आवेदन पत्र दिये हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) निगम को अभी पक सहकारी आवास समितियों से ऋण के लिये १० आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों में से ७ बम्बई राज्य से और एक-एक पश्चिमी बंगाल, मद्रास और उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम को बम्बई की बम्बई सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड और मद्रास राज्य की प्रस्तावित केन्द्रीय सहकारी आवास बन्धक बैंक से भी ऋण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

त्रिपुरा में ट्रांजिट पासों[1] का जारी किया जाना

†६४८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रांजिट पासों की समय पर अनुपलब्धता के कारण पटसन से लदे बहुत से ट्रकों और लारियों को त्रिपुरा सीमा की चौकी पर सड़क पर पांच से सात दिन तक खड़ा रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

चीनी स्कूल

६४९. **श्री पद्म देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में चीनी स्कूल के पास अपनी इमारत नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इमारत के लिये धन-राशि बहुत पहले मंजूर कर दी गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो इमारत के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इमारत कब तक बन जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

†६५०. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य द्वारा अपने शिक्षा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बनायी गयी प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में सुधार करने की योजना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) उसके लिये उचित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Transit Passes

मुद्रा परिचलन[1]

†६५१. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ के अन्त तक एक, दो,चार और आठ आने वाले कितने मूल्य के सिक्के चल रहे थे; और

(ख) कितने समय तक सरकार का उन सब सिक्कों को दशमलव सिक्कों में बदलने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जनता द्वारा नष्ट किये गये, फेंके गये और भूमि में गाड़े गये सिक्कों के बारे में जानकारी के अभाव में और पिछली लड़ाई में बर्मा में नष्ट किये गये सिक्कों और भारत के उन भागों में जो अब पाकिस्तान के भाग हैं, छोड़े गये सिक्कों की मात्रा की जानकारी प्राप्त न होने के कारण प्रश्न का सही उत्तर देना सम्भव नहीं है। ३० नवम्बर, १९५८ (अन्तिम तिथि जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) तक जारी किये गये और वापस लिये गये सिक्कों के आधार पर मोटे तौर पर अनुमान निम्न प्रकार है :

	मूल्य लाख रुपयों में
१ आना	९,२६
२ आना	७,७६
४ आना	१८,९५
८ आना	१८,६५

(ख) आना-पाई वाले सब सिक्कों को परिचलन से शीघ्रातिशीघ्र वापस लेने के लिये हर प्रयत्न कये जा रहे हैं; परन्तु क्योंकि वापस लिये जाने की सफलता कई बातों पर निर्भर है—जैसे नये सिक्के बनाने की टकसाल की क्षमता, जनता की पुराने सिक्कों को छोडने की तत्परता और परिवर्तन के लिये उपयुक्त सुविधाओं का होना अतः इस के लिये कोई समय सीमा निश्चित करना कठिन है।

बम्बई में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था

†६५२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था में कुल कितने विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों और गवेषणा करने वालों के लिये स्थान है और उस में प्रवेश पाने का क्या तरीका है; और

(ख) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, की तरह इस में भी प्रवेश पाने के लिये विभिन्न केन्द्रों में प्रतियोगी परीक्षायें की जायेंगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) १. संस्था के पूरी तरह स्थापित हो जाने पर इसमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में लगभग १५०० विद्यार्थियों के लिये और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और गवेषणा में लगभग ५०० विद्यार्थियों के लिये सुविधा प्राप्त होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Currency Circulation

२. १९५९-६० सत्र के लिये प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में १९५ विद्यार्थी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और गवेषणा में लगभग ७० विद्यार्थी दाखिल करने का प्रस्ताव है।

३. संस्था में दाखिला अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया यह है : प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल स्थानों को एक विशेष अनुपात में सब विश्वविद्यालयों/इंटरमीडियेट परीक्षाओं के राज्य बोर्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक विश्व विद्यालय अथवा राज्य बोर्ड से अर्हदायक[1] परीक्षाओं में प्राप्त नम्बरों के आधार पर सर्वोत्तम अभ्यर्थी चुने जाते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और गवेषणा के लिये प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) विषय संस्था के बोर्ड आफ गवर्नर्स (संचालक मंडल) के विचाराधीन है।

ब्रिटिश कर प्रणाली का अध्ययन

†६५३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश काउन्सिल के निमंत्रण पर ब्रिटिश कर प्रणाली का अध्ययन करने के लिये जो चार भारतीय अफसर ब्रिटेन गये थे क्या उन्होंने अपना कोर्स और व्यवहारिक-कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन अफसरों के नाम क्या हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) इन अफसरों के नाम ये हैं:

१. श्री एस० के० श्रीवास्तव, डिप्टी डाइरेक्टर, डाइरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इन्टेलिजेन्स, नई दिल्ली। २. श्री बी० वी० मुण्डकुर, अण्डर सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू। ३. श्री एल० एस० मर्तिण्डम्, अण्डर सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू। ४. श्री वी गौरीशंकर, अण्डर सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू।

ये चारों इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सदस्य हैं।

'गणतंत्र दिवस' परेड

†६५४. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के गणतंत्र दिवस की परेड और 'बीटिंग दि रिट्रीट' के सिलसिले में प्रत्येक मद पर कुल कितना-कितना व्यय हुआ है; और

(ख) इस सिलसिले में संसद् सदस्यों, अन्य सूत्रों और प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मार्फत कितने-कितने दर्शकों या अतिथियों के पास दिये गये थे?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५९ के गणतंत्र दिवस समारोह का हिसाब-किताब अभी पूरा नहीं हुआ है। हिसाब लगा लिया जाने पर व्यय का विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Qualifying.

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५२**]

आदिम जाति के बच्चों के लिये आश्रम-स्कूल

†६५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति के बच्चों के लाभ के लिये आश्रम-स्कूलों की स्थापनार्थ केन्द्रीय सरकार ने १९५७–५८ और १९५८-५९ में अबतक पंजाब राज्य को कितनी राशि दी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन आश्रम-स्कूलों की स्थापना के लिये कुछ भी उपलब्ध नहीं किया है। इसलिये १९५७-५८ और १९५८–५९ में केन्द्र ने भी इस प्रयोजन के लिये कुछ भी सहायता प्रदान नहीं की है।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

६५६. { **श्री पद्म देव** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों ने भी प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने की योजनायें भेज दी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों से ऐसी योजनायें अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी हां, जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर ।

हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व शासकों के लिए रक्षक

६५७. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व शासकों के महलों की रखवाली के लिये पुलिस के कितने सिपाही नियत हैं; और

(ख) इन सिपाहियों पर वेतन और भत्तों के रूप में कितना वार्षिक व्यय होता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रियों के लिए भत्ते

†६५८. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५, १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक मंत्रिमंडल के सदस्यों, उपमंत्रियों और राज्यमंत्रियों ने दौरों के लिये कुल कितना रुपया लिया है; और

(ख) क्या मंत्रियों द्वारा दौरों पर किया गया व्यय कोई समिति मंजूर करती है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क)

वर्ष	राशि रुपये
१९५४–५५	४·७१ लाख
१९५६–५७	८·२१ लाख
१९५७–५८	५·५७ लाख
१९५८–५९	१·३४ (१९५८ की सितम्बर तक केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के कार्यालय में हुई बुकिंग के अनुसार)

(ख) जी नहीं। मंत्रियों और उपमंत्रियों का यात्रा-भत्ता मंत्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधायें) नियम, १९५७ के अधीन मंजूर किया जाता है। इस नियम की प्रतियां लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं।

इलाहाबाद के नाम में परिवर्तन

६५९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के नाम में परिवर्तन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उड़िया नाटक

†६६०. **श्री पाणिग्रही** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ के लिये उड़िया नाटक के संवर्द्धन के लिये अनुदान देने के बारे में संगीत नाटक अकादमी ने कुछ निर्णय कर लिया है; और

(ख) १९५७–५८ में उड़ीसा के किन-किन संगठनों को संगीत नाटक अकादमी से कितनी कितनी राशि के अनुदान मिले थे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) संगीत नाटक अकादमी ने १९५७-५८ में उड़ीसा के निम्नलिखित संगठनों के लिये अनुदान मंजूर किये थे :—

संस्था का नाम	स्वीकृत राशि
	रुपये
१. नेशनल म्यूजिक एसोसियेशन, कटक	७,०००
२. उड़ीसा संगीत परिषद्, पुरी	१,८००
३. कला विकास केन्द्र, कटक	५,०००
४. अन्नपूर्णा थियेटर, ग्रुप 'बी', कटक	२,०००

दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिये मुफ्त दूध

†६६१. **श्री वाजपेयी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध बांटने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इसकी विशेषतायें क्या है; और

(ग) इस योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के रुप में कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले अथवा उस की सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध देने की अभी तो कोई योजना नहीं है । लेकिन, दिल्ली नगरपालीय निगम अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले स्कूलों के केवल उन दुर्बल बच्चों को, जिन्हें पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलता है (सभी को नहीं) मुफ्त दूध देने वाला है । निगम ने अपने अगले वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिये १ लाख रुपये की राशि अलग कर दी है । वितरण के लिये सुखाया हुआ दूध संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और रेड-क्रास सोसायटी द्वारा दिया जायेगा । इस सुखाये हुए दूध से दूध तैयार करने का काम निगम के जिम्मे होगा । संघ शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये दिल्ली नगरपालीय निगम को कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

कलाकारों को छात्रवृत्तियां

†६६२. { **श्री फ० गो० सेन** :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री झूलन सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव बोर्ड ने युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) उनमें से कितने चुनाव-बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए थे और कितने चुने गये हैं;

(ग) क्या बिहार के कुछ व्यक्ति चुने गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने और उनके नाम क्या हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) क्रमशः ३६० और ४६ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई उच्च न्यायालय

†६६३. **श्री जाधव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उच्च न्यायालय में इस समय कुल कितने न्यायाधीश हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों को निबटाने के लिये जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है उन से यह संख्या कम ठहरती है;

(ग) उच्च न्यायालय में इस समय किस-किस प्रकार के कितने कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सोलह स्थाई न्यायाधीशों और चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) **दीवानी**

(१) मूल पक्ष में	३४३१
(२) अपीलीय पक्ष में	१२०६८
	१५४९९
फौजदारी	९१३
	१६,४१२

(घ) उच्च न्यायालय बकाया मामलों की संख्या कम करने का प्रत्येक संभव उपाय कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रैन्यूलेशन संयंत्र

†६६४. { श्री प्र० के० देव :
श्री बि० च० प्रधान :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु के मैल से सीमेन्ट बनाने के लिये इस्पात कारखानों के स्थान पर किसी ग्रैन्यूलेशन संयंत्र की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस इस्पात कारखाने में ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). भट्टियों से निकलने वाले धातु के मैल से सीमेन्ट बनाने की बात इन तीनों इस्पात कारखानों का नक्शा बनाते समय ध्यान में रखी गई थी । इन तीनों कारखानों में इस बात के लिये पर्याप्त स्थान छोड़ दिया गया है कि जब भी निश्चय हो, उसमें धातु के मैल का ग्रैन्यूलेशन संयंत्र लगाया जा सके । सीमेन्ट बनाने के लिये सारा का सारा धातु का मैल उपयुक्त नहीं होता । वह उपयुक्त है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कच्चा माल जाता है । इसलिये, उत्पादन के काम का कुछ महीने का अनुभव प्राप्त हो जाने पर इस बात का निश्चय किया जा सकता है ।लेकिन प्रत्यक्षत: यह विश्वास किया जा सकता है कि धातु का मैल उपयुक्त होगा । यदि उसे वास्तव में उपयुक्त पाया गया तो भिलाई से निकलने वाले धातु के मैल का सीमेन्ट बनाने के लिये ग्रैन्यूलेशन असोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज द्वारा किया जायेगा । इसी प्रकार यदि राउरकेला से निकलने वाले धातु के मैल को उपयुक्त पाया गया तो उसका उपयोग राजगंगापुर के सीमेन्ट वर्क्स द्वारा किया जायेगा । लेकिन अभी तक दुर्गापुर से निकने वाले धातु के मैल का उपयोग करने के विषय में किसी निर्माता ने निश्चित दिलचस्पी नहीं दिखाई है ।

तीनों इस्पात के कारखानों में से किसी में भी ग्रैन्यूलेशन संयंत्र की स्थापना के बारे में किसी भी गैर-सरकारी उपक्रम का आवेदन नहीं आया है ।

लोथल में संग्रहालय

†६६५. { श्री प्र० के० देव :
श्री बि० च० प्रधान :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोथल में एक संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत कितनी होगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां ।

(ख) उसकी लागत का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): इलाहाबाद के निकट एक गांव में हुये एक बम विस्फोट के परिणामस्वरूप ४ व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में आपने मुझे लिखा है कि आपने उसे अस्वीकृत कर दिया है, इस आधार पर कि मैं एक प्रश्न द्वारा जानकारी मांग सकता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में मुख्य मंत्री ने परसों एक वक्तव्य दिया था; इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। सैनिक अभ्यास हो रहा था और एक बम पड़ा रह गया था। उस बम को वहां से हटाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? पहले आगरे और झांसी में भी ऐसी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। यह प्रतिरक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, यदि यह विभाग समुचित कार्यवाही नहीं करेगा तो इस प्रकार बमों का विस्फोट होता रहेगा और लोग मरते रहेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है, जब उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह मामला उठा तो मुख्य मंत्री ने उत्तर में बताया कि यह बम पीतल की धातु का बना हुआ था और जिस व्यक्ति को यह बम मिला था उसने उसे हथोड़े से तोड़ना चाहा था। किसी बम को किसी व्यक्ति द्वारा हथौड़े से तोड़े जाने की घटना के लिये क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय उत्तरदायी है ?

मैं मानता हूं कि यह मामला प्रतिरक्षा विभाग से सम्बद्ध है। पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी मामलों को स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता। मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछ लें और मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कह दूंगा। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि चार व्यक्तियों की मृत्यु की घटना पर विचार करने के लिये हम सभा का कार्य स्थगित कर दें ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संयोग से घटना स्थल पर ४ व्यक्ति उपस्थित थे। जिस व्यक्ति ने बम को देखा उसने उसे हथौड़े से पीटा यह जानने के लिये कि वह क्या वस्तु है। हमें इस बात के लिये समय नहीं बरबाद करना चाहिये।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : यदि मुझे कोई वस्तु सड़क पर पड़ी मिल जाये तो मैं यह आशा नहीं कर सकता कि वह एक बम होगा। मैं जानना चाहूंगा कि वह वस्तु वास्तव में क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा का समय इस प्रकार व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यदि सरकार की किसी निरन्तर असावधानी की बात हो, तो इस सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर दिया जा सकता है। अतः मैंने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव द्वारा सभा का समय नष्ट करने के बजाय ज्यादा अच्छा हो यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछ लें। मैं उसकी अनुमति दे दूंगा और माननीय मंत्री उस पर और अधिक प्रकाश डाल देंगे। इस समय मैं स्थगन की अनुमति नहीं दे सकता। यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले पर विचार करने के लिये हम एक विशेष बैठक कर लेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९३/आर०—एमेंडमेंट ३० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२२५/५९]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं श्री दातार की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२२६/५९]**

अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्रीमती आल्वा** : मैं श्री दातार की ओर से अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८ में प्रकाशित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२२७/५९]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या १८३, दिनांक १४ फरवरी, १९५९

(२) जी० एस० आर० संख्या १८४, दिनांक १४ फरवरी, १९५९

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२२८/५९]

विशेषाधिकार समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह (भटिण्डा)** : मैं विशेषाधिकार समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मी० रु० मसानी (रांची—पूर्व) : हम नहीं जानते कि प्रतिवेदन में क्या कहा गया है। जब यह मामला समिति को सौंपा गया था उस समय जो रुचि सभा ने दिखाई थी उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप से निवेदन करता हूं कि प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए आप एक तिथि निश्चित करें।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नियमों को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि प्रतिवेदन उपस्थापित हो जाने के बाद समिति का सभापति, उसका कोई सदस्य या अन्य कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। अतः माननीय सदस्य एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

†श्री मी० रु० मसानी : बहुत अच्छा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक): श्रीमान्, नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"टिहरी (उत्तर प्रदेश) के एक गांव में १४ जनवरी, १९५९ को अनुसूचित जाति के लोगों की एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना।"

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : १४ जनवरी, १९५८ को डोला-पालकी सहित पनगरियां गांव से धूंग पट्टी ग्यारह गांव को लौटती एक हरिजन बरात को टिहरी गढ़वाल में रोक लिया गया था क्योंकि वहां के कुछ सर्वण हिन्दुओं ने गांव में होकर डोला-पालकी ले जाने की बात पर आपत्ति की थी। घटना स्थल पर बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गये और गांव का पटवारी, जिसकी सहायता के लिए चार पुलिस कान्स्टेबिल थे, स्थिति को नियंत्रण में रखने में असमर्थ रहा। कीर्तिनगर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर पुलिस कप्तान ने कुछ सिपाहियों के साथ सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी भेजी। देवप्रयाग के तहसीलदार तथा कीर्तिनगर के स्टेशन अफसर भी गांव में पहुंच गये। २ फरवरी, १९५९ को बरात गांव में होकर सुरक्षित रूप से चली गयी। उसके बाद से टिहरी-गढ़वाल के जिलाधीश ने मामले की छान-बीन की है और उन्होंने सम्बन्धित व्यक्तियों को आश्वासन दिया है कि कानूनी दृष्टि से समुचित कार्यवाही की जायेगी। कीर्तिनगर के सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट ने २७ व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारण्ट निकाल दिये हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह भी अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अधीन सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं २३ फरवरी, १९५९ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर विचार तथा उसे पारित किया जाना;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) वर्ष १९५८–५९ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान;

(३) भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना;

(४) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार;

(५) भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा उसे पारित किया जाना;

(६) वर्ष १९५९–६० के लिए रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा २५ फरवरी को आरम्भ होगी; और

(७) वर्ष १९५९–६० के लिए सामान्य आयव्ययक का उपस्थापन शनिवार, २८ फरवरी को शाम के ५ बजे होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): अभी बताया गया है कि रेलवे-आय-व्ययक पर चर्चा २५ फरवरी को आरम्भ होगी। इस सप्ताह के पूर्व २ या ३ वैधानिक कार्य और भी हैं। यदि वे सब तक पूर्ण नहीं हो जायेंगे, तो क्या उन्हें बाद के लिए स्थगित कर दिया जायेगा ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : अवश्य।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आयकर अध्यादेश भी है।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : वह पूरा हो जायेगा।

खेल कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत में खेलकूद के, विशेष रूप से क्रिकेट के, स्तर के गिरने के बारे में चिन्ता प्रकट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि देश में खेलकूद का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाये।"

वैसे यह प्रस्ताव श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किया जाना था पर चूंकि वह अपने पुत्र की बीमारी के कारण कलकत्ते चले गये हैं अतः मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अभी हाल में वेस्ट इन्डीज़ की टीम के साथ क्रिकेट का जो मैच हुआ था उसमें भारत की टीम के खेल को देखकर अनेक बातों का पता लगा। मुझे बताया गया है कि निर्वाचन बोर्ड द्वारा कैप्टेन का चुनाव होने के बाद अन्य कई खिलाड़ियों ने सहयोग करने से इन्कार कर दिया। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। परिणामस्वरूप हमारे देश की टीम का खेल बहुत खराब रहा। हमारे देश की टीम इंगलैंड व वेस्ट इन्डीज़ में खेलने गयी थी और वहां उसने बहुत अच्छा खेला था। पर कैप्टेन के निर्वाचन की यह घटना बड़ी विचित्र सी थी। इस बार तीन या चार बार कैप्टेन बदले गये ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसको मैं अनुशासनहीनता समझता हूं। वैसे मैं किसी व्यक्ति को इसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहता। पर ऐसा लगता है कि नियंत्रण बोर्ड व निर्वाचन बोर्ड में कुछ गड़बड़ी अवश्य है। अतः इसकी छानबीन अवश्य की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे देश की टीम अभी हाल में इंगलैंड जाने वाली है और एक या दो दिन में उसके कैप्टेन का निर्वाचन भी होने वाला है । मैं आशा करता हूं कि खिलाड़ियों आदि के परामर्श से कैप्टेन का निर्वाचन किया जायेगा और खिलाड़ियों के लिए कुछ आचरण सम्बन्धी नियम भी बनाये जायेंगे । ताकि जो गलती भारत में हुई है—कैप्टन का बार-बार बदला जाना—वह वहां न हो । कुछ वर्षों पूर्व क्रिकेट का खेल हमारे देश का बहुत अच्छा था । आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हमारे यहां मोहम्मद निसार जैसा कोई अच्छा बोलर नहीं है । पहले हमारे देश में खेलों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी फिर भी खेल बहुत अच्छा था । अब हमारे यहां राजकुमारी खेल प्रशिक्षण योजना है फिर भी खेल अच्छा नहीं है । अभिप्राय यह है कि सुविधाओं के बावजूद भी खेल के स्तर में उन्नति नहीं हो रही है ।

खेल कूद के सम्बन्ध में तदर्थ समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमारा स्तर नीचे नहीं गिर रहा है । आंकड़ों से भी ऐसा ही पता लगता है । पर १९५१ से दिल्ली में जब एशियाई खेल हुए थे तो भारत दूसरे नम्बर पर आया था । मनीला में जब एशियाई खेल हुये तो भारत चौथे नम्बर पर आया और अभी हाल में जब टोकियो में एशियाई खेल हुए तो भारत का स्थान सातवां रहा । अब आप देखिए कि एशियाई खेलों में, जिसमें २४ देश भाग लेते हैं, हमारा स्थान दूसरे नम्बर से नीचे गिर कर सातवें नम्बर पर पहुंच गया । स्पष्ट है कि दूसरे देशों ने उन्नति की है पर हमने नहीं की है । यदि आप कहें कि हमारे यहां स्तर नीचे नहीं गिरा है तो भी यह सत्य है कि अन्य देशों ने जितनी प्रगति की है उतनी प्रगति हमने नहीं की है ।

तदर्थ समिति के प्रतिवेदन में हाकी टीम के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये गये हैं । पुलिस से ५ व्यक्तियों को चुना गया है जिसमें एक भूतपूर्व विश्वविद्यालय विद्यार्थी है; रेलवे से तीन व्यक्तियों को चुना गया है जिसमें एक भूतपूर्व विश्वविद्यालय विद्यार्थी है। शेष व्यक्तियों में एक विद्यार्थी है, दो अनैतनिक प्रशिक्षक हैं और ६ अन्य व्यक्ति हैं । मैं पूछता हूं कि रेलवे के जो राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ी हैं उनमें से केवल ३ को ही क्यों लिया गया । इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए । साथ ही खेलकूद के कुछ संघों में कुछ लोग कई-कई वर्षों से पदाधिकारी बने हुए हैं । मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हूं । कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और अब भी उनकी सलाह से बहुत लाभ हो रहा है । पर कुछ व्यक्ति, अभी भी ऐसे पदों पर हैं, जिन पर उनको नहीं होना चाहिए । चूंकि सरकार इन संघों को अनुदान देती है अतः सरकार को इन बातों की छानबीन करनी चाहिए ।

इस के अतिरिक्त स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में ही खेल-कूद की भी व्यवस्था होनी चाहिये । कई स्कूल व कालेज ऐसे हैं जिन के पास खेल के मैदान कहीं भी पास में नहीं हैं । विद्यार्थियों को खेलने के लिये तीन मील दूर जाना पड़ता है । अतः स्कूलों तथा कालेजों के पास खेल के मैदान हों, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिये । इस के अतिरिक्त अर्न्तस्कूल खेल कूद प्रायः होते रहते हैं । मेरा सुझाव है कि अन्तर्जिला टूर्नामेंट भी होनी चाहिये । फिर, स्कूलों में खेल कूद के जो प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं, उन के सम्बन्ध में भी सावधानी बरती जानी चाहिये । अब ड्रिल-मास्टर वाली पुरानी परिपाटी से काम नहीं चलेगा । योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्कूलों तथा कालेजों के प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिये । इस से देश के खेलों का समुचित संगठन करने में सहायता मिलेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव में से "विशेष रूप से क्रिकेट के" शब्द निकाल दिये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे प्रसन्नता है कि आप ने इस विषय पर चर्चा करने के लिये कुछ समय दिया है । मैं समझता हूं कि इस का मतलब यह नहीं है कि आगे एक पूर्ण वाद-विवाद का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुई]

मैं समझता हूं कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने तदर्थ समिति का प्रतिवेदन नहीं पढ़ा होगा । कुछ भी हो, पर देश के खेल-कूद के क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है ।

क्रिकेट का उल्लेख किया गया । मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दूंगा । हमारे बीच क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं । वे क्रिकेट की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान रखते हैं । मेरा निवेदन है कि हमें अपनी हार को खिलाड़ी की स्वस्थ भावना से देखना चाहिये । मेलबोर्न, टोकियो या अभी हाल के टैस्ट मैच में जो कुछ हुआ उस से हमें अपने स्तर का निर्णय नहीं करना चाहिये । यह सब हमारी ही गलती से हुआ है । हमें ठीक नेतृत्व नहीं मिला या निर्वाचन बोर्ड ने कुछ गलती की—जो कुछ भी हो—पर हम उतना अच्छा नहीं खेल सके जितना अच्छा खेल सकते थे । खेल के स्तर को सुधारने के लिये क्या किया जाये इस सम्बन्ध में हम तब चर्चा करेंगे जब इस विषय पर पूर्ण वाद-विवाद होगा ।

क्रिकेट के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी टीम अभी हाल में विदेश जा रही है । उस के नेतृत्व के लिये बहुत से लोग प्रयत्नशील हैं । पर अभी जो कुछ हो चुका है उसे देखते हुए नियंत्रण बोर्ड तथा सरकार का कर्त्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखे कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही इस टीम में बाहर भेजा जाये । अपने विमति टिप्पण में मैं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेतृत्व करने के लिये बहुत से लोग लालायित हैं और उन में अयोग्य व्यक्ति भी हैं । माननीय मंत्री या नियंत्रण बोर्ड का यह कहना समुचित नहीं है कि यह तो एक स्वशासी संस्था है और हम इस में क्या कर सकते हैं । स्वशासन तब तक ही ठीक है जब तक जनता उसे पसन्द करे, पर जब गलत बातें की जाती हैं तो जनता सरकार की आलोचना करती है । मैं समझता हूं कि तदर्थ समिति ने थोड़े से समय में जो प्रतिवेदन तैयार किया है वह ठीक ही है । अतः मेरा निवेदन है कि हमारी जो टीम बाहर जा रही है उस के सम्बन्ध में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाये कि पहले की सी गलती की पुनरावृत्ति न होने पावे ।

पदाधिकारियों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों से हमारा मतभेद रहा है । समिति ने कहा है कि यदि पदाधिकारी ठीक व्यक्ति हों, तो सब त्रुटियां दूर हो जायेंगी । समिति का विचार है कि हमेशा पदाधिकारी रह कर कोई भी व्यक्ति अच्छी सेवा नहीं कर सकता । पर मेरा निवेदन है कि पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित कर के हम बुराई से नहीं बच सकते ।

मेरा तो निवेदन है कि हमारा नेतृत्व ही गलत है । केवल आलोचना करने से ही हमारे देश का कोई लाभ नहीं होगा । राज्य स्तरों पर यदि विभिन्न टूर्नामेंटों तथा खेलों को प्रोत्साहन दिया जाये तो स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है । पर हमारे मंत्री आदि इस विषय में रुचि नहीं लेते ।

आप को पता है कि कलकत्ते में कोई स्टेडियम नहीं है । सरकार इस बात पर बहुत समय से विचार कर रही है । बिहार में भी स्टेडियम बनाने की मांग है पर मेरा विचार है कि पटने के बजाय रांची या जमशेदपुर में स्टेडियम बनवाया जाये तो ज्यादा अच्छा हो ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्थिति का समुचित सिंहावलोकन करें । स्थिति कुछ अच्छी नहीं है । मैं समझता हूं कि जब प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित हो जायेगा तो कार्य-मंत्रणा समिति

†मूल अंग्रेज़ी में

इस विषय पर वाद-विवाद के लिये कम से कम १० घंटे का समय निर्धारित करेगी । जहां तक वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, हम काफी बड़ी सहायता दे सकेंगे । हमें डा० श्रीमाली को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्हों ने तदर्थ समिति नियुक्त की । यद्यपि मेलबोर्न या टोकियो में जो कुछ हुआ है उस के आधार पर तदर्थ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी । पर अन्य कारणों के आधार पर समिति नियुक्त करने की आवश्यकता थी ।

यदि हमारे देश की जनता प्रयत्न करे तो हम बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं । एक बात और ध्यान देने योग्य है कि खेल कूद में केवल शारीरिक प्रदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है । इस सम्बन्ध में चरित्र का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): सन् १९५५ में खेल-कूद की गिरती हुई दशा का उल्लेख मैं ने सरकार के समक्ष किया था । लेकिन इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने जो रवैया अपनाया है उस से मुझे बहुत दुख हुआ है । बहुत सी बार उन से कहने पर तो उन्हों ने कल यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस समिति के सदस्यों के नाम देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । इन सदस्यों में श्री जयपालसिंह ही एक ऐसे सदस्य हैं जिन्हों ने हाकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और औलम्पियक में विजय पायी । उन्होंने ही अपनी विमति टिप्पणी दी है जिस का ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिये । अब प्रश्न यह उठता है कि इस समिति के सदस्य कौन कौन थे ? हालांकि इन सदस्यों के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर है किन्तु फिर भी मैं इतना कहूंगा कि ये सदस्य उपयुक्त नहीं थे । १९५५ तक खेल-कूद की दशा अच्छी नहीं थी और माननीय मंत्री ने उस के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया । इस समिति के कुछ सदस्यों को छोड़ कर शेष सदस्य ऐसे ही थे जिन की खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी । जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने कहा है कि अगर यह समिति उपयुक्त व्यक्तियों की होती तो खेल-कूद की गिरती दशा के कारणों के सम्बन्ध में हमें अवश्य ही पता लग गया होता । प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों से हमें यह पता तो लग जाता है कि हमारे खिलाड़ियों में सुधार हो रहा है किन्तु ओलम्पिकों में हमारी स्थिति निरन्तर नीची हो रही है । आज हमारे देश का स्थान सातवां है जबकि १९५१ में हमारा स्थान दूसरा था। किन्तु दूसरी ओर स्थिति ठीक इस के विपरीत है। छोटे छोटे राष्ट्र जिन की जनसंख्या हम से कम है हम से अधिक प्रगति कर रहे हैं । हमारी अवनति दिन पर दिन हो रही है किन्तु इस का कारण समझ में नहीं आता और न हम इस अवनति को रोक ही पाते हैं क्योंकि इन संगठनों का संगठन कुछ ऐसे लोगों के हाथों में है जो इन में उन्नति न कर के केवल अपने पद पर आरूढ़ ही रहना चाहते हैं । यहां तक अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् भी ठीक से संगठित नहीं है । विदेशों में हम देखते हैं कि खेल-कूद के सामान्य स्तर निर्धारित कर दिये जाते हैं और वहां वे स्तर एक वर्ष में ही पूरे कर दिये जाते हैं किन्तु हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता । हमारे यहां खेल-कूद के क्षेत्र में होनहार कालेज के विद्यार्थियों को कोई प्रोत्साहन तक नहीं दिया जाता ।

हम देखते हैं कि हमारे यहां १५०० विद्यार्थियों के खेलने के लिये १० एकड़ भूमि निश्चित कर दी गई है जो पर्याप्त नहीं है । इतनी भूमि में तो मुश्किल से ७५ विद्यार्थी खेल सकते हैं । इस के प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अधिक व्यापक एवं विस्तृत होना चाहिये था । इसलिये माननीय मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या का समुचित अध्ययन करने के लिये एक दूसरी समिति की नियुक्ति करें । क्योंकि हमें खेल-कूद की स्थिति में सुधार करना है ।

क्रिकिट के बारे में मुझे यह सुन कर दुख हुआ जैसा कि श्री जयपालसिंह ने बताया कि इस के दल के एक मैनेजर के बारे में प्रचार किया जा रहा है । हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में दिन प्रतिदिन

†मूल अंग्रेज़ी में

अवनति हो रही है। एक दिन था जब कि हमारी क्रिकिट की प्रशंसा की जाती थी। क्रिकिट के नियंत्रण मंडल में कई कमियां हैं। इस के ऊपर के पदाधिकारियों में विभिन्न स्थानों के लिये प्रचार किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये उपयुक्त हैं और उन में क्षमता है उन्हें स्थान भी नहीं मिलता। हमारे यहां क्रिकिट का खेल बहुत सी शर्तों के अधीन होता है। बैटिंग का उदाहरण ही लीजिये हमारे यहां अच्छे ढंग का बाउलर भी नहीं है। फिर यह कैसे आशा की जा सकती है कि हमारे यहां का बेटिंग अच्छा होगा। हमारे यहां अच्छे विकेटकीपर भी नहीं हैं। फिर ऐसी स्थिति में हमारी क्रिकिट टीम को बाहर विदेशों में खेलने के लिये भेजने में क्या तुक है। यह तो ठीक है कि जहां तक विदेशी विनिमय का मामला है कि उस का भार सरकार पर नहीं पड़ेगा। इसलिये आज जबकि हमारी क्रिकिट टीम इंगलिस्तान जाने वाली है आवश्यकता इस बात की है ३०–४० वर्ष के खिलाड़ियों की अपेक्षा नवयुवकों को भेजा जाये जो वहां से अनुभव प्राप्त कर के भारत की टीम को समृद्धिशाली बनायें। इसलिये विदेश मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ करना चाहिये। हम जानते हैं कि विभाजन के पश्चात् हमारे यहां मुहम्मद हनीफ़ जैसा कोई अच्छा खिलाड़ी भी नहीं हुआ है जिस का विश्व भर में नाम है। पाकिस्तान में नासिर ग़नी नामक १७ वर्षीय नवयुवक टैस्ट मैच में खेलता है क्या हमारे भारत में कोई ऐसा उदाहरण है। हमारे यहां वडकर नाम का अच्छा खिलाड़ी है जो सैंचुरी बनाता है किन्तु क्रिकेट टीम में स्थान भी नहीं मिला क्योंकि क्रिकिट के कन्ट्रोल बोर्ड में उस का कोई प्रभाव नहीं था। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें नवयुवकों का दल भेजना चाहिये जो वहां से अनुभव प्राप्त कर के वापस लौटें और अपनी टीम को समृद्धिशाली बनायें।

इसलिये अन्त में मैं माननीय मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि वह इन खेल-कूदों को शिक्षा की तरह महत्वपूर्ण समझें और हमारे देश में खेल-कूदों के सुधार के लिये अधिक धन दें जिस से कि बहुत सी संस्थायें जैसे स्टेडियम, जिमनेजियम, फील्ड, ट्रेक्स, तथा कोर्ट आदि अपने यहां बनायें और इस दृष्टि से अपने यहां विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकें कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक स्कूल अपने यहां से एक या दो अच्छा खिलाड़ी उत्पन्न कर सके। बस इतना कह कर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**डा० सुब्बारायन** (तिरुचेंगोड) : वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले जाने वाले मैच में कैप्टनों के बदलने के सम्बन्ध में श्री विट्ठल राव ने संकेत किया है। किन्तु उन की अपेक्षा इस बारे में मैं अधिक जानता हूं। कैप्टनों का बदलना प्रायः होता रहता है। ऐसा प्रायः विदेशों में भी होता है। किन्तु बोर्ड को यह अधिकार होता है कि वह जिस को चाहे टीम का मैनेजर नियुक्त करे। विदेशों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी और कैप्टनों के मनचाहे व्यक्तियों की नियुक्ति मैनेजर के स्थान पर नहीं हुई किन्तु अनुशासन बनाने की दृष्टि से बोर्ड ने उन की इच्छा की परवाह न की किन्तु इस के लिये उन्हें हानि भी उठानी पड़ी। किन्तु इस का अभिप्राय यह नहीं है कि मैं कन्ट्रोल बोर्ड का प्रतिपादन कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि उस ने कई भूलें की हैं। जैसा कि श्री जयपालसिंह ने कहा है कि इस ने ऐसे कार्य किये हैं जिस से क्रिकेट की ख्याति को हानि पहुंची है मैं इस से सहमत हूं। मैं क्रिकेट बोर्ड में ९ साल रहा और इस में सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु इसी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह इतना बुरा नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। श्री विट्ठल राव ने कहा है कि आप के पास अच्छे बाउलर नहीं हैं। किन्तु बाउलर बनाये नहीं जाते। यह बात हमारे साथ ही लागू नहीं है विदेशों में भी ऐसा ही होता है। इंगलैंड की टीम को भी बहुत अर्से तक अच्छा बाउलर नहीं मिल सका था यह ठीक है कि दिल्ली में जिस नवयुवक ने बाउलिंग की थी, वह, यदि अच्छी देख भाल की

†मूल अंग्रेज़ी में

जाये, तो एक अच्छा बाउलर बन सकता है। इसलिये यह कहना कि हमारी अवनति हो रही है ठीक नहीं है। यह संतोष की बात है कि इस वर्ष इंगलैंड ने अब की बार आस्ट्रेलिया में उतना ही बुरा खेला है जितना कि हम ने वैस्टइंडीज के विरुद्ध खेला है। इसलिये इन खेलों के आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि हमारी अवनति हो रही है। मैं अब भी यह देखता हूं कि हमारे यहां अच्छे खिलाड़ी हैं। यह होते हुए भी इतना अवश्य कहूंगा कि हमारी टीम के खिलाड़ी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वे व्यक्ति मात्र हों जब कि वैस्टइंडीज के खिलाड़ी एक टीम की हैसियत से खेलते हैं। किन्तु यह सब कुछ कैप्टैन पर निर्भर करता है वह अपनी टीम पर नियंत्रण कर के उन में संयुक्त मेल-मिलाप की भावना उत्पन्न कर सकता है।

श्री वें० प० नायर ने सुझाव दिया है कि क्यों न हम इंगलिस्तान के टूर को स्थगित कर दें। हर चीज के दो पहलू होते हैं हम ने उन को वचन दे दिया है। इंगलिस्तान में हमारी टीम का कार्यक्रम बन गया है वहां भारतीय दल द्वारा ३० मैच खेले जाने हैं। यदि इस समय हमारा दल वहां नहीं जायेगा तो बड़ी कठिनाई होगी।

श्री नायर ने सुझाव दिया है कि हमें नवयुवकों को भी भेजना चाहिये। यह ठीक है किन्तु पुराने खिलाड़ियों के साथ भी हमें संतुलन करना है। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को रखना आवश्यक हो जाता है जिन्हें इंगलिस्तान के क्रिकेट-मैनों का अनुभव हो और जो नवयुवकों के सामने उदाहरण रख सकें। यह हो सकता है कि पुराने खिलाड़ियों की संख्या अधिक न हो। इसलिये मुझे आशा है कि इस नये दल के सदस्यों का चयन करते समय नवयुवक खिलाड़ियों को भी लिया जायेगा। और अन्त में आशा करता हूं कि इस का मैनेजर भी ऐसा होगा जिस का राजनयिक स्तर भी अच्छा होगा। मेरा अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति ऐसा हो जो हमारी ख्याति की वृद्धि करे और वहां अच्छे खेल का प्रदर्शन कर सके।

इस समिति के सदस्यों की भी आलोचना की गई है। इस के अध्यक्ष महाराजा पटियाला की भी बड़ी आलोचना की गई है। किन्तु इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं कि उन्हों ने भारतीय खेलों और विशेष रूप से क्रिकेट की उन्नति के लिये कितना प्रयत्न किया है। मुझे याद है कि १९४६ में भारत की क्रिकेट टीम को इंगलिस्तान भेजना था, और रुपये की कमी पड़ गई तो उन्हों ने इस के लिये धन दिया। हो सकता है कि उन्हों ने कुछ भूलें की हों। इसलिये हमें व्यक्तित्व को नहीं देखना चाहिये बल्कि उन के द्वारा किये गये कार्यों को देखना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार भारतीय खेलों की वृद्धि करने में सहायक होगी।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह सत्य है कि भारतीय खेलों में और विशेष रूप से क्रिकेट में बराबर अवनति हो रही है। और इस का कारण है कि भारतीय खेलों में और विशेषत: क्रिकेट खेल में बहुत कुछ बैर-भाव, एक दूसरे की निन्दा करना तथा खींचातानी चल रही है। और इस तथ्य को कोई मना भी नहीं कर सकता है।

जब से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद क्षेत्र में भाग लिया है तब से उस ने अब तक ५७ टैस्ट मैच में भाग लिया है। उस में से उस ने केवल ५ टैस्ट मैच में जीत पाई है। इंगलैंड के साथ १९ मैच खेले हैं जिस में से १० मैचों में हार हुई है और एक मैच जीता है। वैस्ट इंडीज के साथ भी बहुत से मैच खेले हैं किन्तु जीत कहीं नहीं हुई। हमें इस का कारण देखना है। आस्ट्रेलिया से भी हम ने कोई मैच नहीं जीता है। अगर भूतकाल का क्रिकेट का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे यहां बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार मनकद जब इंगलैंड में खेल रहे थे तो वहां के संवाददाता ने उन की इतनी

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रशंसा की कि उन के पास शब्द ही न रहे । अब यह प्रश्न उठता है कि हमारे यहां अब इतने अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं होते । हमें इस का कारण देखना है ।

जब हम इन कारणों पर प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में हमारे यहां अच्छे नेता की कमी है । और इस का दायित्व कन्ट्रोल बोर्ड पर है । इस के सदस्य अपने पद बनाये रखने के लिये लालायित हैं । वे दूसरे देशों में जाते हैं, वे वास्तविक स्थिति का सही अवलोकन किये बिना टैस्ट मैच का आयोजन करते हैं । इस बोर्ड के पदाधिकारी भी ऐसे ही हैं । न केवल केन्द्र में ही अपितु राज्यों की संस्थाओं में भी इन का एकाधिपत्य है । उन की खेल में कोई रुचि नहीं होती । अतः ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि उन्हें अपना स्थानछोड़ देना चाहिये । वे खेलों की अपेक्षा किन्हीं और चीजों में रुचि रखते हैं । लोग आज सत्ता प्राप्त करने की फिक्र में रहते हैं और सत्ता वोटों के अधिकार पर मिल जाती है । ये लोग वोट इकट्ठा करने में अधिक रुचि रखते हैं न कि खेलों में । इस सम्बन्ध में राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्टस् कोचिंग स्कीम का उल्लेख किया गया है वहां भी यही हाल है । बोर्ड वाले अपनी निधि का अपव्यय कर रहे हैं । इस की समितियों की बैठकें टैस्ट मैच के समय की जाती हैं इस प्रकार सदस्यों को न केवल टैस्ट मैच देखने को मिलता है बल्कि यात्राभत्ता भी मिलता है । इस प्रकार ये लोग आनन्द कर रहे हैं । क्रिकेट के खेल में हम देखते हैं कि यह तो केवल नाम मात्र की रह गई है । इस की आत्मा मर चुकी है । यह सब कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिस से कि इन खेलों में सुधार हो ।

एक दिन था जब हमारे यहां के खिलाड़ी विदेशों में जा कर नाम कमाते थे । आज भी इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने खिलाड़ी विदेशों को भेजें क्योंकि खेलों के द्वारा ही हमारे देश की सद्भावना बनती है ।

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने तथा खेलों में सुधार करने के लिये हमें सुविधाओं का प्रबन्ध करना है । हमें विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सुविधाओं की व्यवस्था करनी है क्योंकि वहां नवयुवक हैं और वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं । फास्ट बाउलर के बारे में उल्लेख किया गया है लेकिन बाउलर बनाये नहीं जाते । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां भी कम्पिटीशन हों । हमारे देश के तथा विदेशों के अच्छे खिलाड़ियों की सेवायें उपलब्ध की जायें जिस से कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके । भूत में भी ऐसा होता रहा है अच्छे खिलाड़ियों की सेवायें ली गई हैं । वे यहां आये, कुछ दिन रहे और यहां के खिलाड़ियों को बाउलिंग आदि की प्राशिक्षा दी । इस के अतिरिक्त इनाम देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इंगलिस्तान जाने वाली टीम का समाचार पत्रों तथा यहां सदन में भी उल्लेख किया गया है । हमें अभी इस के सदस्यों का चयन करना है । विदेशों में बहुत पहले ही टीम के सदस्यों का चयन कर लिया जाता है । किन्तु हमारे यहां ठीक इस के विपरीत होता है अन्त समय तक मामला चलता रहता है । हमारे यहां बहुत सी बातों पर विचार किया जाता है । विदेशी विनिमय के लिये पूर्णतः सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है यह भी देखना पड़ता है कि क्या सरकार हमारी टीम को इंगलिस्तान भेजेगी अथवा नहीं । इन्हीं सब बातों के कारण अकुशलता रहती है, देर होती है और अन्य प्रकार की खींचातानी भी चलती रहती है ।

कैप्टेन के परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है । यह ठीक है । विदेशों में भी ऐसा होता है । कुछ कैप्टेन त्यागपत्र भी दे देते हैं अब यह प्रश्न उठता है कि क्या खेलों के क्षेत्र में भी सैना जैसी व्यवस्था करनी ठीक है अथवा नहीं । इस प्रकार की व्यवस्था में हमारा विश्वास नहीं है । मेरा विचार है कि संसार का कोई भी देश इस व्यवस्था को पसंद नहीं करेगा । इसलिये शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि सरकार इस के लिये कुछ निधि देती है इसलिये इस क्रिकेट को ऐसे व्यक्तियों को सौंपना चाहिये जिन में इस के प्रति रुचि हो, जिनमें भावना हो । जिनमें न केवल क्रिकेट संसार की सेवा भावना हो बल्कि देश और जनता के प्रति भी सेवा की भावना हो । हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व आदर के साथ हो ताकि हमारे देश का सम्मान और गौरव बढ़े । हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार हमारे देश का सम्मान और गौरव गिरे । हमें अपने खेलों का स्तर ऊंचा उठाना है क्योंकि हमें अपने जीवन का दृष्टिकोण व्यापक बनाना है और संसार में न केवल राजनयिक तथा सरकारी साधनों के आधार पर सद्भावना बनानी है बल्कि खेल-कूदों, सांस्कृतिक तथा अन्य दूसरे साधनों के द्वारा भी इसे बढ़ाना है ।

†**श्री बैरो** (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय) : खेल-कूदों की गिरती हुई दशा का अवलोकन करने के लिये जो समिति बनाई गई है उस का आधार क्रिकेट के प्रति सच्ची भावना नहीं थी । मैं मंत्रालय से यह मालूम करना चाहता हूं कि किन किन व्यक्तियों ने इस समिति के समक्ष गवाहियां दीं । क्या ये गवाहियां सभा पटल पर रखी जायगी । तभी हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि गवाहियों के आधार पर जो निष्कष निकाले गये हैं वे ठीक हैं । मेरा विश्वास है कि इस समिति के सामने कोई गवाही नहीं दी गई थी । खेलों की विभिन्न संस्थाओं को प्रश्नावली भेज दी गई थी और उन में से कुछ संस्थाओं ने उस प्रश्नावली के उत्तर भी नहीं भेजे । और इन्हीं उत्तरों के आधार पर इस समिति ने अपने निष्कष निकाल लिये । और यही कारण है कि हमारे देश में इन खेल-कूदों की गिरती हुई दशा के मूल कारण क्या थे—उन पर सही प्रकाश नहीं डाला गया है । आज हम अपने देश में देखते हैं कि जो खेलों के बारे में मामूली से मामूली बातें भी नहीं जानते वे ही आज इन खेलों के सर्वेसर्वा बने बैठे हैं । मैं चाहता हूं कि बोर्ड में अनुशासन हो तभी खिलाड़ियों में भी अनुशासन हो सकता है ।

हमारी हार के कारणों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मैं देखता हूं कि कैप्टेन को पूरे अधिकार नहीं हैं । कैप्टेन को पूरे अधिकार होने चाहिये । हमने न केवल विश्वविद्यालयों से ही अपितु स्कूलों से ही विद्यार्थियों की छांट शुरू कर देनी चाहिये । और यह तभी हो सकता है जबकि हम स्कूलों में खेल-कूदों पर अधिक ध्यान दें । अतः मेरा सुझाव है कि अध्यापकों को चाहिये कि वे फील्ड में ही नहीं अपितु कक्षाओं में भी बच्चों को खेल-कूद का प्रोत्साहन दे । साथ ही शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी "रिहोडस पुरस्कार" की भांति पुरस्कार देने चाहिये । केवल पुरस्कार ही नहीं अपितु खेल के मैदान में सामान्य चरित्र तथा योग्यता भी महत्व रखती है । हमारे यहां इस बात के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं कि अमुक ने पढ़ाई में प्रथम स्थान पाया है किन्तु मेरा सुझाव है कि "रिहोडस पुरस्कार" की भांति कुछ पुरस्कार खेल-कूद के लिये भी देने चाहियें ।

चूंकि शिक्षा मंत्रालय विदेशों को जाने वाली टीमों के लिये धन देता है अतः इस मंत्रालय को यह भी देखना चाहिये कि टीम के सदस्यों का चयन ठीक भी हुआ है अथवा नहीं । जहां तक कि इस टीम (इंगलैण्ड जाने वाली) का सम्बन्ध है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ने वचन दे दिया है किन्तु हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि भविष्य में पांच वर्षों तक कोई भी टीम विदेशों को न भेजें । हम विदेशी टीम अपने यहां बुलायें । उन पर धन व्यय करें और अपने यहां कम्पीटीशन करायें ।

†मूल अंग्रेजी में

हमारे स्कूलों में सामान्य स्तर खेलकूदों के लिये निर्धारित किया जाये और जब वे बच्चे उन स्तरों तक पहुंच जाय तभी हम कह सकेंगे कि हमारे देश में खेल कूद के स्तर में उन्नति हुई है। खेलकूद के सुधार को आंकने का पैमाना यह नहीं है कि हम ने अमुक अमुक मैच में विजय प्राप्त की है बल्कि स्कूलों में सामान्य स्तर के बढ़ जाने से खेलकूद में सुधार हुआ है तभी यह कहा जा सकता है। इसलिये इस का प्रारम्भ स्कूलों से ही करना चाहिये।

इसलिये मैं श्री जयपालसिंह के प्रस्ताव का, कि हमारे यहां "नेशनल प्लेयिंग फील्ड्स एसोसियेशन" की स्थापना की जाये, समर्थन करता हूं। अन्य सदस्यों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि स्कूलों में बच्चों के लिये अधिक फील्ड होने चाहिये। अगर हमें अपने खेल-कूद का स्तर बढ़ाना है तो हमें खेल-कूद के सामान में भी वृद्धि करनी होगी। हमारे यहां एक सब से बड़ी कठिनाई यह भी है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकतानुसार ठीक प्रकार की वस्तुएं भी नहीं मिलतीं। और जब तक ये चीज़ हमारे यहां नहीं बनने लगेंगी तब तक शायद हम सुधार भी न कर सकेंगे।

[श्री जयपाल सिंह पीठासीन हुए]

क्रिकेट के बल्ले, हाकी स्टिक आदि का मानकीकरण होना चाहिये और ये चीजें बच्चों को शुरू से ही स्कूलों में दे देनी चाहियें।

एक बार मैं फिर इस बात पर ज़ोर देता हूं कि टीम के सदस्यों का चयन उपयुक्त हो तथा सावधानी से किया जाना चाहिये। एक बार गलत चयन करने के पश्चात् पछताने से कोई लाभ नहीं।

इन विभिन्न संघों तथा संस्थाओं के लेखाओं की भी जांच होनी चाहिये तथा इन की बैठकों में सरकारी पर्यवेक्षक भी होने चाहियें। सरकारी हस्तक्षेप के तो मैं विरुद्ध हूं, किन्तु यदि इन के लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाते और यदि ये देश में अच्छी प्रकार से खेल-कूदों का संचालन नहीं कर सकते तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि सरकार उन को सहायता दे तथा टीमों को विदेशों में भेजे।

श्री मू० चं० जैन : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव हाउस के सामने ला कर प्रोफेसर मुकर्जी और दूसरे साथियों ने एक बड़ी भारी सेवा की है और इस के लिये मैं उन को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं।

पिछले साल से जब टोकियो में हाकी टीम की डिफीट हुई पाकिसतान के मुकाबले में, उस वक्त हिन्दुस्तान के कोने कोने में इस बात की चर्चा हुई और पहली दफा इस समस्या की तरफ देश का ख्याल गया कि कुछ दाल में काला है। आखिर क्या मामला है कि जिस खेल में बीसों वर्षों से भारत दुनिया में अव्वल आता रहा, वह अपने पड़ौसी पाकिस्तान के मुकाबले में एशियाई खेलों में शिकस्त खा गया। हमारी आबादी ३६ करोड़, पाकिस्तान की मुश्किल से ७ या ८ करोड़। आबादी के लिहाज से और ट्रैडिशन्स के लिहाज से यह एक बड़े भारी अचम्भे की बात थी। हाकी के अलावा जो दूसरे खेल टोकियो में खेले गये, जैसे लांग जम्प, हाई जम्प, दूसरी रेंसेज़, सब में हिन्दुस्तान के प्वाइंट्स बहुत कम आये? इस बात से तमाम हिन्दुस्तान के लोगों पर इस बात का असर हुआ कि जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, गेम्स का ताल्लुक है, उन की तरफ देश का उतना ध्यान नहीं जा रहा है जितना कि जाना चाहिये। इसी साल क्रिकिट के मामले में कुछ अर्सा हुआ जो कुछ गुजरा

वह भी बहुत अफसोस की बात है । इस हाउस में गेम्स और स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं । लेकिन जिस तरीके से यहां बहस हुई और जिस तरीके से यहां पर प्रस्ताव पेश किया गया जिस में खास तौर से कहा गया कि "स्पैशली आफ क्रिकेट", उस से मुझे ख्याल हुआ कि यह क्रिकेट का गेम कभी भी नेशनल गेम नहीं हो सकता । यह तो चन्द अमीरों और धनी तबके के लोगों का गेम हो सकता है । कभी भी जनता का गेम नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि इस हाउस के मेम्बरान इस बारे में मुझ से इत्तफाक करेंगे और इसीलिये मैं ने खास तौर पर यह अपनी तरमीम दी कि इस प्रस्ताव में से यह शब्द "स्पैशली आफ क्रिकेट" निकाल दिये जायें । इस की वजह यह है कि इन शब्दों के रखने से जितनी तवज्जह और खलों के बारे में दी जानी चाहिये वह नहीं दी जायगी । वह सिर्फ क्रिकेट पर ही मर्कूज़ हो जायेगी और बाकी गेम्स का इस से नुक्सान होगा । मेरी तरमीम को पेश करने की वजह यही है और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के मूवर साहब उस को मंजूर कर लेंगे ।

जहां तक स्पोर्ट्स और गेम्स की अहमियत का ताल्लुक है, जैसा मैंने अभी कहा, हाउस के किसी मेम्बर को इस से इख्तिलाफ नहीं होगा । लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि स्पोर्ट्स और गेम्स से क्या क्या फायदे हैं,हमारी फाइव इअर प्लैन में भी उन की तरफ उतना घ्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिये । मैं ने खास तौर से इस प्वाइंट को स्टडी किया । कल से ही स्टडी कर रहा हूं । मैं ने देखा कि फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में इस का थोड़ा सा जिक्र जरूर है लेकिन जब फर्स्ट फाइव इअर प्लैन के खत्म होने के बाद उस का रिव्यू किया गया कि पहले पांच वर्षों में हम ने क्या क्या काम किये हैं तो मुझे हैरानी हुई कि स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया । हालांकि यह इतनी मोटी किताब है करीब ५०० सफे हैं । फर्स्ट फाइव इअर प्लैन ड्राफ्ट करते समय प्लैनिंग कमिशन ने इन चीजों की तरफ इशारा किया था, लेकिन इन पांच वर्षों में हमारे देश में गेम्स और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में क्या काम हुआ है । इस के लिये उस ने एक शब्द भी नहीं लिखा । इस से मालूम होता है कि हमारी गवर्नमेंट इस सवाल को किस तरीके से देखती है । मैं ने सोचा कि शायद सेकेन्ड फाइव इयरप्लैन में कुछ होगा । मैंने उस को भी इस्टेडी किया तो देखा कि इस पर बहुत थोड़ा घ्यान दिया गया है । यानी सिर्फ ७० लाख रुपया एक कालेज को कायम करने के लिये और ५० लाख रु० मुख्तलिफ स्पोर्टस जो देश में हैं उन के लिये सब्सिडी के तौर पर रक्खे गये । आप अन्दाजा लगाइये कि क्या बात है । सभापति महोदय, आप स्वयं एक बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, दूसरे स्पोर्ट्समैन भी हाउस में मौजूद हैं, आप अन्दाजा लगाइये कि आप की फीलिंग इस मामले में क्या हो सकती है । आप खुद सोचिये कि हमारी सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन ४८०० करोड़ रुपये की है, तो भी इस प्लैन में सिर्फ १२० लाख रु० स्पोर्ट्स और गेम्स के लिये खर्च किये जायेंगे । इतने थोड़े रुपये से इतने बड़े देश में स्पोर्ट्स और गेम्स किस तरह से तरक्की कर सकते हैं । एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम ऐग्रिकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन एक इन्वेस्टमेंट जिस का कि "इन्वेस्टमेंट इन मैन" कहते हैं वह बहुत थोड़ा है । इस पर हमारा घ्यान नहीं है । मैं समझता हूं कि गेम्स और स्पोर्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह "इन्वेस्टमेंट इन मैन" है । इससे हमारे देश की जनता का कैरेक्टर ऊंचा होता है । इससे लोग स्पोर्ट्स ही नहीं सीखते हैं, टीम स्पिरिट भी सीखते हैं । आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने के आदी हैं, अगर कोई हाकी खेलेगा तो उस में बिना टीम स्पिरिट के कुछ हो ही नहीं सकता । बालीबाल खेलने वाला भी बिना टीम स्पिरिट के खेल नहीं सकता और जीत नहीं सकता । मुझे खुशी है कि यहां इस बात का जिक्र किया गया । किस तरह से क्रिकेट की टीम में गड़बड़ी हुई यह सारी की सारी चीज यह

रिफ्लेक्ट करती है कि कहीं कोई कमी है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम खेलों को डेवेलप करेंगे तो टीम स्पिरिट आयेगी, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट आयेगी, फिजिकल इन्ड्योरेन्स यानी जिस्मानी ताकत आयेगी । इस से हमारे देश की जनता एफिशिएंट होगी, जिस्मानी ताकत बढ़ेगी तो हमारे यहां ऐग्रिकल्चर और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा । गरज यह है कि किसी तरह से देखिये अगर आप स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ तवज्जह करेंगे तो हर लिहाज से तरक्की होगी । लेकिन आज इस पर सिर्फ १ करोड़ २० लाख रु० सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में हम खर्च करने जा रहे हैं । मैं नहीं जान पाता कि किस तरह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का इस तरफ ध्यान है । मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इन मैन दुनियां भर में ज्यादा हो ताकि हमारे देश में यह चीज फैले और हमें इस बात का गर्व हो ।

जहां तक आबादी का सवाल है, हमारे देश की आबादी दुनियां भर में सिर्फ चीन से ही कम है, वहां की आबादी ६० करोड़ बतलाई जाती है, लेकिन जहां तक गेम्स का ताल्लुक है कितने अफसोस की बात है कि उस ने फर्स्ट या सेकेन्ड प्राइज मुश्किल से एक या दो आइटेम्स में हासिल किये हैं । टोकियो के गेम्स में बाकी जितने भी आइटेम्स हुए सब में प्राइज़ेज छोटे छोटे मुल्कों ने जीते । हमारा यह हाल है । यह सारी चीजें इस बात का तकाजा करती हैं कि स्पोर्ट्स और गेम्स के सब्जेक्ट के साथ जैसा सुलूक किया गया है वह ठीक नहीं है और हमारी नैशनल गवर्नमेंट को उन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये । मैं इस बारे में कुछ सजेशन देना चाहता हूं । वैसे तो उन की तरफ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का ध्यान होगा ही, लेकिन फिर भी मैं उन का ध्यान इन सजेशन्स की तरफ खींचना चाहता हूं । फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में भी इस बात का जिक्र किया गया और उन्होंने खुद लिखा है कि हमारे देश में टेलेन्ट है और अगर उन का ध्यान स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ खींचा जाये तो उन की काफी तरक्की हो सकती है । मैं भी कहता हूं कि आप किसी गांव में चले जाइये होली के मौके पर, आज भी देख लीजिये कि लोग गांव गांव में कबड्डी खेलते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं । लेकिन हम आज इस नेशनल टेलेन्ट को भी डेवेलप नहीं कर रहे हैं । यह एक बहुत ताज्जुब की बात है । मेरा पहला सुझाव यह है कि इस सब्जेक्ट के लिये ज्यादा रुपया रिजर्व किया जाना चाहिये । सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का तीसरा वर्ष गुज़र रहा है । आप इस साल भी इस के लिये रुपया दें और आने वाले सालों में ज्यादा रुपया रिजर्व करें ।

इस के अलावा लीडरशिप का जो ध्यान इस तरफ होना चाहिये मैं महसूस करता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं है । उन का ध्यान सिर्फ इस तरफ है कि जो टाप प्लेअर्स हैं उन के डेकोरेशन्स हों, उन को अवार्ड्स मिलें । इसके अलावा मेरे लायक दोस्त ने भी बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि उन को स्कालर्शिप्स मिलें । जो लोग पुलिस में हों या फौज में हों और अच्छे प्लेअर्स हों उन की तन्ख्वाह दूसरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो, उन को प्रमोशन ज्यादा मिलें । इस तरह से अगर किया जायेगा तो उनकी स्पिरिट्स ठीक होंगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो मुख्तलिफ गेम्स की नेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, वह तो रहें, लेकिन उन तमाम का एक फेडरल इन्स्टिट्यूशन होना चाहिये, हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, बालीबाल, जितने भी बड़े-बड़े गेम्स हैं उन का एक फेडरल इन्स्टिट्यूशन हो और मैं समझता हूं कि हालांकि हमारे प्रधान मंत्री के पास बहुत ज्यादा काम है, लेकिन उस के चेअरमैन वही हों ।

एक माननीय सदस्य : एक काम और जोड़ दीजिये ।

श्री मू० चं० जैन : उन के वहां पर रहने पर उस की इम्पार्टेंस बढ़ेगी । भले ही उन के डिप्टी चेअरमैन की हैसियत से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर काम कर लें, लेकिन चेअरमैन प्रधान मंत्री ही रहें । इस तरह से जिस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होगी वह उस में नहीं रहेगा ।

इस तरह से हर सूबे में इस फेडरल इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेज़ होंगी और उस कोआर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशन का चेअरमैन चीफ़ मिनिस्टर हो और हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर उसका चेअरमैन हो, तब जाकर मैं समझता हूं कि यह हमारे खेल कूद तरक्की करेंगे । आज गेम्स की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं के बराबर है । क्या हमारे हर एक स्कूल और कालिज में गेम्स के वास्ते फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स हैं । अब इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, आपको तो मुझ से ज्यादा तजुर्बा है और आप जानते होंगे कि स्कूल और कालिजों में फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं । उनकी बड़ी भारी कमी है और इस कमी को पूरा करना चाहिये ।

फिर जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि यह महज़ स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं और ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स में पालिटिशिएंस और पावर पालिटिक्स की कोई दख़ल नहीं होनी चाहिये । आज मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पालिटिशिएंस हमारे स्पोर्ट्स को खराब कर रहे हैं और उनको नुक़सान पहुंचा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि केवल स्पोर्ट्समैन ही उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करें क्योंकि वह उनकी चीज़ है ।

इसके बाद एक और चीज़ कह कर मैं बैठ जाऊंगा और वह यह है कि मैं यह तो सुझाव नहीं दूंगा कि इसके लिए सेंटर में कोई अलग मिनिस्ट्री हो लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहूंगा कि इस सब्जैक्ट के लिए मिनिस्ट्री बेशक अलग न हो लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट शैल हो जिसको कि ऐडिश्नल सेक्रेटरी के रैंक का एक आदमी कंट्रोल करे और जिसका कि काम सिर्फ़ गेम्स और स्पोर्ट्स को देखना हो ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं ।

श्री मू० चं० जैन : जी हां, मैं देख रहा हूं कि अभी तक वे डा० सुब्बरायन से जो कि क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनसे बातों में मशगूल हैं और वह मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं ।

ख़ैर यह मेरे चन्द एक सुझाव थे जो कि मैंने मंत्री महोदय और हाउस के सामने पेश किये और मेरे इन सुझावों पर और मेरे अन्य दोस्तों ने जो और सुझाव दिये हैं, उन सब पर मंत्री महोदय ध्यानपूर्वक विचार करके उनके अनुसार अगर अमल करें तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारे देश में गेम्स एंड स्पोर्ट्स तरक्की करेंगे और उनके तरक्की करने से हमारे देश का मान और गौरव बढ़ेगा ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** मैंने जब इस संकल्प को पढ़ा था उस समय यह सोचा था कि क्रिकेट के साथ अन्य सभी खेलों के सम्बन्ध में भी यहां चर्चा होगी । परन्तु यह वाद-विवाद क्रिकेट की आलोचना करने के अतिरिक्त और कुछ न निकला और इसीलिए इस खेल का भूतपूर्व प्रेजीडैंट होने के नाते मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करूं । हमारे पास बहुत से सुझाव भेजे जाते हैं परन्तु इनसे लाभ नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इनको खेलों की वास्तविक स्थिति समझते हुए नहीं रखा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे विचार से यह कहना गलत है कि हमारे खेलों का स्तर गिर रहा है। अपितु हमारे स्तर में कुछ सुधार ही हुआ है। मैं यहां यह कह सकता हूं कि हम मिल्खा सिंह और अन्य खिलाड़ियों के बारे में आगे चल कर बहुत कुछ सुनेंगे।

क्रिकेट में हम इसलिये हारे हैं क्योंकि हमारी फ़ील्डिंग बहुत खराब रहती है, हमारे हारने का यह कारण नहीं है कि बाहर से आने वाली टीमों के मुकाबले में हमारा खेल गिरा हुआ है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इस पर पूरी तरह प्रकाश डालना चाहता हूं। यह सभी जानते हैं कि अच्छे फ़ील्डिंग करने वाले तभी तैयार हो सकते हैं जब फ़ील्डिंग का पर्याप्त अभ्यास हो। परन्तु इसका अभ्यास किस प्रकार हो। इसके लिए सबसे पहले खेलने के लिए अच्छे मैदान की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जबकि स्कूलों तथा कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है उनके लिए खेल के मैदानों की व्यवस्था नहीं की जाती। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री इस बात को पूरी तरह जानते हैं कि स्कूलों तथा कालिजों में खेल के मैदान नहीं हैं और वह इस बारे में कोई कार्यवाही अवश्य करेंगे।

फ़ील्डिग और फास्ट यानी तेज़ गेंद फेंकने वाले बोलर का बड़ा निकट का सम्बन्ध है। फास्ट बोलर को अपनी गेंद पर विकेट अक्सर तब मिल सकते हैं जब खिलाड़ी उसकी गेंद को ग़लत खेल कर कैच उछाल देते हैं। यदि फील्डर कैच लेने में तेज़ हों तो खिलाड़ी आउट होते हैं। यदि फील्डर कैच नहीं ले पाते हैं तो चार रन बन जाते हैं और फास्ट बोलर विकेट नहीं ले पाता है और उसके बोलिंग के आंकड़ों पर बुरा असर पड़ता है जबकि धीमी गेंद फेंकने वाले बोलर अधिक सफ़लता प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनकी गेंद धीमी होने के कारण फील्डर को कुछ समय मिल जाता है। इससे तेज़ बोलर हतोत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी हम फास्ट बोलर नहीं बना पाये हैं। जैसा कि मेरे एक मित्र ने बताया मिस्टर एलन मौस को मेरे सभापतित्व के दौरान में भारत आमंत्रित किया गया था जिन्होंने दो महीने तक कोचिंग कैम्प में कई लड़कों को प्रशिक्षित किया। रमाकांत देसाई जिसने इतनी सफलता पाई उन्हीं लड़कों में से एक है जिन्होंने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया।

ऐसी कोई बात नहीं है कि बोर्ड क्रिकेट के सम्बन्ध में कम ध्यान देता है परन्तु उसके सामने एक बड़ा कठिन काम है। एक अच्छी क्रिकेट टीम में कोई ११ बैटस्मैन या ११ बोलर या ११ फील्डर तो होते नहीं। सब तरह के खिलाड़ियों की अच्छी मिली जुली टीम होनी चाहिये। आवश्यक यह है कि उसमें अच्छे ओपनिंग बैटस्मैन हों, ओपनिंग बोलर हों, अच्छे स्पिनर हों, अच्छे बैटस्मैन हों।

अब यह हो सकता है कि टीम का चुनाव करते समय आप की निगाह में एक जगह पर खेलने वाले दो अच्छे खिलाड़ी हों। उन में से एक को आप चुन लेते हैं तो दूसरे खिलाड़ी के समर्थक चुनाव करने वालों पर पक्षपात का दोषारोपण करने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि यह पक्षपात किस प्रकार हुआ। चुनाव करने वालों के सामने यह समस्या होती है कि जो भी खिलाड़ी हैं उन में से एक सुगठित टीम चुन ली जाये। चुनाव करने वाले तेज़ बोलरों को खुद कहीं से बना कर तो ला नहीं सकते। उन का निर्माण तो देश ही करेगा। चुनाव करने वाले तो उपलब्ध खिलाड़ियों में से ही चुनेंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि फास्ट बोलरों को तैयार करने के सम्बन्ध में भी बोर्ड चुप नहीं बैठा रहा है। मेरे अनुरोध पर रांजी ट्राफी का खेल सेमी-लीग आधार पर आरम्भ किया गया था। इस के फलस्वरूप अधिक मैच खेले जा सकें और अधिक आंकड़े इकट्ठे किये जा सकें। और इस के

कारण अच्छे खिलाड़ियों को, जो भारत का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकें, चुनने के काम में आसानी हो गई है। सेमी-लीग के आधार पर रांजी ट्राफी चलाने का एकदम कोई असर नहीं हो सकता है। इस को आरम्भ हुए अभी केवल २ वर्ष हुए हैं। इस में कुछ समय लगेगा और मेरा विश्वास है कि कुछ समय पश्चात् इस के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

†**श्री बैरो** : रांजी ट्राफी के मैचों का प्रबन्ध उस समय किया जाता है जब विश्वविद्यालय के अन्य कामों का भी समय होता है। इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

†**सरदार मजीठिया** : मैं अपने मित्र से पूरी तरह सहमत हूं कि यह भी एक कठिनाई है। इंगलैण्ड में सामान्यतः खेल उस समय होते हैं जब स्कूलों में अध्ययन का समय नहीं होता। परन्तु भारत में मौसम के कारण खेल तथा अध्ययन दोनों का मौसम एक साथ आता है और इसीलिये दोनों पर ही विद्यार्थियों को ध्यान लगाना पड़ता है। इस से भी हमारे खिलाड़ियों को कुछ कठिनाई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के खेल से हतोत्साहित नहीं हुआ हूं। यद्यपि यह सच है कि इस रबर में हम ने एक भी मैच नहीं जीता है।

मैं बताना चाहता हूं कि गिलक्रिस्ट साधारण प्रकार का फास्ट बोलर नहीं है। वह आज संसार का सब से तेज़ बोलर है। और यदि हमारे बैट्स्मैन उस की बोलिंग पर नहीं टिक पाये तो हमारी कोई मानहानि नहीं है। हमें तेज़ बोलरों की गेंद खेलने का अनुभव नहीं है क्योंकि हमारे यहां कोई तेज़ बोलर नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि पांच वर्ष तक हमें अपनी टीमों को बाहर भेजना बन्द कर देना चाहिये। मेरे विचार से यह ठीक नहीं होगा क्योंकि जब तक विदेशों का अनुभव नहीं होगा तब तक हमारी टीम में सुधार किस प्रकार होगा। दूसरे विदेशी दौरों के द्वारा ही बोर्ड को विदेशी मुद्रा मिलेगी जोकि बहुत आवश्यक है। यदि हम बाहर टीम भेजना बन्द कर देंगे तो हम विदेशी मुद्रा भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जो टीमें बाहर से आती हैं, उन्हें हमें विदेशी विनिमय देना होता है। इसलिये यह ज़रूरी है कि टीम बाहर भेजी जायें। यह तो वित्त मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की मेहरबानी से हम किसी प्रकार काम चला रहे हैं। उन्हीं की कृपा से वैस्ट इंडीज़ की टीम यहां आ पाई। इसलिये यह आवश्यक है कि हम भी अपनी टीम बाहर भेजें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं कि हमें इस प्रकार के दौरे करने चाहियें। इन सब का कार्यक्रम इम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन में प्रति वर्ष बताया जाता है।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हार तेज़ बोलरों की कमी के कारण भी हुई है। हमें एक फ़ास्ट बोलर तो मिल गया है और आशा है कि दूसरा भी मिल जायेगा। परन्तु जैसा कि डा० सुब्ब-रायन ने बताया तेज़ बोलर एकदम नहीं बनाया जा सकता है। उस को बार बार अवसर दे कर आगे बढ़ाना है, उस का विकास करना है। मैं आशा करता हूं कि आगामी दौरे में हमें तेज़ बोलर नहीं तो कम से कम साधारण तेज़ बोलर ज़रूर मिल जायेगा। मैचों में हारने के बारे में जो कुछ कहा गया उस से मैं सहमत नहीं हूं। यदि आप इस दौरे के खेलों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप को पता लगेगा कि वह लगभग उसी प्रकार के हैं जैसे आस्ट्रेलिया में इंग्लैण्ड के रहे हैं। ओपनिंग बैट्स्मैन हमारे पास नहीं हैं जो आरम्भ से ही खेल को शानदार बना सकें। ओपनिंग बैट्स्मैनों का एक विशेष प्रकार का खेल होता है। हर एक बैट्स्मैन ओपनिंग बैट्स्मैन नहीं हो सकता है। उस का विकास करना पड़ता है। उसे विशेष प्रकार का खेल खेलना पड़ता है। उस की मनःस्थिति

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार मजीठिया]

भिन्न प्रकार की होनी चाहिये। बोर्ड नये खिलाड़ियों को ओपनिंग बैट्स्मैन की जगह खेलने के बारे में खोज करता रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि एक ओपनिंग बैट्स्मैन, जो लगभग सभी टैस्ट मैचों में खेला है, कान्ट्रैक्टर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि टीम विदेश में जायेगी तो हमें एक और मिल जायेगा। इस के अतिरिक्त दो अथवा तीन ओपनिंग बैट्स्मैनों से प्रयोग करने पर ही नियमित ओपनिंग पेयर हमें मिल सकेगा। तब हमारा इतना बुरा खेल नहीं होगा।

दूसरी बात भारतीय टीम के कैप्टेन के बार बार बदले जाने के बारे में कही गई। दुर्भाग्य से गत वर्ष मेरे द्वारा प्रस्तुत बोर्ड के संकल्प को, कि हम को सारे टैस्ट मैचों के लिये एक ही कैप्टेन नियुक्त करना चाहिये, व्यवहार में लाना कठिन सिद्ध हुआ है। बोर्ड ने तो आदेश दे दिये थे परन्तु फिर भी उस में परिवर्तन करना पड़े तो यह बोर्ड का दोष नहीं है। भूतकाल में भी कैप्टेन बदले गये हैं। इसलिये यह कोई असाधारण बात नहीं है। जब पूरी बात हमारे सामने आयेगी उस समय मैं समझता हूं कि बोर्ड उचित कार्यवाही करेगा। इस आधार पर बोर्ड की भर्त्सना नहीं की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मार्च के प्रथम सप्ताह में बोर्ड की जो बैठक होने जा रही है उस में संभवतया मैनेजर की नियुक्ति तथा टीम के चुनाव के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझता है और माननीय सदस्यों ने यहां जो भाषण दिये हैं उन पर विचार करेगा और उन से फायदा उठायेगा मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को बोर्ड को प्रोत्साहित करना चाहिये। इस में सन्देह नहीं है कि हम ने गल्तियां की हैं और हरेक व्यक्ति कभी कभी गलती करता है। परन्तु यदि आप उन की भर्त्सना करना आरम्भ कर देंगे तो ऐसा करना उन्हें निरुत्साहित करना होगा। जब कोई काम किया जाता है तभी उस के परिणाम मालूम होते हैं और संभव है जैसा सोचा गया हो वैसा नतीजा न निकले। आस्ट्रेलिया में ही इंग्लैण्ड के कैप्टेन ने आस्ट्रेलिया को पहले खेलने भेजा लेकिन यह निर्णय ग़लत निकला और नतीजे ख़राब हुए। वह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो परन्तु वैसा हो गया। यदि आप कैप्टेन की निन्दा करेंगे और उसे दोष देंगे तो उस को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वह आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिये बोर्ड को उस की गलतियां बताते हुए उस सीमा तक नहीं पहुंच जाना चाहिये कि उस का सभी उत्साह समाप्त हो जाये और वह काम करना ही छोड़ दे। इस प्रकार क्रिकेट के लिये हमारे सामने जो उद्देश्य है वह नष्ट हो जायेगा।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : यह बड़े खेद की बात है कि जब भी कभी हम ने अपना रेडियो खोला तो वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए भारत के खिलाड़ियों के विकेट पर विकेट उड़ते हुए सुना। संभवतया इस के बारे में उन लोगों को जो इस खेल के ज्ञाता हैं, भारत के इन खिलाड़ियों के इतनी शीघ्रता से आउट होने का कुछ औचित्य मालूम हो परन्तु मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, जो भूतकाल में भारत के खिलाड़ियों का खेल देखता रहा हो, इस प्रकार इन के आउट होने से भारत में क्रिकेट के खेल का भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है। माननीय उपमंत्री ने अभी कहा कि बोर्ड आफ कंट्रोल की भर्त्सना करने का कोई लाभ नहीं है। परन्तु हम कुछ बातें तो उन से पूछ सकते हैं। यह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि बोर्ड, जैसे मीडियम फास्ट बोलर और अच्छे बैट्स्मैन को, जिसे अन्तिम टैस्ट मैच में रखा गया, पहली टीम में क्यों नहीं रखा गया। हम को पता है कि लोयोला कालिज के मिल्का सिंह ने वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ कितनी दृढ़ता से रन बनाये। परन्तु फिर

†मूल अंग्रेजी में

भी हम ने इन नवयुवकों की उपेक्षा की और टीम में इन को नहीं रखा । यह कहा जाता है कि हमारे बोर्ड में कुछ राजनीति चलती है । ऐसा यदि है तो निश्चित रूप से इस को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

टेनिस को लीजिये । मैं रामनाथन कृष्णन तथा उन के पिताजी को भली प्रकार जानता हूं । उन के पिता जी ने कृष्णन को बचपन से ही प्रशिक्षित किया और तभी आज वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के टेनिस के खिलाड़ी बन पाये हैं । उसी प्रकार क्रिकेट का भी बचपन से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । मेरे विचार से हमारे देश में हाल, मुहम्मद निसार तथा रनजीत लाल जैसे फास्ट बोलरों की कमी नहीं है । यदि हम एक स्काउटिंग समिति बना कर स्कूलों में बच्चों को ढूंढें तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जो भविष्य में प्रशिक्षण के पश्चात् अच्छे खिलाड़ी बन सकें ।

अनुशासन के सम्बन्ध में मैं अपने मित्रों से पूर्णतया सहमत हूं जिन्हों ने यह कहा है कि खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता नहीं आनी चाहिये । आज हम को सुनाई देता है कि कैप्टेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन की राय का खिलाड़ी नहीं चुना गया था । इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये । परन्तु होता ऐसा है कि जब किसी खिलाड़ी की प्रशंसा हो जाती है और उस का खेल अच्छा हो जाता है तो वह समाचारपत्रों अथवा अपने साथी खिलाड़ियों पर आक्षेप करने लगता है और दोष मढ़ने लगता है । उमरीगर ने ऐसा ही किया और वैस्ट इंडीज़ से बुरी तरह हारने का सारा दोष समाचार पत्रों पर डाल दिया कि उन्हों ने खिलाड़ियों के प्रति ग़लत रवैया अपनाया । यह चीज़ ठीक नहीं है । रामनाथन कृष्णन ने भी बम्बई में इटली के चैम्पियन के विरुद्ध खेलते हुए कहा था कि उन के बराबर के कोर्ट में होने वाले मैच को बन्द करा दिया जाये । परन्तु वह खेल बन्द नहीं किया गया और उन्हों ने पूरी तरह मन लगा कर मैच नहीं खेला और हार गया । इस प्रकार की अनुशासनहीनता बन्द होनी चाहिये ।

मुझे एक तरह से इसकी प्रसन्नता है कि वैस्ट इंडीज से हमारी टीम हार गई । इससे हमें सबक सीखना चाहिए और भविष्य में अच्छा खेलने का प्रयत्न करना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : क्रीड़ा क्षेत्र में भारत काफी पिछड़ा हुआ है । इस दिशा में स्थिति बड़ी शोचनीय है । संगीत, नृत्य और नाट्यकला में तो हम ने समुचित प्रगति की है और राज्य की ओर से इसकी सहायता भी की गयी है । खेलों के मामले में सरकार भी बड़ी सुस्त रही है । हजारों लड़के लड़कियां इस दिशा में नेतृत्व की अपेक्षा में हैं । सरकार को उनकी उपेक्षा न कर इस मामले को हाथ में लेना चाहिए ।

रूस ने इस दिशा में बहुत ही प्रगति की है, काफी संख्या में स्टेडियम बनाये गये हैं । हमारे यहां नाम मात्र को स्टेडियम हैं और इसके लिए हमें राजा महाराजाओं पर आश्रित रहना होता है । क्रिकेट बोर्ड के सदस्य भी आज क्षेत्र में दिखाई नहीं देते । हमें इस दिशा में आरम्भ से ही कार्य का निर्माण कर इसे प्रगति की ओर लाना होगा । इस क्षेत्र की सभी दिशाओं जो जो भी योग्यता उपलब्ध है, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । रूस और अमेरिका में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । खेलों को आगे लाये बिना हम राष्ट्रीय प्रगति की ओर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

अग्रसर नहीं हो सकेंगे। खेलों और सांस्कृतिक कार्यों के लिये हमें एक मंत्रालय की स्थापना कर इसे एक मंत्री को सौंपना चाहिए ताकि ढंग से कार्य हो और लोगों में समुचित रुचि का निर्माण हो सके।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्तावक महोदय तथा अन्य माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और इस विवाद में भाग लिया है। आज संसद् में हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। खेलों से जहां हमारा राष्ट्रीय चरित्र व्यक्त होता है, वहां साथ ही इससे प्रभावित भी होता है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारी खेलों की संस्थाएं समुचित कार्य नहीं कर रहीं। उनमें दलबन्दी है, सार्वजनिक धन का समुचित प्रयोग नहीं हो रहा और कभी-कभी टीमों के लिए ठीक ढंग के लोगों का चुनाव नहीं हो पा रहा। इन बातों का सरकार से काफी सम्बन्ध है। परन्तु सरकार की कठिनाई यह है कि ये खेलों सम्बन्धी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और सरकार की नीति इन खेलों सम्बन्धी संस्थाओं की स्वतन्त्रता का आदर करना रही है। श्री आल्वा ने कहा है कि सरकार इन संस्थाओं को अपने हाथ में ले। मैं इससे सहमत नहीं हूं और खेलों के क्षेत्र पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक हूं। जो गड़बड़ी चल रही है, उसे दूर करने का सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। मुझे आशा है कि सम्बद्ध पक्षों के सहयोग से खेल संस्थाओं में जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर लिया जायेगा।

१९५४ में सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् की स्थापना की, परन्तु दुर्भाग्य से उसका आरम्भ बहुत ही बुरा रहा। भारतीय औलम्पिक संघ के सभापति महाराजा पटियाला और राजकुमारी जी ने विरोध किया और उसमें सम्मिलित न हुए। साथ ही उन्होंने खेल परिषद् को अपना पूरा सहयोग भी न दिया। बड़ी कठिन अवस्था थी। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में औलम्पिक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने सब को एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयत्न किया और इस कांटे को निकालना चाहा जो कि हमारी खेल संस्थाओं को खाये जा रहा है।

मेरे मित्र श्री नायर ने कुछ सदस्यों को समिति में लिये जाने का विरोध किया है और श्री बैरो ने भी इसका समर्थन किया है। दुर्भाग्यवश वहां इतनी गड़बड़ी चल रही है कि कोई एक व्यक्ति भी सब पक्षों से स्वीकार नहीं हो पा रहा। एक समय था कि श्री नायर भारतीय औलम्पिक संघ के प्रधान के बड़े भारी समर्थक थे और उन्हें दुःख था कि वह उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे थे। वे संघ की गतिविधियों के भी काफी समालोचक थे। मैंने संघ के सभापति को सम्मिलित करने का पूरा प्रयत्न किया क्योंकि किसी प्रकार की जांच भी हो उनका उसमें होना बड़ा आवश्यक था। अतः महाराजा साहब को सम्मिलित किया गया। अब जब उनको सम्मिलित कर लिया गया है तो भी श्री नायर समिति के निर्माण की आलोचना कर रहे हैं।

श्री मोइनुल हक ने एक शिक्षा शास्त्री और खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में सारी जांच में काफी भाग लिया। मैंने ऐसे लोगों को लेने का प्रयत्न किया जो कि निष्पक्ष दृष्टिकोण से सारे मामले पर विचार कर सकें। हमने इस सदन के दो प्रमुख सदस्यों को लिया और शिक्षा मंत्रालय के सचिव को लिया। उनका होना इसलिए जरूरी था, क्योंकि सारी बात को कार्यान्वित किये जाने का उत्तरदायित्व तो शिक्षा मंत्रालय का ही है। हम वित्त सचिव का सहयोग चाहते थे

†मूल अंग्रेजी में

और वह स्वयं भी इस मामले में काफी रुचि रखते हैं । अतः मैं कह सकता हूं कि समिति की नियुक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से की गयी है । अब जब कि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में यह बहुत ही अच्छा कार्य होगा ।

मैं समिति की एक विशेष सिफारिश की ओर, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय के बाकी के वर्षों के लिए धन वितरण से सम्बन्धित है, माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । समिति ने सिफारिश की है कि उपलब्ध राशि का ३० प्रतिशत खेलों के स्तरों को ऊंचा करने और ६५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और शिक्षा संस्थाओं में खेलों को लोकप्रिय बनाने पर खर्च किया जाय । ५ प्रतिशत संघों समितियों के संगठन कार्य पर खर्च किया जाय । शिक्षा संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस दिशा में योग्यता है और वहीं से हमें भविष्य के खिलाड़ी उपलब्ध होंगे । श्री आल्वा और श्री बैरो की यह बात बिलकुल ठीक ही है । और इसे हम नीति के तौर पर अपना रहे हैं । अपने भविष्य के खिलाड़ियों के निर्माण के हेतु हम शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं । अच्छे क्रीड़ा क्षेत्रों और समुचित पढ़ाई का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । इस प्रकार की सभी बातों के सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन ने बड़ी बहुमूल्य सिफारिशें प्रस्तुत कीं । मुझे आशा है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में, प्रतिवेदन के परीक्षण के पश्चात् मैं घोषणा कर सकूंगा कि हम इस दिशा में क्या पग उठाने वाले हैं ।

हमारे स्तरों में जो ह्रास हुआ है और एशियाई और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में जो हमारी हारें हुई हैं, उस पर काफी जोर दिया गया है । हमें विजय प्राप्त न करने और पदक प्राप्त न करने की कोई चिन्ता नहीं । मुझे तो यह चिन्ता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपने व्यवहार स्तर को कायम रखें । क्योंकि कुछ भी हो केवल खे ा ही तो सब कुछ नहीं है । वह तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का एक साधन है । मैं तो खेलों के इसी अंग पर जोर देना चाहता हूं । हम पदक भी लेना चाहते हैं और विजय भी प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु सब से आवश्यक वस्तु यह है कि हम खेलों में आवश्यक नेतृत्व का निर्माण करें । ऐसे लोगों को लाया जाना चाहिए जो देश के युवकों के हृदयों को प्रभावित कर सकें । इसी प्रकार की हम देश में सामूहिक भावना का निर्माण कर सकते हैं और देश में नेतृत्व की चाह जागृत की जा सकती है । सहयोग का भी यही एक मार्ग है । यह बड़ा आवश्यक है कि खेलों के क्षेत्र का नेतृत्व उन लोगों के पास हो जो कि युवकों को प्रेरणा देकर उनमें आत्म विश्वास की भावना निर्माण कर सकें । उन लोगों में नेतृत्व करने की भी समुचित क्षमता होनी चाहिए ।

खेल संस्थाओं पर नियंत्रण करने की हमारी कोई इच्छा नहीं । हमारी इच्छा यही है कि वे स्वतन्त्र रूप में ही काम करें, परन्तु सरकार उनके काम के प्रति उपेक्षित नहीं हो सकती । सरकार इस बात के प्रति सचेत रहना चाहती है कि सार्वजनिक धन का दुरोपयोग न हो, और एक पाई का भी गलत उपयोग न किया जाय । यदि उन्होंने धन का ठीक उपयोग न किया और लेखा जोखा ठीक ढंग से प्रस्तुत किया तो समिति उनका अनुदान बन्द कर देगी ।

प्रश्न पूछा गया है कि समिति ने कोई प्रश्नावलि जारी की थी । बताया गया है कि यह प्रश्नावलि सब राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को भेजी गयी थी और प्रायः सभी से उत्तर प्राप्त हुए थे । इस बात को समिति ने प्रतिवेदन में कहा है कि उन उत्तरों ने समिति के कार्य में काफी सहायता पहुंचाई ।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह हमारा बराबर प्रयत्न होगा कि जिन दोषों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, उनको दूर किया जाय । हम अच्छा खेल

खेलें और हमारे युवकों का व्यवहार स्तर ऊंचा हो। हमारे खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकें।

†**सभापति महोदय** : क्या श्री मू० चं० जैन अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं।

†**श्री मू० चं० जैन** : जी नहीं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

---

†**सभापति महोदय** : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लेगी।

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक*

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शस्त्र, गोला-बारूद और सैनिक सामान सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि शस्त्र, गोला-बारूद और सैनिक सामान सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : बुलेटिन की सूचना के अनुसार हमें उन विधेयकों का नोटिस जिनका बैलट हो चुका है ९ फरवरी तक देना था। लेकिन यह सूचना ही हमें १० फरवरी को मिली है। इससे बड़ी कठिनाई हो गई है, इसलिये विधेयकों की सूचना देने की तिथि सत्र आरम्भ होने के एक-दो दिन बाद तक होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये।

†**सभापति महोदय** : मैं इसे देखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २०-२-५९ में प्रकाशित।

*दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर): श्रीमन्, मैं दण्ड विधान (संशोधन) विधेयक, १९३२ में धारा ७ को लोप कराने सम्बधी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति सदन से चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, १९३२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं तत्सम्बन्धी संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक

†**सभापति महोदय** : श्री राम शंकरलाल अनुपस्थित हैं । इसलिये, अब सभा श्री नौशीर भरूचा द्वारा १२-१२-५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि कुछ मामलों में संसद् और संसद्-सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की परिभाषा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री नौशीर भरूचा अपना भाषण जारी रखें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इंगलैण्ड की कामन्स सभा के एक सदस्य स्ट्रॉस ने ८ फरवरी, १९५७ को एक पत्र मंत्री के नाम लिखा था, जिस में लन्दन विद्युत बोर्ड और उस की नीतियों के

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गज़ट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २२-२-५९ में प्रकाशित ।

[श्री नौशीर भरुचा]

बारे में कुछ शिकायतें थीं । विद्युत बोर्ड उस पत्र के आधार पर श्री स्ट्रॉस पर मुकदमा चलाना चाहता था, लेकिन कामन्स सभा की विशेषाधिकार समिति ने उस का निर्णय यह किया था कि श्री स्ट्रॉस का पत्र लिखना संसद् की कार्यवाही का ही एक भाग था ।

विशेषाधिकार समिति ने यह भी निर्णय किया था कि बोर्ड की ओर से जिन वकीलों ने श्री स्ट्रॉस को मुकदमे का नोटिस दिया था, उन्होंने संसद् के विशेषाधिकार को भंग किया था ।

प्रिवी कौंसिल ने इस निर्णय को मान्य नहीं ठहराया । बाद में, कामन्स सभा की आम बैठक में भी विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत नहीं किया गया था । उस का नतीजा यह है कि संसद्-सदस्य पर मंत्री को शिकायतभरा पत्र लिखने के लिये मुकदमा चल सकता है ।

विशेषाधिकार समिति ने अपना निर्णय १९३९ की विशेषाधिकार समिति के एक प्रतिवेदन के आधार पर किया था । उस प्रतिवेदन में अधिकार विधेयक, १६८८ के अनुच्छेद ९ को आधार बनाया गया था । उस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद् की भाषण और वाद-विवाद या कार्यवाही की स्वतंत्रता के विरुद्ध संसद् से बाहर कहीं या किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं लगाया जा सकता । उसी के आधार पर, हमारी सभा के सदस्यों को यह उन्मुक्ति मिली हुई है ।

'संसद् की कार्यवाही' शब्द बड़ा व्यापक है । संसद् में होने वाले भाषणों के अलावा और कई बातें उस में शामिल हैं ।

लेकिन अभी तक न्यायिक रूप में कहीं भी इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है । कामन्स सभा की विशेषाधिकार समिति ने श्री स्ट्रॉस के पत्र को 'संसद् की कार्यवाही' का भाग इसीलिये बताया था कि लन्दन विद्युत बोर्ड को, हमारे इस्पात निगम जैसे निगमों की तरह, संसद् के अधिनियम के अन्तर्गत ही दायित्व सौंपा गया था, इसलिये माननीय सदस्य द्वारा की गई आलोचना का उत्तर तो मंत्री को देना ही पड़ेगा ।

१६८८ में जब अधिकार विधेयक पारित किया गया था, तब कामन्स सभा में प्रश्नोत्तर की प्रथा नहीं थी । अब हमारे यहां और कामन्स सभा में प्रश्नोत्तर होने के अलावा और काम भी इतना बढ़ गया है कि अब एक नई प्रथा बन गई है कि कोई भी सदस्य पत्र लिख कर मंत्री किसी निकाय के कार्य के सम्बन्ध में पूछ सकता है । अब प्रश्न यह है कि ऐसे पत्र में की गई शिकायत को विशेषाधिकार के अन्तर्गत माना जाये या नहीं ?

पहले तो इंगलैण्ड के एटर्नी-जनरल ने श्री स्ट्रॉस के पत्र को कामन्स सभा की कार्यवाही का भाग नहीं माना था, लेकिन अब वह भी ऐसे पत्रों को कामन्स सभा की कार्यवाही का भाग मानने लगे हैं । कामन्स सभा के बाहर भी, कामन्स सभा के काम के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य को भी, सभा की कार्यवाही का भाग माना जाना चाहिये ।

हम पर इस का क्या प्रभाव पड़ता है? संविधान के अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत यहां के संसद्-सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की परिभाषा यही की गई है कि वे कामन्स सभा के सदस्यों की भांति ही रहेंगी, जब तक कि विधान द्वारा उन को बदला नहीं जाता । इसलिये कामन्स सभा के निर्णय हमारे लिये अनिवार्यतः मान्य होते हैं । इसलिये अब स्थिति यह है कि यदि इस सभा का कोई सदस्य मंत्री महोदय को कोई शिकायतभरा पत्र लिखे, तो उस पर मुकदमा चल सकता है । प्रश्न यह है कि क्या ऐसी हालत में संसद्-सदस्य अपने दायित्वों को निर्भयतापूर्वक निभा सकते हैं ?

इस के बारे में, वर्तमान विधि के अनुसार, यह दलील दी जा सकती है कि संसद्-सदस्यों को कुछ सीमित विशेषाधिकार मिलेगा। सीमित विशेषाधिकार का अर्थ यह है कि सरकारी अधिकारी यदि अपना कर्त्तव्य निभाने के दौरान में कुछ कहता या करता है तो उस पर दण्ड विधि की अवमान वाली धारा के अन्तर्गत दस रियायतें दी जाती हैं। पूरी धारा ज्यों की त्यों लागू नहीं की जाती। उसे आरक्षण दिया जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी संसद्-सदस्य को मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा, खर्च करना ही पड़ेगा, और तभी उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५०० के अन्तर्गत उन दस छूटों का लाभ मिल सकेगा।

अर्थात् संसद्-सदस्य पर मुकदमा तो चलाया ही जा सकेगा। आज हमारे देश में स्वायत्त संस्थाओं की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और साथ ही उन के बारे में भ्रष्टाचार इत्यादि की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। अब यदि उन के बारे में कोई संसद्-सदस्य माननीय मंत्री के पास लिख कर शिकायत करे तो उस पर मुकदमा तो चल ही सकता है। बाद में वह छूट जाये, यह दूसरी बात है। अब प्रश्न यह है कि हम कामन्स सभा की प्रथा से ही चिपके रहना चाहते हैं, या अपने संसद्-सदस्यों को उन से कुछ अधिक उन्मुक्तियां देना चाहते हैं?

कामन्स सभा में इस विषय पर जब चर्चा हुई थी, तब इंगलैण्ड के गृह-कार्य मंत्रालय के मंत्री ने कामन्स सभा के सदस्यों को ऐसी उन्मुक्तियां देने का समर्थन किया था। इस का विरोध एटर्नी-जनरल ने किया था। उन्होंने इसके विरोध में जो कुछ कहा था, उसमें कामन्स सभा के सदस्यों को उन्मुक्तियां देने के बारे में पन्द्रह आपत्तियां की गई थीं। यदि मैं उन सभी आपत्तियों का माकूल उत्तर दे दूं, तो मैं समझता हूं कि फिर इस विधेयक को स्वीकार करने में सभा को कोई भी आपत्ति नहीं रह जायेगी। तब हम इसे प्रवर समिति को सौंप सकते हैं।

एटर्नी-जनरल की पहली दलील यह थी : संसद्-सदस्यों को साधारण नागरिकों से ज्यादा अधिकार क्यों दिये जायें? इस का उत्तर तो स्पष्ट है कि संसद्-सदस्यों का कर्त्तव्य साधारण नागरिकों से कहीं अधिक होता है, और उन के निभाने के लिये उन को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां मिलनी ही चाहियें।

दूसरी दलील यह थी : किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति को कानून का सहारा लेनेके अधिकार से वंचित क्यों किया जाये? इस का उत्तर यह है कि संसद्-सदस्य अपना कर्त्तव्य निभाने में लाखों नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये लाखों नागरिकों के हितों के सामने किसी एक संस्था या व्यक्ति के अधिकार को बड़ा नहीं माना जा सकता।

उन की तीसरी आपत्ति थी : कोई संसद्-सदस्य किसी मंत्री के नाम अपने पत्र में अवमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग ही क्यों करे? लेकिन इस के बिना संसद्-सदस्य किसी भी भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिये लिख ही नहीं सकेंगे।

चौथा तर्क था : अवमानपूर्ण शब्दों के प्रयोग के बिना भी शिकायत की जा सकती है। यह असम्भव है। नरम-नरम शब्दों में भ्रष्टाचार का खाका नहीं खींचा जा सकता। संसद्-सदस्य अपना संदेह पूरी तरह से व्यक्त क्यों न करें?

पांचवीं दलील थी : 'संसद् की कार्यवाही' की परिभाषा में सिर्फ स्वायत्त निकायों को ही समेटा जायेगा या हर किसी संस्था या व्यक्ति को? इस की सीमा यह निर्धारित की जानी चाहिये कि वह मामला लोक-महत्व का होना चाहिये। और, एक शर्त यह भी होनी चाहिये कि वह कर्त्तव्य संसद्-सदस्य के रूप में ही निभाया जाना चाहिये।

[श्री नौशीर भरूचा]

छठवां तर्क था : क्या संसद्-सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार इतने बढ़े हुये होना ठीक है कि साधारण नागरिक अपने सामान्य अधिकारों से भी वंचित हो जायें ? इसका उत्तर तो यह है कि संसद्-सदस्यों का यह विशेषाधिकार साधारण जनता के लाभ के लिये ही है।

एटर्नी-जनरल का सातवां तर्क यह हो सकता है कि यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाये, तो संसद्-सदस्य की ओर से यदि कोई वकील भी किसी सम्मन को ले लेता है, तो वकील भी संसद् का विशेषाधिकार भंग करता है। ठीक है, संसद् का विशेषाधिकार भंग करने वाले को उस का परिणाम भुगतने के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

आठवीं दलील यह हो सकती है कि संसद्-सदस्य पत्र लिखने के अलावा अन्य तरीके से भी तो मंत्री के सामने भ्रष्टाचार की शिकायतें रख सकते हैं। अगले बजट के समय प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन जरूरी तो यह होता है कि भ्रष्टाचार तुरन्त रोका जाये। समाचारपत्रों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें आने से पहले ही मंत्री को निजी तौर पर लिख देना कहीं अच्छा होगा।

नवीं आपत्ति यह हो सकती है कि जब १६८८ से अब तक संसदीय प्रणाली ऐसी उन्मुक्ति के बिना ही ठीक-ठीक ढंग से चलती रही है, तो फिर अब नयी व्यवस्था करने से क्या लाभ होगा ? इस का उत्तर यह है कि संसद् का कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि हमारे दिन-दिन बढ़ते स्वायत्त निकायों के बारे में प्रश्नोत्तर के समय सवाल नहीं पूछे जा सकते।

कामन्स सभा में एटर्नी-जनरल ने यह भी कहा था कि गत ७५ वर्षों में ऐसे कुल ३ मुकदमे चले थे, इसलिये ऐसी आशंका या भय निराधार है कि अब ऐसे ज्यादा मुकदमे चलने लगेंगे। लेकिन यह तो कोई तर्क ही नहीं है, कम से कम कामन्स सभा के एटर्नी-जनरल के योग्य तो नहीं ही है।

यह भी एक तर्क दिया जाता है कि संसद्-सदस्यों को 'सीमित विशेषाधिकार' की व्यवस्था के अन्तर्गत आरक्षण मिलेगा और न्यायालय उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन उस स्थिति में मुकदमा तो चलेगा और उससे संसद्-सदस्य को भाग-दौड़ तथा व्यय तो करना ही पड़ेगा।

एक दलील यह भी दी जा सकती है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भी तो संसद्-सदस्यों को न्यायालयों में घसीटा जा सकता है। लेकिन मैं न्यायालयों के सम्मनों को लूंगा ही नहीं। संसद्-सदस्य अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि न्यायालय भी ऐसे सम्मन नहीं भेजेंगे।

अब हमें ऐसे पत्रों को 'संसद् की कार्यवाही' का भाग समझ लेना चाहिये। यदि हम यह विधेयक पारित नहीं करेंगे, तो संसद्-सदस्य ही नहीं, मंत्री भी मुकदमों में घसीटे जा सकते हैं।

हां, इन पत्रों को सभा की कार्यवाही के सारांश में शामिल करना जरूरी नहीं है। सिर्फ उन पत्रों को उन्मुक्ति दी जानी चाहिये।

यह दलील भी ठीक नहीं है कि संसद्-सदस्यों को ऐसी उन्मुक्ति देना दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करना होगा। मंत्रियों को ऐसे पत्रों को अनावश्यक रूप से प्रचारित नहीं होने देना चाहिये।

अब सवाल यह उठता है कि इस विधेयक के पारित होने से लाभ क्या होंगे ? लाभ यह है कि संसद्-सदस्यों की भाषण-स्वतंत्रता को आरक्षण मिलेगा। यदि हम भ्रष्टाचार की आलोचना ही नहीं

कर सकें, तो भाषण-स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या रह जाता है ? सभा में सभी विषयों पर तो चर्चा की नहीं जा सकती ।

इसीलिये यह विधेयक 'संसद् की कार्यवाही' को इस प्रकार परिभाषित करना चाहता है कि उसमें संसद्-सदस्यों द्वारा दोनों सभाओं के अधिष्ठाताओं या सचिवों और मंत्रियों के नाम लिखे गये ऐसे पत्रों को, और मंत्रियों द्वारा दिये गये उनके उत्तरों को भी शामिल समझा जाये जो संसद्-सदस्य अपना संसदीय कर्त्तव्य निभाने के दौरान में लिखते हैं । यह सारी परिभाषा काफ़ी स्पष्ट और सीमित है । संसद्-सदस्य इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते ।

आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और यदि सरकारी अधिकारियों को मौजूदा स्थिति का पता चल जाये तो वे संसद्-सदस्यों को अपने विभाग के भ्रष्टाचार की ओर उंगली भी नहीं उठाने देंगे; बात-बात पर न्यायालयों की शरण लेने की इजाजत चाहेंगे । इसलिये सरकार को इसे यों ही नहीं ठुकराना चाहिये । यदि इसे प्रवर समिति को भेजा जाता है या विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, तो इस पर पूरी तौर से चर्चा की जा सकेगी । संसद्-सदस्यों को निर्भयतापूर्वक अपना कर्त्तव्य निभाने योग्य बनाने के लिये, यह उन्मुक्ति देना जरूरी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : माननीय प्रस्तावक ने इस विधेयक का उद्देश्य काफ़ी विस्तार से समझाया है । उसे स्वीकार करने के लिये हमें काफी विस्तार से इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि मंत्रियों, दोनों सभाओं के अधिष्ठाताओं और सचिवों को लिखे गये संसद्-सदस्यों के पत्रों को संसदीय कार्यवाही का भाग माना जाये या नहीं ।

लेकिन उससे पहले तो हमें यह देखना है कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार अभी हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ।

संविधान के अनुच्छेद १०५ में व्यवस्था यह है कि यदि कोई विधान न बनाया जाये, तो हमारे संसद्-सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही रहेंगी जो संविधान आरम्भ होने के समय कामन्स सभा के सदस्यों की थीं । इससे स्पष्ट है कि यदि हमारे संविधान के आरम्भ होने के बाद, इंगलैण्ड में इस सिलसिले में कुछ परिवर्तन हुए भी हों, तो हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

लेकिन फिर भी स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है । इसलिये जरूरी है कि हम अपने विशेषाधिकारों की ठीक-ठीक सीमायें जान लें । यह स्पष्ट होना चाहिये कि संसद्-सदस्यों के भाषणों की आलोचना की जा सकती है या नहीं ।

इसलिये यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसलिये कम से कम मैं तो व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसे विधेयक का स्वागत ही करता जिसमें संसद्-सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और विशेषकर उनके कर्त्तव्यों की स्पष्ट परिभाषा की गई हो, जिससे जनता को स्पष्ट रूप से यह पता चल सके कि वह संसद्-सदस्यों की किस कार्यवाही की आलोचना कर सकती है ।

फिर एक प्रश्न यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद १९४ के अन्तर्गत राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भी कामन्स सभा के सदस्यों के बराबर ही

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

मानी गई हैं। इसका मतलब यह है कि संसद्-सदस्य और राज्य विधान मंडलों के सदस्य इस मामले में बराबर हैं। लेकिन यदि इन दोनों के बीच कोई विवाद उठे, तो क्या किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में हमारे यहां कोई भी विधि नहीं है।

इंगलैण्ड में तो यह होता है कि यदि कामन्स सभा और लार्ड्स सभा के बीच कोई विशेषाधिकार-भंग का विवाद उठे, तो विशेषाधिकार-भंग करने वाला सदस्य जिस सभा का सदस्य होता है, उसी सभा की विशेषाधिकार-समिति को वह मामला सौंप दिया जाता है। हमें भी यही प्रथा अपनानी चाहिये।

इस प्रकार, इस प्रथा के अनुसार, यदि किसी राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य किसी संसद्-सदस्य के विशेषाधिकार को भंग करे, तो उसी राज्य विधान मंडल की विशेषाधिकार-समिति को वह मामला सौंप दिया जाना चाहिये।

विशेषाधिकार-भंग और सभा के अवमान के बीच, मैं एक विभेद करता हूं। अनुच्छेद १०५ (३) में दिया गया है :

> "अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हाऊस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।"

इसलिये हमें सभा के विशेषाधिकार और संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकारों में विभेद करना चाहिये।

मान लीजिये कि एक संसद्-सदस्य सभा के बाहर के किसी व्यक्ति को बदमाश कहता है। संसद्-सदस्य को तो इस सभा के सदस्य होने के नाते उन्मुक्ति मिली हुई है। लेकिन क्या सभा से बाहर का वह व्यक्ति सभा से बाहर संसद्-सदस्य के उक्त कथन का प्रतिवाद कर सकता है, संसद्-सदस्य को झूठा ठहरा सकता है ? और, क्या ऐसा करने में वह इस सभा का विशेषाधिकार-भंग करेगा ?? क्या वह न्यायालय में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकेगा ???

इसीलिये मैं कहता हूं कि यदि संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकारों को इतना बढ़ा दिया जायेगा, तो साधारण नागरिकों को कोई आरक्षण नहीं रह जायेगा। संसद्-सदस्यों को इस प्रकार कहीं भी कुछ भी कहने की उन्मुक्ति नहीं मांगनी चाहिये। साधारण नागरिकों को भी संसद्-सदस्यों के आचरणों की टीका करने का अधिकार रहना चाहिये।

क्या यह बिल्कुल जरूरी है कि संसद्-सदस्य मंत्री के नाम अपने पत्र में लिखे कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है ? वह मामला आपके सामने भी तो लाया जा सकता है। और यदि कोई संसद्-सदस्य मंत्री को किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार के बारे में लिखता ही है तो उसे अपने कथन को न्यायालय तक में प्रमाणित करने के लिये तैयार भी रहना चाहिये।

विधेयक के प्रस्तावक का कहना है कि सभा के कार्यक्रम में सामान्यतया ऐसे मामले रखने का समय नहीं रहता। लेकिन हमें उस अधिकारी को भी तो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार देना चाहिये जिसके विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हों।

अवमान सम्बन्धी विधि में इतनी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । यदि कोई संसद्-सदस्य अपने पत्र को गोपनीय बनाकर मंत्री के पास भेजता है, और मंत्री के पास पहुंचने के बाद उस अवमानजनक पत्र का प्रचार हो जाता है, तो क्या उस अवस्था में भी संसद्-सदस्य पर मुकदमा चलाया जा सकता है ? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मंत्री को ही चाहिये था कि उसकी जांच इस ढंग से कराई जाये कि पत्र की बातें गोपनीय ही बनी रहें । हम मंत्री को इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं कि उस अवमान का कोई मामला ही न बन सके । विशेषाधिकार-भंग के मामले हमारे यहां बहुधा उठते हैं, इसलिये जरूरत तो इस बात की है कि इस पूरे प्रश्न पर काफी विस्तार से, इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाये, और तब एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाये । इस सिलसिले में कई प्रकार के संदेह हैं । मंत्रियों के उत्तरदायित्व का प्रश्न भी है ।

इसलिये जरूरी यह है कि इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जाये और उसके लिये एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाये । यदि इस विधेयक में इतनी व्यापकता होती, तो मैं अवश्य ही इसका समर्थन करता ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : यह बड़े महत्व का विधेयक है और इस का सम्बन्ध संसद् सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देने से है । प्रश्न यह है कि क्या जो कुछ उन्मुक्तियां संसद् सदस्यों को उपलब्ध हैं वे काफी हैं और क्या उन्हें अधिक उन्मुक्तियां दी जानी चाहियें । स्पष्ट ही है कि उन्हें अपने कर्तव्य पालन करने के लिये कुछ विशेषाधिकारों का दिया जाना बड़ा आवश्यक है । विधान के अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत इस की व्यवस्था भी है । इस विधेयक के द्वारा संसद् सदस्यों को निजी पत्र व्यवहार में कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की जायेंगी । मान हानि का विधान आप जानते ही हैं । पत्र व्यवहार में प्रकट किये गये किसी भी प्रकार के विचारों को मान हानि की ओर लिया जा सकता है । अतः जरूरी है कि इस विधेयक के उपबन्धों पर समुचित विचार किया जाये ।

यह विधेयक काफी व्यापक नहीं है । संसद् सदस्यों को सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये । अतः व्यवस्था यह होनी चाहिये कि दोनों जानकारी मांगने और देने वाले कानून के पाश में न आये और किसी भी सरकारी कर्मचारी के कृत्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके । वर्तमान मानहानि सम्बन्धी कानून काफी नहीं है । यदि यही कानून रहे तो फौजदारी मुकदमेबाजी ही चलती रहेगी । अतः मेरा निवेदन है कि विधि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये कि इस दिशा में संसद् सदस्यों को किस प्रकार विशेषाधिकार दिया जा सके । यह भी स्पष्ट है कि यह अधिकार हमें उपलब्ध नहीं है, और इस के बिना काम चलाना कठिन है । यदि सरकार भ्रष्टाचार इत्यादि को दूर करना चाहती है तो इसकी व्यवस्था करनी ही होगी ।

मैं विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हूं और आशा रखता हूं कि सरकार इस पर समुचित ध्यान देगी और यदि उसे यह विधान स्वीकार न हुआ तो उन्हें शीघ्र ही तत्सम्बन्धी व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि सदस्य अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकें ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : यह विधेयक बड़ा सरल है और इस का उद्देश्य यह है कि संसद् सदस्यों का पत्र व्यवहार संविधान के अनुच्छेद १०५(२) के अन्तर्गत आ जाना चाहिये । हमें यह बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिये कि यह मामला संसद् के सदस्यों और किसी नागरिक अथवा सरकारी कर्मचारी के बीच का नहीं है । यह तो संसद् सदस्यों के अपने कर्तव्य पालन की दिशा में एक आवश्यक बात है, क्योंकि उन के काम में रुकावटें आती हैं । सदन को इस पर दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

विचार करना चाहिये । इस का समर्थन और विरोध करने का प्रयत्न नहीं उठना चाहिये । सरकार को भी, एक दम इस विधेयक को रद्द न कर के इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये । ताकि हम किसी निश्चित मत को निर्धारित कर सकें । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद ८५ और १०५ पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो तब के विधि मंत्री स्वर्गीय डा० अम्बेडकर महोदय ने कहा था कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों और सुविधाओं के सम्बन्ध में समय समय पर भारतीय संसद् को निर्णय करते ही रहना होगा । डा० राजेंद्र प्रसाद ने भी इस दिशा में सदस्यों को सचेत रहने का परामर्श दिया था । खेद है कि हमारे संसद्-कार्य मंत्री इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये ।

संसद् सदस्य, सदन में जो कुछ भी कहे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, यदि कोई बात अनुचित हो तो अध्यक्ष महोदय के आदेश से उसे कार्यवाही के विवरण से निकाल दिया जाता है । परन्तु कई एक स्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि उन के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किये जा सकते और जानकारी सीधे रूप में प्राप्त नहीं होती । अतः पत्र व्यवहार करना पड़ता है । और किसी मंत्री महोदय अथवा किसी अन्य से किया गया पत्र व्यवहार जिस में कोई सन्देह इत्यादि प्रकट किया गया हो विशेषाधिकार के अन्तर्गत पत्र व्यवहार समझा जाना चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि संसद् सदस्यों को एक अलग श्रेणी मान कर उन्हें यह विशेषाधिकार क्यों दिया जाये । मेरा विचार है कि इस मामले पर काफी मतभेद है अतः इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि संसद् उच्चतम, सत्ता सम्पन्न और विशेषाधिकार प्राप्त निकाय है । इस के सदस्यों को अपने कर्तव्य पालन के लिये कुछ विशेषाधिकार देने ही होंगे । और वही विशेषाधिकार उन पत्र-व्यवहारों के सम्बन्ध में भी होंगे जोकि मंत्री महोदय तथा पीठासीन अधिकारियों से किये जायें ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि संसद् सदस्यों की उन्मुक्तियों, विशेषाधिकारों और शक्तियों को उन पत्रों या प्रकाशनों तक विस्तृत किया जाय जिन्हें संसद् सदस्य सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में मंत्रियों को लिखते हैं । वस्तुतः इस सम्बन्ध में हमें यह जानना चाहिये कि सभा के सदस्यों की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार क्या हैं । संविधान के अनुच्छेद १०५ के अनुसार इस सम्बन्ध में संविधान के अन्य नियमों के अधीन रहते हुए हमें संसद् में भाषण करने इत्यादि की स्वतंत्रता प्राप्त है । तथापि इस का यह तात्पर्य नहीं है कि हम अपने दायित्व की उपेक्षा करें और अनुचित भाषा का प्रयोग करें ।

हमें इस सम्बन्ध में संसद् के अन्दर पर्याप्त स्वतंत्रता है । संसद् सदस्य सभा में ऐसी बातें कह सकते हैं जिन को बाहर कहने पर उन के विरुद्ध मुकदमा चल सकता है । उदाहरण के लिये उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने न्यायाधीशों के सम्बन्ध में सभा में जो कुछ कहा था उस के बारे में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह उन का विशेषाधिकार था लेकिन प्रकाशक को प्रकाशन का अधिकार न होने से वह दंडित करार दिया गया ।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण श्री स्ट्रास का मामला है । उन पर मानहानि के लिये मुकदमा चलाया गया था । जब यह मामला हाउस आफ कामन्स में लाया गया तो विशेषाधिकार समिति ने श्री स्ट्रास के पक्ष में मत दिया लेकिन हाउस आफ कामन्स ने थोड़े से बहुमत से विशेषाधिकार समिति के निर्णय को अस्वीकार कर दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें इस निर्णय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारी संसद् में वही परम्परायें लागू होती हैं जो कि २६ जनवरी १९५० तक वहां कायम हुई हैं। बाद की परम्परायें हमारे यहां लागू नहीं होंगी। वस्तुतः अभी सरकारी उपक्रमों के गठन का युग है अतः अभी से हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिये कि ऐसी स्थिति पैदा होगी कि सदस्य मंत्री महोदय को इस प्रकार के पत्र इत्यादि लिखेंगे। इसके लिये हमारे पास दूसरे भी उपचार हैं।

विधेयक को प्राधिकार समिति को सुपुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि जब तक कोई वास्तविक मामला उत्पन्न न हो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी जानना चाहिये कि अभी हाल ८ जुलाई, १९५८ तक इस प्रकार के पत्र भी संसद की कार्यवाही के अन्तर्गत माने जाते रहे हैं अतः उन पर स्वतः ही विशेषाधिकार लागू होता है अतः मेरे विचार से इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं यह नहीं समझ सका कि विधेयक के संबंध में अनुच्छेद १०५ का क्या महत्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य कुछ पत्रों तथा प्रकाशनों को विशेषाधिकार देकर अपमान लेख की विधि में परिवर्तन करना चाहते हैं। वस्तुतः उन्होंने इस विधेयक के वास्तविक उद्देश्य को सभा के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न लाकर गौण बना दिया है

इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि विशेषाधिकार के प्रश्नों को संहिता बद्ध करना ठीक नहीं हैं। कई वर्ष पहले इंगलैंड में भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठा था, उस समय वहां के सुप्रसिद्ध न्यायशास्त्री श्री ब्लेकस्टोन ने जो कुछ कहा था उसका निर्देश करते हुए राइट आनरेबल श्री बटलर ने १६ अप्रैल, १९५७ को सभा में चर्चा के दौरान यह कहा था कि दोनों सदनों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा इसी से हो सकती है कि उनके विशेषाधिकार अनिश्चित रहें। हमारे देश में यह बात और भी अधिक सत्य उतरती है। इंगलैंड में यदि वहां की पार्लियामेंट चाहे तो वह विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में कोई भी विधि पारित कर सकती है और उनको बढ़ाने के संबध में वहां कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है। किन्तु यदि हम अपने देश में ऐसी विधि पारित करें तो हमें संविधान की सीमाओं का विचार करना होगा। हमें यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि यह सभा विशेषाधिकारों से संबंधित कोई भी विधि पारित कर सकती है। निस्संदेह संविधान की धारा १०५ के उपबन्धों के अधीन कार्य करना ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इस संबंध में अपना विधान बनायेंगे वैसे ही परम्परागत कुछ विधियां स्वतः रद्द हो जायेगी। क्योंकि उसी क्षण से भाग तीन में उल्लिखित तथा अन्य प्रतिबन्ध हम पर लागू हो जायेंगे। इस संबंध में पटना सर्चलाइट वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि संसद् इस संबंध में कोई विधि पारित करती है तो वह अनुचित तथा संविधान के भी विरुद्ध होगा। इस संबंध में कोई विधि न बनने क कारण पहले से चले आ रहे विशेषाधिकार हमें प्राप्त हैं। इसलिय मेरे विचार से बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस संबंध में कोई विवेक-शून्य विधि पारित न करें। अन्य संसदों का शताब्दियों का यह अनुभव है कि वह विशेषाधिकार के संबंध में कोई संहिताबद्ध नियम न बनायें। हमें भी इसी नियम का अनुकरण करना चाहिये।

व्यक्ति गत रूप से भी मुझे इस विधान के संबंध में कुछ आपत्ति है। मैं व्यापक रूप से श्री ईश्वर अय्यर के विचारों का समर्थन करता हूं। मैं श्री स्ट्रास की शिकायत पर उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के प्रश्न कर हाउस आफ कामन्स में वहां के महाअधिवक्ता के द्वारा पढ़े गये एक भाषण के कुछ अंश यहां पढ़ना चाहता हूं। इस से सदस्यों को ज्ञात होगा कि हाउस आफ कामन्स के सदस्यों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सैन]

न इस संबंध में कितना संयम और कितनी सीमायें आरोपित की हैं। जिस से वे शताब्दियों से प्राप्त विशेषाधिकारों का अच्छी तरह उपभोग कर सकें।

"अपने विशेषाधिकारों के बढ़ा कर या उनका मन माना प्रयोग कर और इस प्रकार सामान्य नागरिक के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा कर हम अपने विशेषाधिकारों की बुनियाद को मजबूत नहीं कर सकते। अपितु प्रतिबन्ध विवेक और सावधानी से ही हम अपने विशेषाधिकारों को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस सभा में कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपशब्द कह सकता है तथापि वह ऐसा नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन में यह जागरूकता है कि इस सभा का उत्तरदायी व्यक्ति होने के नाते उन्हें सामान्य जनता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। विधि के अधीन हमें प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अपशब्द कहने का अधिकार है तथापि हम विवेक और परम्परा के कारण अपने अधिकार का अनियंत्रित तरीके से दुरुपयोग नहीं करते हैं।"

हमें यह देखना है कि इस विधेयक का परिणाम क्या होगा। इस म कहा गया है कि यदि कोई सदस्य किसी पत्र अथवा प्रकाशन से किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का लांच्छन या दोष लगाता है तो उसके विरुद्ध विधि न्यायालयों म भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। भले ही ऐसा प्रकाशन सभा की कार्यवाही का अंग न बने। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई संसद् सदस्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या बदनाम करने के उद्देश्य से अपने प्रस्तावों पर या अपने मित्रों के कहने पर मंत्रियों अथवा संसद सदस्यों के बीच कोई ऐसा पत्र प्रकाशित करता है तो भी वह व्यक्ति किसी प्रकार के न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। हाउस आफ कामन्स के महाअधिवक्ता ने भी बिल्कुल यही बात उनके सम्मुख रखी थी। उन्होंने बताया था कि सभा को नागरिकों के सामान्य अधिकार नहीं छीनने चाहिये। मैं पार्लियामेंटरी डिबेट (हेंसर्ड) से उनके भाषण के संगत अंशों को संक्षेप में पढ़ता हूं।

"यदि इस संबंध में माननीय सदस्य मेरा मत जानना चाहें तो मैं कहूंगा कि न्यायालय यही कहेगा कि उक्त सम्माननीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया पत्र सभा की कार्यवाही के अन्तर्गत नहीं आता है। निःसंदेह पहले सदस्य पर लेख जारी करना विशेषाधिकार भंग समझा जाता था। इस संबंध में अंतिम मामला १७५७ में हुआ जब कि सभा के विशेषाधिकार आज से कहीं अधिक विस्तृत थे। उस समय वादी और उसके वकील को लेख जारी करने पर सार्जेंट की गिरफ्तारी में रख दिया गया था। उस समय के ऐसे ही दूसरे उदाहरण भी मिल सकते हैं। सन् १७०० में श्री रौजर्स को पोर्टस्-माउथ के बन्दूकचियों से अत्याधिक रकम वसूल करने के कारण दंड दिया गया। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है इस सभा ने मुकदमें इत्यादि की कार्यवाहियों को विशेषाधिकार भंग नहीं समझा था। वस्तुतः समिति के निर्णयों का समर्थन करने से हम सम्राट की प्रजा के उस अधिकार पर कुठाराघात करेंगे जिसके अधीन वे अपने प्रति किये गये कुठाराघात का विधि न्यायालय में उपचार कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय की तरह प्रत्येक अंग्रेज का भी यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब वह यह अनुभव करे कि उस पर चोट पहुंचायी गयी है, वह विधि न्यायालय में इसके निराकरण के लिये प्रयत्न कर सकता है। उसके इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। सम्राट को ऐसी कोई शक्ति नहीं है और न विधि ने ही ऐसी शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान की है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि लेख जारी करने को विशेषाधिकार भंग नहीं कहा जा सकता है। बिल आफ राइट्स में कहा गया है कि संसद की कार्यवाही पर संसद् के बाहर कहीं भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। विशेषाधिकार भंग वहीं होता है जहां पर कोई न्यायालय हमारे संसद् की कार्यवाही के विरुद्ध कोई कार्य करता है। केवल लेख को जारी करने से यह स्थिति नहीं पैदा होती है। अपमान लेख विधि यह स्वीकार करती है कि संसद् सदस्यों द्वारा माननीय मंत्री को लिखा गया ऐसा पत्र जैसा

कि इस माननीय सदस्य ने लिखा, सीमित विशेषाधिकारों के अन्तगत आता है। इस में कोई संदेह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही यह पत्र लांछन लगाने वाला और झूठा भी हो तो भी यदि यह पत्र सदाशयता से लिखा गया हो तो उस माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।"

सबसे अधिक सुरक्षा यही है कि इसका तात्पर्य यही है कि अपमान संबंध कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि संसद् सदस्य ने वह कार्य सदाशयता से किया हो। सभा में बोलते समय या सभा में कोई पत्र परिचालित करते समय कोई भी अपने विषय के सम्बन्ध में नितांत विश्वास से नहीं कह सकता है। तथापि उस से यह आशा की जाती है कि वे जो कुछ भी करेगा वह नेकनीयती से ही करेगा। अतः बुरी नियत से किये गये कार्यों को भी संरक्षण प्रदान करना नागरिकों के अधिकारों का हनन करना है।

सभा के बाहर देश के नागरिकों के अधिकार भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे अधिकार। इसलिये सभा के सदस्यों द्वारा बुरी नियत से किये गये कार्यों को संरक्षण देना नागरिकों के अधिकारों पर आघात करना है। मैं ने ऐसे किसी उपबन्ध के संवैधानिक पहलू पर कुछ भी नहीं कहा है। मेरे विचार से न्यायालय भी इस प्रकार की विधि को असंगत और अनुचित कह कर अस्वीकार कर देंगे। मैं इस विधेयक का केवल व्यापक आधारों पर ही विरोध कर रहा हूं जिन से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है और जिन के संबंध में हमें संसद् सदस्य होने के नाते सदैव जागरूक रहना चाहिये। माननीय सदस्यों को भी ऐसे कार्यों को संरक्षण नहीं देना चाहिये जो बुरी नियत से किये गये हों।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदास पुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि पहिले ही संसद सदस्यों को काफी विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और सुविधायें प्राप्त हैं और सभा में इस के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा होती रहती है, तथापि सदस्यों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कभी भी सभा में चर्चा नहीं होती है। वस्तुतः हमें सभा के सदस्यों के कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

हमारा लोक तंत्र अभी केवल १२ वर्ष का है तथा संघीय प्रकार का लोक तंत्र होने के कारण हमारे देश में राज्य विधान सभाओं के हजारों सदस्य हैं अतः हमें संसदीय परम्पराओं, प्रक्रिया तथा नियमों को पालन करना चाहिये न कि उन्हें बढ़ाते चले जाना चाहिये क्योंकि इस से उन का दुरुपयोग होने की ही संभावना अधिक है। अभी भी हम देखते हैं कि सदस्य लोग उन विशेषाधिकारों का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं जो उन्हें प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ औचित्य प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव रखने इत्यादि के अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है। साथ ही इस प्रकार का अधिकार हमारे प्रशासकों के मार्ग में भी बाधक होगा इस से उनको सुगमता पूर्वक शासन चलाने के मार्ग में बाधा होगी। हमें कोई प्रयत्न ऐसा नहीं करना चाहिये जिस से कि उन के मार्ग में कोई बाधा पैदा हो। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथापि यदि संसद्-कार्य मंत्री संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों या सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो मैं निसंदेह उसका स्वागत करूंगा।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त में श्री भरूचा के विधेयक के खिलाफ होते हुए भी मुझे यह कहना पड़ता है कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने जिस तरह से पार्लियामेंट

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

के मेम्बरों के विशेषाधिकारों के ऊपर कुछ लांछन लगाने की कोशिश की है वह उचित बात नहीं लगती ।

जो विशेषाधिकार अभी सदन के मेम्बरों को हासिल हैं उनका कहां पर दुरुपयोग हुआ है यह एक देखने की बात होगी और यदि दलील के लिए यह मान लें कि जिस विशेषाधिकार की बात अभी कही जा रही है वह दे भी दिया जाये तो उस के बाद भी यह मान लेना कि उसका दुरुपयोग होगा यह सही बात नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सदन का सवाल है, मैं मानता हूं कि सदन के सदस्यों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारा देश जनतंत्र है जिस में हम ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है । मैं तो यहां तक सोचता हूं कि यदि इस तरह का कानून बन जाये तो सम्भवतः वह संविधान की धारा १४ का कहीं तोड़ने वाला न हो जाये, जिसमें दिया हुआ है :—

> "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा बंचित नहीं किया जायेगा । "

अब इस तरह का विशेषाधिकार ले कर जो सदन की कार्रवाही से सम्बन्ध नहीं रखता है और जिसको हम सदन की कार्रवाही बनाना चाहते हैं मुझे सन्देह है कि इस से कहीं इस तरह की भावना न पैदा हो कि हम देश के नागरिक को जो मूलभूत अधिकार प्राप्त है उसका हरण करना चाहते हैं। तो जहां तक इसका प्रश्न उठता है कि इस तरह का कोई अधिकार माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिये या नहीं, सिद्धान्त रूप से मैं उसके पक्ष में नहीं हूं , लेकिन इतना मैं मानता हूं कि हमारा जब लिखित विधान है, तो लिखित विधान में वे व्यवस्थायें हमेशा लागू नहीं रह सकतीं जो अलिखित विधान में लागू रहती हैं।

माननीय विधि मंत्री ने जो कुछ भाषण पढ़ा, "पढ़ा" मैं इसलिए कहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ न कह कर ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में जो एटर्नी जनरल ने भाषण दिया था उसको ही यहां कोट करने की कृपा की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में एटार्नी जनरल जो कुछ कहते हैं इस लिए वहां लागू हो सकता है क्योंकि वहां पर अलिखित विधान है। लिखित विधान में हमेशा वे बातें लागू हो सकती हैं या नहीं जो अलिखित विधान में लागू होती हैं यह भी एक मसला है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

तो जहां तक विधान की धारा १०५ का सवाल आता है उस में खुद ही उपधारा ३ में यह व्यवस्था की गयी है ।

> "अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे. . . ."

तो विधान निर्माताओं का कुछ ऐसा विचार था कि भविष्य में चल कर विशेषाधिकारों को निश्चित किया जाना चाहिये कि विशेषाधिकार क्या हैं।

एक बात मैं जरूर महसूस करता हूं कि इस सदन के सदस्यों के क्या अधिकार हैं। यह न केवल इस सदन के सदस्यों ही को मालूम होना चाहिये बल्कि देश की आम जनता को भी यह मालूम होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि इस पार्लियामेंट के मेम्बर

होने के नाते हमको कोई विशेषाधिकार अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं पूर्व वक्ता महोदय को कि जिस वक्त कोई इस तरह का सवाल आता है तो हम तो स्थगन प्रस्ताव रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता महोदय को यह लगता है कि हम स्थगन प्रस्ताव रख कर कोई विशेषाधिकार जो प्राप्त हैं उनका हनन करते हैं। माननीय पूर्व वक्ता को यह याद होगा कि जब इस सदन के पिछले सत्र में पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिए हवाई जहाज की यात्रा की सुविधा प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था तो सिफ सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि ने ही यह कहा था कि न केवल हवाई जहाज की सुविधा ही नहीं मिलनी चाहिये बल्कि मेम्बरों को जो फर्स्ट क्लास में रेल में चलने की सुविधा प्राप्त है उसके बदले भी उनको तीसरे दर्जे की सुविधा दी जानी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के या किसी और पार्टी के किसी सदस्य ने इस तरह का सुझाव रखा। तो हम से कहना कि आप विशेषाधिकारों द्वारा अपनी सुविधायें बढ़ाना चाहते हैं गलत है। तो इस तरह की दलील देकर इस बात को टालना मुनासिब नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस सदन में इस तरह का कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने की कोशिश माननीय सदस्यों को नहीं करनी चाहिये। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि सदस्यों के कर्तव्य क्या हैं और अधिकार क्या हैं। इसकी सीमा निश्चित हो जानी चाहिये। जब तक ऐसी बात नहीं होती तब तक कुछ खतरे पैदा होने की संभावना बनी रह सकती है। यह मैं मानता हूं कि देश में जनतंत्र मजबूत तभी होगा जब कि देश में संसद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसका सम्मान बढ़ेगा और मैं यह भी मानता हूं कि यह कार्य कानून से नहीं बल्कि परम्पराओं से हो सकता है। लेकिन ये परम्परायें किस तरह कायम हों। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह से कार्य करें जिस से कि देश की जनता में कोई गलतफहमी न फैले। हम विशेषाधिकारों की बातें करके जनता की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते। यह जान लेने से कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से जनतंत्र पर कुठाराघात करने के लिये एक हजार बार गोली चलायी गयी, जनता में जनतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा होता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी।

तो जहां तक विशेषाधिकार का सवाल है यह तो मैं चाहता हूं कि वे निश्चित हो जाने चाहिएं। पर यह मैं नहीं कहूंगा कि उसके लिए कोई कानून ही बन जाये। कोई कानून बना कर और उसके द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त करके हम कोई अपने को विशिष्ट नागरिक बनाने की परम्परा कायम नहीं करना चाहते। लेकिन इसकी तो सीमा निश्चित हो जानी चाहिय कि पार्लियामेंट के सदस्यों के कर्तव्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। वरना देश में हम जो समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम कर रहे हैं और जो निर्माण कार्य कर रहे हैं और जो स्वतंत्र या आटोनामस संस्थायें कायम कर रहे हैं उन में जो गड़ बड़ हो सकती है उस में सदस्य कहां तक हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह चीज़ साफ नहीं होगी। हो सकता है कि यह अधिकारों और कर्तव्य की सीमा निश्चित न होने से पार्लियामेंट के सदस्य इस दिशा में अपना काम ठीक प्रकार से न कर सकें और देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक से चलाने में पार्लियामेंट के सदस्य पूरे अधिकार से काम न कर सकें। पार्लियामेंट एक सर्वसत्ता प्राप्त संस्था है। इसलिए पार्लियामेंट के सदस्यों को इन मामलों की जांच पड़ताल का अधिकार होना चाहिये। लेकिन यह निश्चित नहीं होगा कि सदस्यों के क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं तो कठिनाई पैदा होगी।

तो जहां तक इस प्रश्न का सवाल उठता है मैं श्री भरूचा जी के साथ कानून बनाने में तो सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहुंगा कि संविधान की धारा १०५ में जो व्यवस्था की गयी है उस से मालम होता है कि शायद संविधान के निर्माता आधुनिक मनु, अर्थात् डा० अम्बेडकर के दिमाग में यह बात थी कि आगे चल कर संसद् जरूर अपने सदस्यों के लिए कोई विशेषाधिकार का कानून बनायेगी या उनकी कोई सीमा निश्चित करेगी। तो मैं समझता हूं कि हमें उन अधिकारों को

[श्री ब्रजराज सिंह]

जरूर निश्चित करना चाहिए और इस हद तक मैं इस विचार का समर्थक हूं कि कोई कमेटी बनायी जाये जो इस चीज को निश्चित करे। उस कमेटी के लिए एक बिल भी लाया जा सकता है या उसको किसी और भी तरह बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा निश्चित अवश्य होनी चाहिए। और हम को यह नहीं मान लेना चाहिये कि उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा। एक-एक माननीय सदस्य को हिन्दुस्तान के आठ आठ लाख नागरिक चुन कर यहां भेजते हैं तो वह यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और सदस्यों से आशा करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभायेंगे। तो मैं यह नहीं मानता कि यदि सदस्यों को कोई विशेषाधिकार दिया गया तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी जरूर बनायी जाये जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि क्या क्या विशेषाधिकार और कर्तव्य होने चाहिएं। जहां तक कर्तव्यों का सवाल है मैं यह मानता हूं कि कोई सदस्य जनता की सेवा करके अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ही यहां आ सकता है। अगर उस ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया है तो जनता उसको यहां आने का अधिकार ही नहीं देगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विषय में कानून न बनाते हुए भी हमें सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि जनता को मालूम हो सके कि पार्लियामेंट के मेम्बरों के क्या विशेषाधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं जिस से कि किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी न रहे और देश में जनतंत्र को मजबूत किया जा सके और बढ़ाया जा सके। देश में जन तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के जीवन पर पार्लियामेंट की छाप होनी चाहिए। तभी देश के नागरिकों पर असर पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि देश का कोई नागरिक यह न सोचे कि पार्लियामेंट का महत्व कम है। जब हम ऐसा कर सकेंगे तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे।

इस विधेयक की आत्मा—उस के सिद्धान्तों से सहमत न होते हुए भी मैं इतना चाहूंगा कि किसी प्रकार इस बात की व्याख्या होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के मेम्बरों के ये विशेषाधिकार हैं और ये कर्तव्य हैं।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में मेरे सहयोगी विधि मंत्री के भाषण से मेरा कार्य सरल हो गया है। उन्होंने बड़ी योग्यता से इस मामले का विवेचन किया है और मुझे आशा है कि श्री नौशीर भरूचा को अब तक संतोष हो चुका होगा। इसलिए मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। विषय के संबंध में कुछ कहने से पूर्व मैं प्रस्तावक को उनकी रुचि-वैविध्य और सतर्कता के लिए बधाई देना आवश्यक समझता हूं। परन्तु उनके इन दोनों गुणों का उपयोग प्राय: गलत दिशा में होता है अथवा वह उनका आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करते हैं।

मैं ने उन के तथा अन्य सदस्यों के भाषणों को सुना जिन्होने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। सिद्धान्तत: इस में अन्तर्ग्रस्त प्रश्न अत्यन्त जटिल है और यदि विधेयक में रखे गये प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाये तो उनका बहुत असर पड़ेगा। परन्तु विधेयक के संबंध में अपना विरोध व्यक्त करने में मेरा कार्य स्वयं प्रस्तावक ने बहुत सरल कर दिया है जिन्होंने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा है कि इसी विषय का एक प्रस्ताव कामन्स सभा में ठुकराया जा चुका है। सदस्यों ने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरणों में पढ़ा है कि ब्रिटेन की कामन्स सभा में हाल में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या एक संसद-सदस्य द्वारा एक मंत्री को लिखा गया पत्र, जिस में लन्दन विद्युत् बोर्ड के संबंध में कुछ

†मूल अंग्रेजी में

निन्दात्मक बातें कहीं गई थीं, उसका समझा जायेगा और निन्दित व्यक्ति को ऐसे सदस्य के विरुद्ध अपमान लेख कार्यवाही करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा ? इस मामले में सदस्य को अपमान लेख कार्यवाही की धमकी दी गई और उसने अध्यक्षपीठ से रक्षा का दावा किया। अध्यक्ष-पीठ ने अनुभव किया कि यह प्रत्यक्षतः सदन के विशेषाधिकार का हनन है। वह मामला कामन्स सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया जिस ने अपने प्रतिवेदन में यह मत व्यक्त किया कि मंत्री को लिखा गया पत्र संसद की कार्यवाही का अंग है। और लन्दन विद्युत बोर्ड द्वारा प्राभियोग की धमकी संसद के विशेषाधिकार का भंग है। हमें यह भी बताया गया है कि ८ जुलाई, १९५८ को कामन्स सभा ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे २१३ के विरुद्ध २१८ मतों से ठुकरा दिया और इस तरह से वह सदस्य अरक्षित रह गया और उस पर अपमान लेख के कारण न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

अब हम यह देखेंगे कि भारत के संविधान में संसद तथा उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में क्या कहा गया है। श्री नौशीर भरूचा ने स्वयं अनुच्छेद १०५ उद्धृत किया है इसलिए मुझे उसके दुहराने की जरूरत नहीं है। उसी अनुच्छेद के खण्ड (३) में कहा गया है ——

"अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।"

हमने अभी तक शक्तियों आदि का निश्चय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं। जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम ने ऐसा जान बूझ कर किया है। इस का मतलब यह हुआ कि ऐसे किसी कानून के अभाव में ये वही होंगी जो संविधान के पारित होने के समय ब्रिटेन की संसद की कामन्स सभा की थी।

अब यह कुछ विचित्र सी बात है कि जिस बात को कामन्स सभा हाल में अस्वीकार कर चुकी है उसे इस संसद द्वारा कानूनी मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसा करने का कोई भी प्रयत्न न केवल अनुच्छेद १०५ की भावना वरन् उसके शब्दार्थ के भी विरुद्ध होगा। हम इस मामले को इस तरह से, विशेषकर जबकि ऐसा एक विधेयक उस संसद् द्वारा ठुकराया जा चुका है जिसको हमने अपना आदर्श स्वीकार किया है, आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

विधेयक का उद्देश्य किसी सदस्य के विरुद्ध उसके कर्तव्यों के सदाशय पालन में फौजदारी अथवा दीवानी की कार्यवाही की धमकी का निराकरण करना है। मोटे तौर से ये बातें संविधान के अनुच्छेद १०५ में आ जाती हैं। परन्तु इस विधेयक में उस से आगे बढ़कर कर्तव्यों के सदाशय पालन में ऐसी बातें भी सम्मिलित की जा रही हैं जैसे संसद-सदस्य द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को लिखे गए पत्र। ऐसे पत्र का मंत्री द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को भेजा जाना और उसका उत्तर भी उस में सम्मिलित होगा।

अब हमें विधायन के सामान्य प्रश्न और संविधान के अनुच्छेद १०५ को अलग रखते हुए विधेयक के प्रस्तावों पर उसके गुण दोषों की दृष्टि से दृष्टिपात करना चाहिए। इस में सदस्यों को ऐसी शक्तियों से युक्त किया जा रहा है जिनका प्रयोग सदा लोक-हित में न किया जायेगा और

[श्री सत्यनारायण सिंह]

जिनका वास्तव में दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि इस विशेषाधिकार का अनुचित प्रयोग किया जाता है तो संसद का गौरव नष्ट हो जायेगा। इस से अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्यवाही को प्रोत्साहन मिल सकता है यह ही नहीं, इस के कुछ पक्षों को संसद सदस्यों के साथ, संसदीय कार्यों के क्षेत्र के बाहर के, संबंधों में नुकसान भी रहेगा।

अभी भी कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि सदस्यों को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनका नागरिकों पर बुरा प्रभाव हो सकता है। माननीय प्रस्तावक देश के साधारण नागरिकों तथा समाचारपत्रों द्वारा की जाने वाली इस आलोचना से अवश्य परिचित होंगे कि हमें बहुत अधिक शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना सर्वथा सही है।

मैं ने कुछ मित्रों से चर्चा की थी जिनके इस प्रकार के विचार हैं और उन्होंने कुछ उदाहरण दिये। उन्होंने कहा कि संसद्-सदस्य कभी कभी सदन में बाहर के व्यक्तियों के संबंध में प्रश्न करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो कि अपमानजनक होती हैं और विशेषकर जब वह व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं होते। उनका कहना है कि संसद-सदस्यों में यह प्रवृति बढ़ती जा रही है कि वे कभी कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बातें इसलिए कह जाते हैं कि वे जानते हैं कि वह व्यक्ति प्रत्युत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है। ऐसा करना मानव स्वभाव है क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस संसद की चहर-दीवारी में सुरक्षित हैं। शायद सदन के बाहर ऐसी बात कहने के पूर्व हम में से प्रत्येक सौ बार सोचेगा। इसलिए हमें इस चीज पर भी विचार करना है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं।

वह अपनी बात खुले आम नहीं कहते क्योंकि आप उन्हें विषेषाधिकार भंग के लिए बन्द करा सकते हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्रों में, जहां भाषण नोट नहीं किए जाते, वह अध्यक्षपीठ की आलोचना करने में भी नहीं चूकते। हमें स्पष्ट बात कहनी चाहिये। यह सच है कि वह डर के कारण ऐसी बात खुले आम कहने का साहस नहीं करते।

मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि संसद्-सदस्यों को वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हमारा काम ही ऐसा है कि हमें कुछ शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अवश्य प्राप्त होनी चाहिए जो हमें प्राप्त हैं परन्तु उनके अतिरिक्त और शक्तियां प्राप्त करने का प्रयत्न मेरी समझ से वर्तमान परिस्थितियों में उचित नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद १०५ में सदस्यों को अपने कार्यों के पालन में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। गत नौ वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जिस में किसी संसद्-सदस्य को अपने कार्यों के सम्पादन के कारण संकट का सामना करना पड़ा हो। अपने विशेषाधिकार बढ़ाने का निर्णय करने के पूर्व हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वे विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार होने चाहिएं संसद-सदस्य के रूप में नहीं। उनका प्रयोजन हमारी महान प्रजातांत्रिक एवं सर्वोच्च सत्ता प्राप्त संस्था का रक्षण करना होना चाहिए।

मैं अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व "लण्डन टाइम्स" में पार्लियामेंट में इस मामले के निबटारे के पश्चात् प्रकाशित एक लेख में से कुछ अंश आपकी अनुमति से पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। उस लेख में कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य यह है कि सदस्य निडर होकर अपनी बात कह सकें परन्तु यदि इस को बहुत ज्यादा बढ़ाया जायेगा तो नागरिकों का अहित होने का भय रहेगा। लेख में यह भी कहा गया है कि ये विशेषाधिकार संसद् के हैं, संसद्-सदस्यों के नहीं तथा उनका प्रयोजन संसद् की कार्यवाही का परिचालन है न कि विशेषाधिकारों से युक्त नागरिकों के एक वर्ग का निर्माण।

इसलिए मैं माननीय प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करते तो मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार न करे।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं केवल विधि मंत्री और संसद-कार्य मंत्री के भाषणों का उत्तर दूंगा।

विधि मंत्री ने यह तर्क रखा कि विशेषाधिकारों संबंधी कानून को संहिताबद्ध नहीं करना चाहिए ताकि माननीय सदस्य अस्पष्टता के कारण अधिक विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकें। उनकी सुनिश्चित व्याख्या सदस्यों के हित-विरुद्ध हो सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार कानूनी समस्या का सामना करने से बचना चाहती है ? यह कहना कि कानून को असंहिताबद्ध रहने देना चाहिए संविधान के अनुच्छेद १०५ की भावना के विरुद्ध है जिस में यह कल्पना की गई है कि भविष्य में विशेषाधिकारों संबंधी कानून बनाया जायगा या संहिताबद्ध किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि हम प्रत्येक बात में कामन्स सभा का अनुसरण क्यों करें ? वहां तो लिखित संविधान भी नहीं है परन्तु हमने उनका अनसरण नहीं किया। फिर जब सैकड़ों अनुच्छेदों का लिखित संविधान हमने बना लिया है तो मैं नहीं समझता कि विशेषाधिकारों की उचित व्याख्या करने के प्रश्न से हम क्यों बचें ?

तीसरी बात यह है कि विधि मंत्री ने कहा है कि यदि हम इस विषय पर कानून बनायेंगे तो वह संविधान के विरुद्ध होगा। यदि ऐसी स्थिति है तो हमें भुलावे में नहीं रहना चाहिए। यह अधिक अच्छा होगा कि हम कठिनाई से बचें नहीं वरन् उसका सामना करें और उसका अन्त करें।

उन्होंने कामन्स सभा में एटार्नी जनरल द्वारा दिये गये भाषण में से उद्धरण भी प्रस्तुत किए। मेरी समझ से उनके भाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जो इस विधेयक के उपबन्धों के विरुद्ध हो। एटार्नी जनरल के भाषण का सार यह है कि कामन्स सभा के उस संकल्प को स्वीकार कर लेने से उस विषय को कोई कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि कामन्स सभा ऐसा कानून बदलना चाहती है और अपने विशेषाधिकार बढ़ाना चाहती है तो उसे कानून बनाना होगा। समिति का प्रतिवेदन स्वीकार करने के संकल्प के पारित कर देने मात्र से कोई लाभ न होगा। इसलिए मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं मालूम होती।

अब माननीय संसद्-कार्य मंत्री के भाषण को लिजिए। उन्होंने जो कुछ मुझ से कहा वही मैं उन से कहूंगा कि वह अपनी शक्ति और उत्साह का गलत दिशा में प्रयोग करते हैं।

उनका मुख्य तर्क यह है कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसका विस्तार करने से उसके अधिक दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। मैं इस से सहमत नहीं हूं। संसद्-सदस्य बुद्धिमान होते हैं, सदन में भाषण करते हैं। उन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी बातें लिखेंगे जिन से साधारण नागरिकों की रक्षा करनी होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन में भाषण करते समय तो अध्यक्ष का नियंत्रण रहता है। नियम ३५२ में लिखा है कि सदस्य "अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या अपमानात्मक शब्द" नहीं कहेंगे और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

अध्यक्ष इस नियम की देख भाल करता है। परन्तु यदि माननीय सदस्य घर से कोई पत्र लिखेंगे तो उस पर क्या नियंत्रण होगा ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : यह ठीक है कि अध्यक्ष हमारे तथाकथित निरंकुश विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। परन्तु जब कोई सदस्य किसी मंत्री को कुछ लिखता है और यदि वह ठीक न हो तो क्या मंत्री उस को यह उत्तर नहीं दे सकता कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस तरह से वह मामला मंत्री और सदस्य के बीच में ही खत्म हो जायेगा। परन्तु जब हम सदन में कोई ऐसी बात कहते हैं तो उस से अधिक हानि होती है क्योंकि उसे कार्यवाही के अधिकृत विवरण में भले ही सम्मिलित न किया पर उपस्थित लोग तो सुन ही लेते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक बात मंत्री और सदस्य के बीच में ही रहती है उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। वह तो तभी संभव है जब वह प्रकाशित की जाय।

†**श्री नौशीर भरूचा** : यह विचार गलत है। दंड संहिता में 'प्रकाशन' का एक विशेष अर्थ है। यदि हम मंत्री को कुछ बात लिखते हैं और वह उसे पढ़ता तो वह भी कानून की दृष्टि में प्रकाशन ही है और हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें इस संबंध में उन्मुक्ति मिलनी चाहिए। यदि हम मंत्रियों को इस प्रकार की बातें न लिख सकेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकेगा। मंत्री को दिव्य-दृष्टि तो प्राप्त होती नहीं है जो स्वयं ये बातें उसे ज्ञात हो जायें। इसलिए हमें इस प्रकार की बातें लिखने का अधिकार होना चाहिये। अन्यथा यदि मैं श्री मथाई से संबंधित जांच में जानकारी के लिए यह लिखूं कि उन्होंने रिश्वत ली है तो मेरे ऊपर अभियोग चलाया जा सकेगा।

जहां तक "टाइम्स" में प्रकाशित लेख का संबंध है, वह संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में संसद-सदस्यों और समाचार पत्रों के बीच बहुत समय से मतभेद चला आ रहा है। इस के अतिरिक्त उस लेख में कहा गया है कि 'संसद के विशेषाधिकार, सदस्यों के नहीं, परन्तु अनुच्छेद १०५ में निश्चित रूप से सदस्यों, संसद और समितियों का उल्लेख है। इसलिए वह बात यहां लागू ही नहीं होती।

यदि सदन चाहे तो इस विधेयक को ठुकरा दे परन्तु मैं चाहता हूं कि इस विषय पर भली प्रकार विचार कर लिया जाय। यदि सदस्यों को भ्रष्टाचार की शिकायतें करने से रोका जायेगा तो बड़ा अहित होगा। प्रजातन्त्र नष्ट हो जायेगा। समस्त प्रशासन भ्रष्ट हो जायेगा और कोई सदस्य उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करेगा। यदि शासन में ईमानदारी कुछ महत्व रखती है तो इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये अन्यथा उसको ठुकराया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कुछ मामलों में संसद और संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की परिभाषा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा ५६ और १२३ का संशोधन)

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक अत्यन्त साधारण है। इसका उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ५६ और १२३ का संशोधन करना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५९

---

१ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१०६१—८६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६८	अनिवार्य समाज सेवा	१०६१–६२
४६९	तत्वीय गन्धक	१०६३–६४
४७०	पोलैण्ड के विशेषज्ञों द्वारा खनन् परियोजनाओं का अध्ययन	१०६४–६५
४७१	पंजाब में तेल सर्वेक्षण	१०६५–६६
४७२	बंगलौर हवाई अड्डा	१०६६
४७३	मध्य क्षेत्रीय परिषद्	१०६६–६७
४७४	निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	१०६८–६९
४७५	निर्वाचन व्यय	१०७०–७१
४७६	अध्यापक–शिष्य अनुपात	१०७१–७२
४७७	कोर्बा कोयला क्षेत्र	१०७२–७३
४७९	भिलाई के लिये शंटिंग इंजन	१०७३–७४
४८०	कुलटी में भट्टियों का बन्द हो जाना	१०७५–७६
४८१	आई० ए० एफ० सिग्नल्स सेन्टर, गुड़गांव, में अग्निकाण्ड	१०७६–७७
४८२	हिन्दी टाइप–राइटरों के तालिका–पट्ट	१०७८—८०
४८३	लद्दाख के अभिलेखागार में दुर्लभ पाण्डुलिपियां	१०८०–८१
४८४	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	१०८१–८२
४८५	लोक–सभा में प्रश्न	१०८२–८३
४८६	विकलांग बच्चे	१०८३—८५
४८७	जीवन बीमा निगम	१०८५–८६
४८८	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	१०८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०८६—-११४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७८	कई मंजिल की इमारतों के बारे में चुनी हुई इमारतों सम्बन्धी परि–योजना दल	१०८६–८७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४८६	मिर्जा गालिब का दिल्ली का मकान . . .	१०८७
४६०	छात्रों की जीवन निर्वाह स्थिति का सर्वेक्षण . .	१०८७
४६१	मोटर गाड़ियों के नीचे का ढांचा . .	१०८७—८६
४६२	दुहरा करारोपण	१०८६
४६३	बीड़ी उद्योग . . .	१०८६
४६४	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता . .	१०८६—६०
४६५	छात्रवृत्तियां	१०६०
४६६	नगरीय माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा . .	१०६०
४६७	समाज कल्याण परियोजनाएं	१०६०—६१
४६८	हावड़ा में सीमा कर .	१०६१
४६६	कोयला परियोजना का पूरा होना .	१०६१—६२
५००	मैसूर में अनुसूचित जातियां . . .	१०६२
५०१	नई दिल्ली में पुरातत्वीय संस्था .	१०६२
५०२	पटना में स्पोर्टस स्टेडियम	१०६२
५०३	छोटी कोयला खानें .	१०६३
५०४	कच्चे लोहे का निर्यात .	१०६३
५०५	बिक्री-कर . . .	१०६३
५०६	बंगलौर में वैमानिक अनुसन्धान संस्था	१०६४
५०७	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . .	१०६४
५०८	प्रशिक्षण नौकायें . . .	१०६४—६५
५०६	पश्चिमी जर्मनी के साथ भुगतान शेष की स्थिति .	१०६५—६६
५१०	अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी . .	१०६६
५११	केरल शिक्षा विधेयक . .	१०६६
५१२	सिंगरेनी कोयला खानें	१०६७
५१३	दुगदा का कोयला धोने का कारखाना . .	१०६७—६८
५१४	यूरोपीय मुद्राओं की निर्बाध परिवर्त्यता . . .	१०६८
५१५	लाजपत नगर (दिल्ली) में उपद्रव . .	१०६८
५१६	डीजल आयल . . .	१०६६
५१७	विमान	१०६६
५१८	विश्व बैंक की टीम	१०६६—११००

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
५५८ भिलाई इस्पात परियोजना में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी	११००
५५९ सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल . . .	११००
५६० पंजाब उच्चन्यायालय में लेख याचिकायें .	११००
५६१ स्त्री शिक्षा	११००–०१
५६२ पंजाब में स्थानीय निकायों के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रम .	११०१–०२
५६३ मंत्रालयों की स्वविवेक-निधियां .	११०२
५६४ ब्रिटेन से सामान की खरीद . . .	११०२
५६५ बम्बई उच्चन्यायालय में आयकर के मामले	११०२
५६६ बम्बई में आयकर दाता . . .	११०३
५६७ गैर-सरकारी ब्रिटिश फर्मों द्वारा भारत में धन-विनियोजन	११०३
५६८ रूरकेला संयंत्र	११०३–०४
५६९ गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन समितियां तथा आयोग . .	११०४
५७० भारतीय मिशनों में सांस्कृतिक सहचारी .	११०४
५७१ मध्य प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण .	११०५
५७२ दिल्ली की बाढ़ें . .	११०५
५७३ प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग .	११०५–०६
५७४ राष्ट्रीय अनुशासन योजना .	११०६–०७
५७५ पंजाब में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	११०७
५७६ उच्चतम न्यायालय में मामले	११०७
५७७ औद्योगिक विवाद . .	११०७–०८
५७८ वाणिज्यिक बैंक	११०८
५७९ सहकारी बैंक . . .	११०८–०९
५८० हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति बोर्ड . .	११०९
५८१ हिमाचल प्रदेश में कृषि आयकर न्यायाधिकरण .	११०९
५८२ शिक्षक प्रशिक्षण .	११०९–१०
५८३ पठानकोट की दुर्घटना . . .	१११०
५८४ छात्रावास . . .	१११०
५८५ मैसूर को लोहे और इस्पात का संभरण . .	१११०–११
५८६ मैसूर उच्चन्यायालय	११११
५८७ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां .	११११

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५८८	मैसूर में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन चलाये गये मुकदमे . . .	१११२
५८९	मैसूर में अनुसूचित जातियां	१११२–१३
५९०	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिय आदर्श गांव . . .	१११३
५९१	अनुसूचित जातियां . . .	१११४
५९२	मैसूर में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	१११४–१५
५९३	झण्डा दिवस . .	१११५
५९४	लौह अयस्क का जापान को निर्यात	१११५–१६
५९५	राज्यों को ऋण . . .	१११६
५९६	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि	१११६
५९७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को डाक्टरी सहायता	१११६–१७
५९८	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय, बड़ौदा	१११७
५९९	सम्पत्ति का व्यौरा . . .	१११७–१८
६००	भूतत्वीय विभाग में प्रशिक्षत कर्मचारी	१११८
६०१	छुट्टियों में यात्रा करने की रियायत	१११८–१९
६०२	हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग .	१११९
६०३	जीवन बीमा निगम .	१११९–२०
६०४	इस्पात कारखानों के श्रमिकों के लिये क्वार्टर	११२०
६०५	सशस्त्र बल के लिये खरीदे गये विमान	११२०
६०६	पंजाब की प्रादेशिक भाषायें	११२०–२१
६०७	पश्चिमी जर्मनी की छात्रवृत्तियां	११२१
६०८	आन्ध्र प्रदेश में कोयला	११२१–२२
६०९	राष्ट्रीय प्रयोगशाला	११२२
६१०	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय .	११२२
६११	भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया)	११२२–२३
६१२	उत्तर प्रदेश में इस्पात पुनर्बेलन मिलें	११२३
६१३	भारत में राकेट के प्रयोग	११२३
६१४	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	११२४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६१५	भाषाई अल्पसंख्यक . . .	११२४
६१६	रावघाट में इस्पात का कारखाना . . .	११२५
६१७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिहीन लोग	११२५
६१८	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भारतीयकरण	११२५
६१९	आन्ध्र प्रदेश में कोयला	११२५
६२०	बरकल्ली की सामुद्रिक जीवाश्म	११२६
६२१	'सूर्योदय' की मरम्मत	११२६
६२२	प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड .	११२६–२७
६२३	केन्द्रीय और राज्य समाज कलयाण बोर्ड	११२७
६२४	केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड	११२७
६२५	अस्पृश्यता	११२८
६२६	केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के असिस्टेंट	११२८–२९
६२७	पुनर्वित्त निगम . .	११२९
६२८	पंजाब में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	११३०
६२९	दिल्ली में अपराध . .	११३०
६३०	गुरदासपुर जिले में समाज सेवा शिविर	११३१
६३१	रायल एयर फोर्स के मार्शल का दौरा .	११३१
६३२	तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम	११३१–३२
६३३	मनीपुर में गांजे के पौधे .	११३२–३३
६३४	दिल्ली निगम को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान	११३३
६३५	हिन्दी साहित्य का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	११३३
६३६	कलकत्ते के सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमे	११३३–३४
६३७	नयी दिल्ली का 'कम्यूनिटी हाल' .	११३४
६३८	अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम	११३४–३५
६३९	उड़ीसा में प्रविधिक संस्था .	११३५
६४०	आयुध कारखानों में स्टाक की जांच .	११३५–३६
६४१	आसाम तेल परिष्करणी . . .	११३६
६४२	दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिये मकान . .	११३६–३७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
६४३ संघ राज्य-क्षेत्रों में सायंकालीन शिक्षण संस्थायें . .	११३७
६४४ संघ लोक सेवा आयोग से किये गये अधियाचन का रद्द किया जाना	११३७-३८
६४५ जीवन बीमा निगम . . .	११३८
६४६ शिक्षा अनुदान .	११३८
६४७ जीवन बीमा निगम . . .	११३८-३९
६४८ त्रिपुरा में ट्रांजिट पासों का जारी किया जाना	११३९
६४९ चीनी स्कूल . .	११३९
६५० बम्बई के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक . .	११३९
६५१ मुद्रा का परिचलन	११४०
६५२ बम्बई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था . .	११४०-४१
६५३ ब्रिटिश कर प्रणाली का अध्ययन . . .	११४१
६५४ गणतन्त्र दिवस परेड . . .	११४१-४२
६५५ आदिम जाति के बच्चों के लिये आश्रम-स्कूल	११४२
६५६ प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक . . .	११४२
६५७ हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व शासकों के लिये रक्षक	११४२
६५८ मंत्रियों के लिये भत्ते	११४२-४३
६५९ इलाहाबाद के नाम में परिवर्तन	११४३
६६० उड़िया नाटक .	११४३-४४
६६१ दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिये मुफ्त दूध .	११४४
६६२ कलाकारों को छात्रवृत्तियां .	११४४-४५
६६३ बम्बई उच्चन्यायालय . .	११४५
६६४ ग्रैन्यूलेशन संयंत्र .	११४६
६६५ लोथल में संग्राहालय . . .	११४६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	११४८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६३/आर०-एमेंडमेंट ३० की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र— (क्रमशः)

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६३ की एक प्रति।

(३) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८ में प्रकाशित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आदेश, १९५९ की एक प्रति।

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या १८३, दिनांक १४ फरवरी, १९५९।

(दो) जी० एस० आर० संख्या १८४, दिनांक १४ फरवरी, १९५९।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ११४८—४९

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ११४९

श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ ने टिहरी (उत्तर प्रदेश) के एक गांव में १४ जनवरी, १९५९ को अनुसूचित जाति के लोगों की एक बारात को परेशान करने की कथित घटना की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . . . ११५०—६८

श्री त० ब० विट्ठलराव ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"कि यह सभा भारत में खेल कूद के, विशेष रूप से क्रिकेट के, स्तर के गिरने के बारे में चिन्ता प्रगट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि देश में खेलकूद का स्तर ऊंचा उठाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाये।"

श्री मूल चन्द जैन द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया। चर्चा के उपरान्त संशोधन और प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिए गए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . . . . ११६८—६९

(१) श्री उ० चं० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक, १९५९।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित—(क्रमशः)

(२) श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ७ का लोप)

(३) श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक, १९५९

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत . . . . ११६९—८६

श्री नौशीर भरूचा द्वारा संसदीय विशेषाधिकार विधेयक, १९५८ पर विचार करने के लिए १२ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर और चर्चा पुनः जारी हुई। श्री नौशीर भरूचा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और चर्चा समाप्त हुई।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . . ११८७

श्री राधा रमण ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ५६ और १२३ का संशोधन) पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि——

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उसका पारित किया जाना।